NHSRCL

National High Speed Rail Corporation Ltd.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हाई स्पीड रेल के चालक केबिन के अंदर का प्रस्तावित प्रारुप

चौथी वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

विज़न:

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए, तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएँ मुहैया कराना।

मिशन:

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

चौथी वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
निदेशक मंडल	**1 – 2**
अध्यक्ष का संबोधन	**3 – 4**
रिपोर्ट्स:	
निदेशकों की रिपोर्ट	**5 – 31**
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों पर रिपोर्ट	**32 – 34**
वार्षिक विवरणी का सार (फॉर्म एमजीटी-9)	**35 – 39**
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	**40 – 43**
वित्तीय विवरण:	
लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट	**44 – 53**
तुलन पत्र	**54**
लाभ एवं हानि का विवरण	**55**
नकदी-प्रवाह का विवरण	**56**
इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	**57 – 58**
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां – टिप्पणी 1 से 40 तक	**59 – 98**
वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	**99**

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल

(01.09.2020 को)

विनोद कुमार यादव
अंशकालिक अध्यक्ष

अचल खरे
प्रबंध निदेशक

राजेन्द्र प्रसाद
निदेशक परियोजना

अरुण बिजलवान
निदेशक वित्त

विजय कुमार
निदेशक चल स्टॉक

संदीप कुमार
निदेशक (विद्युत् तथा प्रणाली)

रवीन्द्र नाथ सिंह
अंशकालिक निदेशक

अंजू रंजन
अंशकालिक निदेशक

पी. आर. पटेलिया
अंशकालिक निदेशक

कंपनी सचिव

सुमीता शर्मा

पंजीकृत कार्यालय

दूसरी मंजिल, एशिया भवन, रोड नंबर 205,
सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077
दूरभाष: 91-11-2807000 / 01; फैक्स: 91-11-28070150
ई-मेल: psmd@nhsrcl.in;
वेबसाइट: www.nhsrcl.in
CIN: U60200DL2016GOI291002

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

अनिल आनंद,
कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस

अध्यक्ष का संबोधन

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारक मित्रों,

मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस चौथी वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

कंपनी मुंबई से अहमदाबाद तक भारत की पहली हाई-स्पीड रेल (एच.एस.आर.) परियोजना के कार्यान्वयन में लगातार आगे बढ़ रही है।

मैं अब 2019-20 के दौरान इस दिशा में कंपनी की प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र के पालघर जिले के दो गाँवों को छोड़कर, गुजरात, दादरा और नगर हवेली (डी.एन.एच.), और महाराष्ट्र के सभी गाँवों में संयुक्त मापन सर्वेक्षण (जे.एम.एस.) का पूरा होना। अब तक, परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 63% भूमि का समग्र अधिग्रहण के साथ गुजरात और डी.एन.एच. में 83% भूमि का अधिग्रहण किया गया है । सिविल स्ट्रक्चर के लिए प्रमुख डिजाइन कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

कंपनी ने शिनकान्सेन प्रौद्योगिकी के स्लैब ट्रैक के साथ 100 मीटर की प्रशिक्षण लाइन और वडोदरा में एच.एस.आर प्रशिक्षण संस्थान के चरण -1 का कार्य पूरा कर लिया है।

वर्ष के दौरान, वायडक्ट, पुलों, स्टेशन भवनों और स्टील विरचना के निर्माण के लिए आठ पैकेजों के लिए निविदाएं मंगाई गई हैं। नवीनतम तकनीकी से पूर्ण साबरमती हब बिल्डिंग के लिए निविदा जारी कर दिए गए हैं और साइट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कंपनी ने प्रसुविधाओं प्रतिचित्रण और स्थानांतरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के संपूर्ण संरेखण के लिए उपयोगिताओं के प्रतिचित्रण के बाद, कंपनी ने पहले ही 1651 ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओ.एच.इ) लाइनों में से 958 को स्थानांतरित कर दिया है। कम्पनी ने साबरमती / अहमदाबाद में रेलवे से संबंधित उपयोगिताओं की शिफ्टिंग में लगभग 80% की प्रगति हासिल की है।

एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण में आने वाले औद्योगिक स्ट्रक्चर के लिए, कंपनी ने तीन जिलों अर्थात सूरत, वलसाड, और नवसारी में लगभग बाईस (22) औद्योगिक संरचनाओं के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन किया है। प्रभाव मूल्यांकन में मुआवजे की लागत को अंतिम रूप देना, उद्योग मालिकों की सहमति प्राप्त करना, उद्योग के स्थानांतरण के लिए अनुबंध समझौते को निष्पादित करना शामिल है।

कंपनी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने सचेत प्रयासों में पेड़ काटने के स्थान पर परियोजना स्थलों पर लगभग 4457 पेड़ो का वृक्षारोपण किया है और अब तक प्रतिपूरक रूप में लगभग 60,000 पौधे रोपित किए हैं।

कंपनी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पुरस्कार की घोषणा के अलावा, सामाजिक विकास कार्यों के तहत ग्राम विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) को स्थापित करने, कौशल वृद्धि प्रशिक्षण की व्यवस्था करके परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास की दिशा में भी व्यापक कदम उठाए हैं।

कंपनी को सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर अर्थात दिल्ली - वाराणसी एच.एस.आर. (865 किमी के लिए); दिल्ली - अहमदाबाद एच.एस.आर. (886 किमी के लिए); मुंबई - नागपुर एच.एस.आर. (753 किमी); मुंबई - हैदराबाद एच.एस.आर.(711 किमी के लिए); चेन्नई - मैसूर एच.एस.आर. (435 किमी के लिए); तथा दिल्ली - अमृतसर एच.एस.आर. (459 किमी के लिए और वाराणसी - हावड़ा एच.एस.आर. (760 किमी के लिए) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम भी सौंपा गया है।

उपरोक्त सात डीपीआर में से, कंपनी ने दिल्ली - वाराणसी एच.एस.आर. कॉरिडोर के लिए डीपीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया है और 31 अक्टूबर 2020 तक अपनी पहली मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

कंपनी ने अभी तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं किया है और इसलिए वर्ष के दौरान कोई परिचालन कारोबार नहीं हुआ है।

मैं इन विचारों के साथ समापन करना चाहता हूं कि एन.एच.एस.आर.सी.एल ने जिस रोमांचक यात्रा की शुरुआत की है, उसके लिए उत्पन्न होने वाले अनूठे मुद्दों के लिए बहुत से गैर-परंपरागत समाधानों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए सीमा से बाहर निकलकर बहुत सोच-विचार की आवश्यकता होगी । मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मजबूत और एक साथ खड़े होंगे, और ऐसी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक टीम के रूप में काम करेंगे, और दिन-प्रतिदिन इस परियोजना को लागू करने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति और भारत के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे के निर्माण के करीब पहुँचेंगे।

(विनोद कुमार यादव)
अध्यक्ष

दिनांक : 28.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सम्माननीय शेयरधारकों

आपकी कंपनी के निदेशकों को, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के मामलों पर, अपनी चतुर्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.एच.एस.आर.सी.एल.), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है और यह भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाला एक संयुक्त उपक्रम है।

एन.एच.एस.आर.सी.एल. जापान की शिंकानसेन तकनीक पर आधारित भारत की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना यानी मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एम.ए.एच.एस.आर.) परियोजना को लागू कर रहा है जिसके लिए 12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट अपनी नवीनतम तकनीक के माध्यम से, यात्री परिवहन प्रणाली को पूरी तरह से बदल देगा और इससे यात्री परिवहन / रेल संचालन के एक नए युग का प्रारंभ होगा। इससे न केवल रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, अपितु यह देश के आर्थिक विकास को गति भी प्रदान करेगा।

परियोजना की वर्तमान स्थिति

क) परिदृश्य

एम.ए.एच.एस.आर. प्रोजेक्ट, मुंबई में बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लैक्स से प्रारंभ होकर, अहमदाबाद में साबरमती रेलवे स्टेशन के नजदीक समाप्त होता है। एम.ए.एच.एस.आर. कॉरिडोर का लगभग संरेखण (508 किमी.) है जो क्रमशः, गुजरात (8 जिलों में), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव तथा महाराष्ट्र (3 जिलों में) से होकर गुजरेगा। उपरोक्त हाई स्पीड रेल कॉरीडोर में (i)12 स्टेशन होंगे, जिनके नाम हैं, मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद-नाडियाड, अहमदाबाद और साबरमती। (ii) तीन चल स्टॉक डिपो भी है जो क्रमशः ठाणे और सूरत दोनों जगहों पर एक डिपो और साबरमती में एक डिपो -सह- वर्कशॉप । (iii) ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओएचई) लाइनों, ट्रैक, आदि के लिए आठ रखरखाव डिपो; तथा (iv) दो पुष्टिकरण कार डिपो है । परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत रुपये 1,08,000 करोड़ के (लगभग) है।

ख) एमएसएस, एसएस और टीएस को अंतिम रूप देना

i) विशिष्टताओं तथा मानकों की नियमावली (एमएसएस) –
वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जापानी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर चल स्टॉक (संस्करण 3) और विद्युत् आपूर्ति प्रणाली (संस्करण 1.05) (जिसमे ओ.एच.ई, ट्रैक्शन विद्युत् प्रणाली, मध्यम वोल्टेज / निम्न वोल्टेज, शामिल है) के लिए एमएसएस के संशोधित संस्करण को अपनाया है।

ii) विशिष्टता और मानक (एसएस) –
वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने चल स्टॉक (संशोधन 3) के लिए एसएस के संशोधित संस्करण को भी अपनाया है।

iii) तकनीकी विशिष्टता (टीएस) –

सेतु सिविल कार्य , इस्पात संविरचन कार्य, सुरंग निर्माण कार्य, और स्टेशन की वास्तुकला, यांत्रिक, विद्युत, और नलसाजी कार्यों के लिए टीएस को अंतिम रूप दिया गया है।

विद्युत् आपूर्ति प्रणाली के लिए टीएस, ओ.एच.ई. के लिए निरीक्षण तथा अनुरक्षण कारों की समीक्षा और टिप्पणी पिछले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई थी। यह उम्मीद की जाती है कि टीएस का अंतिम संस्करण 2020-21 में जनरल कंसल्टेंट्स यानी जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स कंसोर्टियम (JICC) द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अलावा, कंपनी ने चार पैकेजों (अर्थात सी -3, सी -7, सी -8 और डी -2) में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल (ई & एम) कार्यों की समीक्षा की है और टीएस का अंतिम संस्करण 2020-21 में जनरल कंसल्टेंट्स द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तीन पैकेजों (अर्थात सी 1, सी 2 और सी 6) में ई & एम कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है और तदनुसार, वर्ष के दौरान निविदाएं मंगाई गई हैं ।

ट्रैक कार्यों के लिए ड्राफ्ट विनिर्देशों को तैयार किया जा चुका है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

यात्री टर्मिनल हब, साबरमती, गुजरात में भू तल स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर

iv) कार्यान्वयन मानक

ट्रेन संचालन, सिगनलिंग और दूरसंचार, सिविल, ट्रैक, चल स्टॉक और विद्युत प्रणालियों के कार्यान्वयन मानकों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उन्हें निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा रहा है।

ग) डिजाइन

वर्तमान में, डिजाइन कार्य पूरे जोरों पर हैं। वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रमुख डिजाइन कार्य निम्नानुसार हैं:

i) मुंबई के बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स (बी.के.सी.) में टर्मिनल स्टेशन को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम.एम.आर.डी.ए.) की भूमि पर भूमिगत स्टेशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

एम.एम.आर.डी.ए. ने वाणिज्यिक विकास को अधिकतम रूप प्रदान करने के लिए, इस स्टेशन के उपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेन्टर (आई.एफ.एस.सी.) के गगन-चुंबी इमारतों की योजना बनाई है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (टी.सी.ई.) ऊपर की इमारत के वजन को ध्यान में रखते हुए, भूमिगत स्टेशन का समेकित डिजाइन बना रहा है। IIT - मुंबई को उक्त डिजाइन के लिए प्रूफ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। टी.सी.इ. ने C1- पैकेज के लिए डिजाइन और ड्राइंग पूरी कर ली है। C1- पैकेज के लिए निविदायें आमंत्रित की गई हैं।

ii) वर्ष के दौरान, स्टेशन योजना के लिए संकल्पना डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा चुका है और दस एच.एस.आर. स्टेशनों (अर्थात वापी, बिलिमोरा, बोईसर, सूरत, भरूच, आनंद, बीकेसी, अहमदाबाद, विरार और साबरमती) के लिए निविदा के लिए विस्तृत कार्य के पूरा होने के अतिरिक्त वडोदरा और ठाणे एच.एस.आर. स्टेशनों के लिए निविदा के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रक्रिया में है ।

iii) रेल परिवहन के विभिन्न साधनों अर्थात भारतीय रेलवे, मेट्रो रेल और एच.एस.आर. को एकीकृत करने के लिए अहमदाबाद में एचएसआर स्टेशन से सटे स्टेशन प्रवेश द्वार भवन की योजना भी विकसित की गई है।

iv) वर्ष के दौरान, पांच स्टेशनों (अर्थात आनंद, सूरत, बिलिमोरा, बोईसर और विरार) के लिए मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदन के लिए स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। यह तीन स्टेशनों (अर्थात वडोदरा, अहमदाबाद, और साबरमती) के लिए एमएमआई योजनाओं के अलावा है जो पिछले वर्षों के दौरान सभी हितधारकों द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात अनुमोदित किया जा चुका है।

v) ओ.एच.ई. और ट्रैक्शन प्रणाली के लिए किए गए सिमुलेशन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, ओ.एच.ई., ट्रैक्शन पावर वितरण सिस्टम प्रणाली और वितरण विद्युत् आपूर्ति प्रणाली के लिए मूल डिजाइन तैयार किया गया है। इस तरह के मूल डिजाइन के आधार पर, ई -1 (पावर सप्लाई पार्ट) अनुबंध पैकेज के लिए तकनीकी विनिर्देश पूरे हो गए हैं।

vi) ट्रैक डिजाइन, विशिष्टतायें और ट्रैक कार्यों के लिए निविदा - कंपनी ने 'जे टाइप स्लैब ट्रैक' संरचना का उपयोग प्रस्तावित किया है जैसा कि जापान में शिंकानसेन में इस्तेमाल किया गया था। आरसी ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब और ट्रैक सामग्रियों के लिए तकनीकी विशिष्टताओं को ट्रैक कार्यों के लिए निविदाओं में शामिल करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रबलित कंक्रीट (आरसी) ट्रैक बेड, ट्रैक स्लैब आदि के लिए मानक डिजाइन पूरा हो गया है। उपरोक्त डिज़ाइन और विशिष्टताओं के आधार पर, ट्रैक कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

vii) वडोदरा में प्रस्तावित एचएसआर संरेखण में संशोधन - एचएसआर संरेखण जिसमें 220 मीटर स्पैन पुल; 440 मीटर समग्र लंबाई, और पुल की लगभग 50 मीटर की ऊंचाई के साथ मौजूदा वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पूरे यार्ड को पार कर रहा था।

चूंकि पुल के ट्रस की ऊंचाई नागरिक उड्डयन के प्रतिबंधात्मक क्षेत्र में आ रही थी और इसका निर्माण बहुत मुश्किल था, इसलिए एन.एच.एस.आर.सी.एल. द्वारा संरेखण में बदलाव का सुझाव दिया गया था और प्रस्ताव के गुण-दोष को देखते हुए जापानी पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। संशोधित योजना में मानक पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट (PSC) गर्डर का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कोई इस्पात संरचना नहीं है। इससे निर्माण लागत, संचालन और रखरखाव लागत की बचत और निर्माण समय में कमी आएगी। एचएसआर वायडक्ट की विस्तृत योजना और प्रोफाइल एवं संशोधित संरेखण हिस्से की संरचनाओं का डिजाइन किया जा रहा है।

viii) शेष तीन कैंटीलीवर ब्रिज (कुल छह में से) और मेन लाइन पर वायडक्ट के लिए उप-संरचना और नींव विस्तार के लिए स्टैंडर्ड डिजाइन को जापानी एक्सपर्ट कमेटी ने अंतिम रूप और अनुमोदित किया है। शेष तीन कैंटीलीवर पुल और छह लम्बे स्टील पुल के लिए विस्तृत डिजाइन भी पूरा कर लिया गया है।

610 (छह सौ दस) मानक डिजाइन और 15500 (पंद्रह हजार पांच सौ) विस्तृत डिजाइन के अतिरिक्त, स्टेशनों और स्टेशन के पहुँच, डिपो / रखरखाव डिपो के लिए पहुँच और नदी के पुलों सहित मुख्य वायडक्ट के लिए आरेख तैयार कर लिए गए हैं।

गुजरात के भरूच जिले के कोठी वंतर्शा गाँव में रास्ते के अधिकार को चिन्हित करना और पिलर गाड़ना

ix) सूरत डिपो और चार स्टेशनों (अर्थात भरूच, वापी, बिलिमोरा, और सूरत) ई & एम कार्यों के लिए डिजाइन बेसिस रिपोर्ट आपकी कंपनी द्वारा जनरल कंसल्टेंट की सिफारिश पर स्वीकार कर ली गई है।

x) साबरमती टर्मिनल हब बिल्डिंग के लिए विस्तृत डिजाइन ड्रॉइंग को अंतिम रूप दिया गया है और निर्माण पूरे जोरों पर है।

घ) निविदा :

एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण सहित संपूर्ण एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना को अब 26 अनुबंध पैकेजों के माध्यम से (दो पैकेजों को संयुक्त करने के बाद) निष्पादित करने की योजना है जिसमे प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित चार पैकेज भी शामिल हैं । इनमें से तीन पैकेज (प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित) जारी कर दिए गए हैं ।

2019-20 के दौरान आमंत्रित प्रमुख निविदाएं हैं:

i) सी -6 पैकेज [आनंद / नडियाद स्टेशन सहित चैनेज 401.898 किमी से चैनेज 489.467 किमी के बीच पुलों और वायडक्ट के लिए];
ii) सी -1 पैकेज [बीकेसी स्टेशन, मुंबई के लिए];
iii) सी -2 पैकेज [मुंबई में 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत समुद्र सुरंग के लिए];
iv) पी -2 और पी -3 पैकेज [विशेष रूप से पुल जीएडी के लिए- क्रमशः 10 और 11 के लिए];
v) पी -1 (बी) और पी -1 (सी) पैकेज [क्रमशः नौ और पांच पुलों के निर्माण के लिए]; तथा
vi) पी -4 पैकेज [तैंतीस पुलों के लिए स्टील सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण और परिवहन के लिए]।

पुल 1 के तहत सड़क - निर्माणाधीन - चिमनभाई पुल की ओर जाने का रास्ता, अहमदाबाद, गुजरात

ङ) मौजूदा रेलवे सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण:

एच.एस.आर. स्टेशनों को साबरमती और अहमदाबाद में भारतीय रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि भारतीय रेलवे, मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे के बीच यात्री यातायात को सुगम बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण मौजूदा भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के करीब आ रहीं हैं, जिसमें अहमदाबाद क्षेत्र में चलने वाली लाइनें, रेलवे प्लेटफार्म और अन्य रखरखाव प्रसुविधाएं और अहमदाबाद में रेलवे के विभिन्न कार्यालय; लगभग 19 किमी तक साबरमती से वातवा के बीच रेलवे सिगनलिंग; संचार एवं विद्युत प्रणालियां आदि शामिल हैं ।

साबरमती में प्रस्तावित एच.एस.आर. स्टेशन से सटे एक डिपो की योजना है, जहां विभिन्न रेलवे सुविधाएं जैसे स्टोर डिपो ,केंद्रीय आवधिक ओवरहॉलिंग (सी.पी.ओ.एच.) कार्यशाला; इंजीनियरिंग कार्यशाला; फ्लैश बट वेल्डिंग (एफबीडब्ल्यू) संयंत्र; कॉनकोर साइडिंग; मौजूद है। इन सुविधाओं / प्रणालियों को वर्तमान स्थानों से नए स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन (एम.ए.एच.एस.आर. संरेखण का उल्लंघन करने वाली) और अन्य प्रणालियों को भी स्थानांतरित किया जाना है या प्रणाली मालिकों के साथ बातचीत करके इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है।

फ्लैश बट वेल्डिंग वर्कशॉप, अहमदाबाद, गुजरात में गैन्ट्री 1 - बीम की स्थापना

वर्ष के दौरान मौजूदा रेलवे सुविधाओं और प्रणालियों के स्थानांतरण की प्रगति / स्थिति निम्नानुसार है:

क) भूमिगत केबलों, पानी की पाइपलाइनों, सीवरेज लाइनों, गैस और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों और भंडारण स्थापना, ओएफसी केबलों, आदि की 3418 उपयोगिताओं को, जो पिछले वर्षों के दौरान प्रतिचित्रित की गई के अतिरिक्त ओवरहेड इलेक्ट्रिकल (ओ.एच.इ) लाइनों की 1651 उपयोगिताओं को 31 मार्च 2020 तक प्रतिचित्रित किया गया है। इसके साथ, एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के पूर्ण संरेखण के लिए उपयोगिताओं को प्रतिचित्रित कर लिया गया है।

ख) वर्ष के दौरान, 2018-19 में एक्सट्रा हाई टेंशन लाइनों को शिफ्ट करने के लिए एमओयू साइन किए जाने के तहत गुजरात में पीजीसीआईएल द्वारा स्थानांतरित की गई 6 ओ.एच.ई लाइनों सहित 411 ओ.एच.ई लाइनों (उपरोक्त 1651 में से) को संशोधित / स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ, 31 मार्च 2020 तक संचयी स्थानांतरित ओ.एच.ई लाइनें 935 तक हो गई हैं ।

220 केवी लाइन का टॉवर निर्माण (यानी वापी / खरपद और वापी / मंगलवाडे क्रॉसिंग चेनेज (169.334) वापी, गुजरात

टॉरेंट पावर लिमिटेड द्वारा वातवा, अहमदाबाद, गुजरात में टॉवर की स्थापना और स्ट्रिंगिंग कार्य

ग) अहमदाबाद में पांच (05) ओएनजीसी तेल कुओं का स्थानांतरण / परित्यक्त पूरा हो गया है।

घ) अहमदाबाद के पास ओएनजीसी पाइपलाइनों के स्थानांतरण में, 50% की प्रगति हासिल कर ली गई है। शेष कार्य प्रगति पर है और 2020-21 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

ङ) कॉनकोर के अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की शिफ्टिंग में लगभग 93% की संचयी प्रगति हासिल किया गया है।

च) पश्चिम रेलवे की आस्तियों अर्थात इंजीनियरिंग कार्यशाला, स्टोर डिपो, केंद्रीय आवधिक ओवरहॉलिंग कार्यशाला, आदि निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2020-21 के दौरान पूरा होने की उम्मीद है।

छ) अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों में सिगनलिंग केबल और गियर्स का स्थानांतरण, एवं अहमदाबाद और वडोदरा स्टेशनों पर पश्चिम रेलवे से संबंधित संचार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) सम्बंधित उपकरण की शिफ्टिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

च) एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान

एच.एस.आर. प्रशिक्षण संस्थान वडोदरा में एक समर्पित हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान बनाया जा रहा है। इस संस्थान में जापान के शिन शिराकावा में स्थिति ईस्ट जापान रेलवे कंपनी (जेआर-ईस्ट) के हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समकक्ष सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे ड्राइवर सिमुलेटर, ट्रैक सर्किट, ओएचई में सम्मिलित

विद्युत् आपूर्ति, सैंपल ट्रैक आदि। वडोदरा का हाई स्पीड रेल प्रशिक्षण संस्थान, ज्ञान के एक केन्द्र तथा भारत में भविष्य में बनाई जाने वाली अन्य हाई स्पीड कॉरिडोरों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह भी काम करेगा।

वर्ष के दौरान, स्लैब ट्रैक के साथ 100 मीटर प्रशिक्षण लाइन (TI - 2 पैकेज) का कार्य पूरा हो गया है।

वडोदरा (TI-3 पैकेज) में प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवन (चरण- I) का निर्माण 31 मार्च 2020 को पूरा हो गया है। अधिकारियों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए उक्त भवन में विभिन्न निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

वर्ष के दौरान, नए कर्मचारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण, कंपनी की संस्कृति, लोकाचार, कार्यों, नियमों और नीतियों को समझने के लिए उन्हें जापानी संस्कृति संवेदीकरण के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त एच.एस.आर स्लैब ट्रैक कास्टिंग से लेकर ; परिवहन और निर्माण प्रशिक्षण; सुरक्षा प्रशिक्षण; डिजिटल सर्वेक्षण; FIDIC शर्तों पर प्रशिक्षण; नियोजन, निर्धारण, निगरानी और बिलिंग प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण; आदि विभिन्न विषयों पर 280 कर्मचारियों को 529 श्रमिक -दिन का प्रशिक्षण दिया गया।

ड्राइंग बोर्ड से लेकर जमीनी हकीकत तक - एचएसआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वडोदरा, गुजरात

छ) विद्युत् आपूर्ति स्रोत के क्रियाकलाप

आपकी कंपनी एक "मानद लाइसेंसधारी" के रूप में, गुजरात तथा महाराष्ट्र के विद्युत् प्राधिकारियों से एम.ए.एच.एस.आर. सब-स्टेशनों (ट्रैक्शन सब-स्टेशन : 14, गैर-ट्रैक्शन सब-स्टेशन : 15) के लिए विद्युत् आपूर्ति के स्रोतों की व्यवस्था के लिए कनेक्शन प्रदान कर दिया है।

31 मार्च 2020 तक, गुजरात और महाराष्ट्र विद्युत आपूर्ति कंपनियों के साथ 28 (29 में से) सबस्टेशनों के लिए पावर सोर्सिंग के निर्माण और कमीशनिंग की व्यवस्था की गई है।

उक्त विद्युत आपूर्ति कंपनियां अब अपने ग्रिड सबस्टेशनों से लेकर एम.ए.एच.एस.आर. सबस्टेशनों तक ट्रांसमिशन लाइन / केबल नेटवर्क के निविदाओं और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और उनके ग्रिड सबस्टेशनों का संवर्द्धन कर रही हैं।

भारत में स्टील पुलों के विरचना की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति समिति का गठन किया गया था। इस अध्ययन के आधार पर , पहले के बजाय जिसमे केवल जापानी नेतृत्व वाली कंपनी के लिए था, भारतीय कंपनियों के लिए स्टील फैब्रिकेशन खोला गया है, जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा।

ज) भूमि अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, 31 मार्च 2020 तक समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

i) संयुक्त मापन सर्वेक्षण (जे.एम.एस.) रिपोर्ट के आधार पर, 2019-20 के दौरान और 31 मार्च 2020 तक अधिग्रहित भूमि की स्थिति के साथ एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि की आवश्यकता इस प्रकार है:

राज्य	**प्रभावित गाँव की संख्या**	**भूमि की आवश्यकता (हेक्टे. में)/प्लॉट (संख्या में)**					**अर्जित**		**टिप्पणी**
		सरकारी	**निजी**	**भारतीय रेल**	**जंगल**	**कुल**	**2019-20 के दौरान**	**संचयी 31 मार्च 2020 तक**	
गुजरात	198	86.86 हेक्टे / 915	740.34 हेक्टे/ 5720	125.87 हेक्टे/ 95	2.83 हेक्टे/ 10	**955.9** हेक्टे**/ 6740**	307.26 हेक्टे	**719.26** हेक्टे	इसमें सहमति और नियमित पंचाट के माध्यम से 528.34 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल हैं
महाराष्ट्र	97	60.43 हेक्टे / 324	273.6 हेक्टे/ 2254	1.63 हेक्टे / 6	95.85 हेक्टे / 190	**431.51** हेक्टे**/ 2774**	32.38 हेक्टे	**94.38** हेक्टे	प्रत्यक्ष खरीद विधि के माध्यम से 36.68 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है
दादरा और नगर हवेली (डी.डी. और डी. एन.एच.)	2	1.70 हेक्टे / 10	7.26 हेक्टे / 129	0	0	**8.96** हेक्टे**/ 139**	7.13 हेक्टे	**7.13** हेक्टे	नियमित पंचाट के माध्यम से
कुल	**297**	**148.99** हेक्टे**/ 1249**	**1021.20** हेक्टे**/ 8103**	**127.50** हेक्टे**/ 101**	**98.68** हेक्टे**/ 200**	**1396.37** हेक्टे**/ 9653**	**346.77** हेक्टे	**820.77** हेक्टे	

ii) 295 गाँवों (कुल 297 गाँवों में से) यथा गुजरात में 198 गाँव, महाराष्ट्र में 95 गाँव तथा केंद्र शासित प्रदेश डी.डी. और डी. एन.एच. में 2 गाँव के लिए जे.एम.एस. रिपोर्ट को पूरा किया जा चुका है।

iii) सामाजिक प्रभाव आंकलन (एस.आई.ए.) से छूट का अनुमोदन मिल चुका है और राज्य में सभी 97 गाँवों के लिए महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गई है (2018-19 के दौरान सभी 198 गांवों के लिए गुजरात सरकार द्वारा एस.आई.ए. से छूट पहले ही अधिसूचित की जा चुकी थी)।

झ) पर्यावरणीय आंकलन, वैधानिक अनुमतियाँ और वृक्ष प्रत्यारोपण:

पर्यावरणीय और वैधानिक अनुमतियाँ में प्राप्त प्रगति निम्नानुसार है:

i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने दिनांक 05.04 2019 के पत्र संख्या 11-12/2019-IA-III के तहत्, मुंबई, मुंबई उप-शहरी, ठाणे और पालघर जिलों में कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सी.आर.जेड) क्लीयरेंश की मंजूरी प्रदान कर दी है (गुजरात के भरुच जिले में नर्मदा नदी पर कोस्टल रेगुलेटरी जोन (सी.आर.जेड) क्लीयरेंश 2018-19 के दौरान पहले ही प्राप्त हो चुकी थी) ।

वृक्ष प्रत्यारोपण, वडोदरा, गुजरात

ii) वन क्लीयरेंश - परियोजना में गुजरात में संरक्षित / आरक्षित वन भूमि (5.847 हेक्टेयर) और महाराष्ट्र में (129.7197 हेक्टेयर) का पथांतर शामिल है। वन क्लीयरेंस (स्टेज I) क्रमशः पत्रांक संख्या एफ नं. 6-GjC08/2018-BHO/452 दिनांक 6 जून 2019 और एफ नं. FC-III/MH-38/2018-NGP/5188 दिनांक 10 अप्रैल 2019 द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के लिए प्राप्त किया गया है।

iii) कंपनी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई कदम उठा रही है जैसे वन विभाग द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वृक्षों (यानी वन वृक्ष) के प्रतिपूरक वृक्षारोपण और अन्य वृक्ष जो यद्यपि वन क्षेत्र में नहीं आते हैं (यानी गैर-वन पेड़ो) लेकिन जे.एम.एस. अध्ययन के अनुसार प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता है, अतिरिक्त काटने के स्थान पर पेड़ो के प्रत्यारोपण का सहारा लेना, आदि। कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक 1846 पेड़ प्रत्यारोपित किए हैं, और 713 अतिरिक्त पेड़ क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के कारण लगाए हैं।

iv) उपरोक्त सी.आर.जेड क्लीयरेंश / वन क्लीयरेंश/ वन्य-जीवन की क्लीयरेंश, वन्यजीव निगरानी / संरक्षण, आदि के लिए प्रतिपूरक वनीकरण / समग्र धन कोष जमा करना नियत करती है। तदनुसार, कंपनी ने अपेक्षित राशि जमा की है:

क) महाराष्ट्र में:

- समुद्री और मैंग्रोव जैव विविधता संरक्षण फाउंडेशन मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए 1: 5 के अनुपात में सी.आर.जेड क्लीयरेंश के अनुसार; और फ्लेमिंगो, मुडफ्लैट, और मैंग्रोव निगरानी, संरक्षण और शमन के लिए 1.23 करोड़ रुपये और 135 करोड़ रुपये क्रमशः का समग्र धन कोष।
- स्टेज I अनुमोदन के अनुसार, पेड़ो के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए वन विभाग के क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए कोष) में 30.44 करोड़ रुपये ।
- स्टेज I अनुमोदन के अनुसार, डिस्टर्ब क्षेत्र के बराबर में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए 1: 5 के अनुपात में मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के सीएएमपीए कोष में रुपये 42.31 लाख।
- अभ्यारण्य और आसपास के जंगल के पर्यावास सुधार के लिए ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को 9.92 लाख रुपये।
- स्टेज I अनुमोदन के अनुसार, वन विभाग द्वारा अध्ययन की सिफारिश के अनुसार कृत्रिम पक्षी घोंसले के लिए वन विभाग के सीएएमपीए फंड में 8.48 लाख रुपये।

ख) स्टेज I अनुमोदन के अनुसार, गुजरात में, वन वृक्षों के प्रतिपूरक वनीकरण और एनपीवी के लिए वन विभाग के फंड में 93.51 लाख रुपये।

कुदसाद, सूरत, गुजरात के ग्रामीणों के लिए रोजगार का अवसर

ञ) पुनर्वास कार्य योजना (आर.ए.पी.)

जे.आई.सी.ए. को अगस्त 2018 में, आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. के तहत सौंपी गई, पुनर्वास कार्य योजना (आर.ए.पी.) रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों की योजना (आई.पी.पी.) के साथ एक आर.ए.पी. बनाई गई है, ताकि परियोजना के प्रभावों का आंकलन किया जा सके और प्रभाव को कम करने के उपायों को विकसित कर योजना से प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) को मुआवजा प्राप्त करने, आर.एण्ड आर. सहायता के साथ दूसरे उपायों जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक मानक और जीविकोपार्जन क्षमता को सुधारने के उपाय हैं, में सहायता दी जा रही है। परियोजना के लिए प्रस्तावित आमदनी नवीकरण योजना (आई.आर.पी.) का उद्देश्य परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एच.) की आमदनी को परियोजना पूर्व स्तरों या उससे अच्छी स्थिति तक विकसित करना है और यह परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में पी.ए.एच. के पुनर्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पी.ए.एच. के पास उनकी वर्तमान गतिविधियों एवं कौशलों का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में से एक को चुनने का अवसर होगा। सभी पी.ए.पी. को उपलब्ध विकल्पों के बारे में उचित जानकारी हो और उन्हें भागीदारी का पर्याप्त अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है।

2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने पी.ए.एच. के लिए कौशल संवर्धन प्रशिक्षण, सिलाई और सिलाई पाठ्यक्रम, और उद्यमिता कार्यक्रम जैसे विभिन्न आई.आर.पी. शुरू किए हैं।

कौशल संवर्धन प्रशिक्षण के लिए, गुजरात में लगभग सात संस्थानों और महाराष्ट्र में चार संस्थानों को चयनित किया गया है। 31 मार्च 2020 तक, लगभग 352 पी.ए.पी. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत किए गए थे {1386 पी.ए.पी. में से जिन्होंने आई.आर.पी. के तहत प्रशिक्षण के लिए इच्छा जताई थी}। 31 मार्च 2020 तक, गुजरात राज्य के अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, वडोदरा और भरूच जिलों में लगभग 185 पी.ए.पी. (उक्त पंजीकृत पी.ए.पी. में से) सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। 89 पी.ए.पी. का प्रशिक्षण चल रहा है।शेष पी.ए.पी. भी कोविड -19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के आधार पर उत्तरोत्तर प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे।

आय बहाली योजना प्रशिक्षण, अहमदाबाद, गुजरात के प्रतिभागियों को सिलाई मशीन वितरण

वसई तालुका, पालघर, महाराष्ट्र में आय बहाली योजना के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

महिलाओं को आय सृजन के लिए अपना कौशल क्षमता में वृद्धि में सक्षम बनाने के लिए, आपकी कंपनी द्वारा फरवरी - मार्च 2020 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.यस.ई.टी.आई.) के सहयोग से अहमदाबाद में चेनपुर और रोपड़ा गाँवों की महिलाओं के लिए एक महीने का सिलाई और सिलाई का कोर्स आयोजित किया है। इस पाठ्यक्रम में 23 महिलाओं (चेनपुर की 9 महिलाओं और रोपड़ा की 14 महिलाओं) ने भाग लिया, जिन्हें प्रशिक्षण की समाप्ति पर सिलाई मशीनें दी गईं।

'कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कार्यक्रम' नामक 45 दिनों का उद्यमिता कार्यक्रम आपकी कंपनी द्वारा जून-जुलाई 2019 में आर.यू.डी.यस.ई.टी. (ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के सहयोग से वडोदरा, गुजरात में आयोजित किया गया था, जिसमें 28 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। प्रशिक्षण का बल आईटी व्यवसाय प्रदान करने के साथ-साथ स्वयं का व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए ज्ञान प्रदान करना था।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) पुरस्कार [जिसमें स्थानांतरण के लिए परिवहन अनुदान; जीवन-निर्वाह अनुदान ; छोटे व्यापारियों को एकमुश्त अनुदान; पुनर्वास भत्ता; वार्षिकी; घर के निर्माण के लिए एक बार वित्तीय सहायता, खुदरा दुकानें, पशु शेड, आदि; नई आस्तियों की खरीद पर पी.ए.पी. को स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति; आदि शामिल हैं।] शुरू किया गया है जो एम.ए.एच.एस.आर. परियोजना के प्रत्येक पी.ए.एच. के लिए पात्रता मैट्रिक्स के व्यक्तिगत प्रभाव पर, जे.आई.सी.ए. सामाजिक और पर्यावरण विचार नीति 2010, और मुआवजा और भूमि अर्जन में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित अधिकार अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची पर आधारित है ।

वर्ष के दौरान, कुल 667 भूखंडों [अर्थात गुजरात राज्य में 569 भूखंड और केन्द्र शासित प्रदेश डी.डी. और डी.एन.एच. में 98 भूखंड] के लिए आर एंड आर अवार्ड घोषित किए गए हैं ।

गुजरात के सूरत के नियोल गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति शिविर

गुजरात के भरूच में भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति शिविर

ट) सामाजिक विकास के कार्य

कंपनी ने विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न हितधारकों के अनुरोध को पूरा करने के लिए परियोजना क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में सामाजिक विकास कार्यों (एस.डी.डब्ल्यू.) का संचालन किया है।

ये एस.डी.डब्ल्यू. कंपनी द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापना, भूमि मुआवजा, और सी.एस.आर जैसी अन्य पहलों के अतिरिक्त हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान की गई एस.डी.डब्ल्यू. गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

i) पालघर जिले के लिए ग्राम विकास कार्य - जिला प्रशासन, पालघर के परामर्श से विकासात्मक कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इन योजनाओं के तहत, प्रभावित ग्रामीणों को विकासात्मक कार्यों को चुनने का एक विकल्प दिया जाता है, जो कि उनके गाँव में जनसंख्या, आदि जैसे परिभाषित मानदंडों के आधार पर प्रत्येक गाँव के लिए निर्धारित मौद्रिक सीमा के भीतर आवश्यक होते हैं। पंचायत और ग्रामीणों के साथ इस तरह के विचार-विमर्श की शुरुआत दिसंबर 2019 से हुई है।

ii) मॉनसून जल भंडारण के लिए वर्तमान जल स्रोतों आदि को विगादन करने के साथ तालाबों के किनारे को गहरा और साफ करने के लिए खेड़ा जिले, गुजरात को वित्तीय सहायता।

iii) राज्य चुनाव के लिए दिव्यांग मतदाताओं के लिए कलेक्टर पालघर को 50 व्हीलचेयर का दान।

अन्य हाई स्पीड रेल (HSR) कॉरिडोर परियोजनाएं

आपकी कंपनी को रेलवे मंत्रालय के पत्र नंबर 2019/ इन्फ्रा/12/1 दिनांक 13 नवंबर 2019 के माध्यम से वर्ष के दौरान निम्नलिखित छह नए एच.एस.आर. कॉरिडोरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करने का काम सौंपा गया है:

i) दिल्ली - वाराणसी एच.एस.आर. (865 किमी के लिए);

ii) दिल्ली - अहमदाबाद एच.एस.आर. (886 किमी के लिए);

iii) मुंबई - नागपुर एच.एस.आर. (753 किमी);

iv) मुंबई - हैदराबाद एच.एस.आर.(711 किमी के लिए);

v) चेन्नई - मैसूर एच.एस.आर. (435 किमी के लिए); तथा

vi) दिल्ली - अमृतसर एच.एस.आर. (459 किमी के लिए)]

वर्ष के समापन के बाद, वाराणसी से हावड़ा (760 किमी) के लिए एच.एस.आर. कॉरिडोर के लिए डी.पी.आर तैयार करने का एक और अतिरिक्त कार्य भी आपकी कंपनी को सौंपा गया है।

कंपनी द्वारा इन कॉरिडोरों के संबंध में डी.पी.आर कार्य करने के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

क. दिल्ली-वाराणसी एच.एस.आर.

i) कंपनी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नक्शे और मौजूदा अध्ययन / डेटा और प्रारंभिक मार्ग विकास के लिए डेस्कटॉप अध्ययन के संग्रह का काम पूरा कर लिया है और प्रस्तावित कॉरिडोर के विस्तृत डिजाइन के लिए उपग्रह इमेजरी डेटा की खरीद भी की है।

ii) कंपनी ने राइडरशिप स्टडी / यातायात अध्ययन के सर्वे के लिए सलाहकार नियुक्त किया है।

iii) ओ.एच.ई और ट्रैक्शन एंड विद्युत् सप्लाई वितरण प्रणाली के लिए मूल डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद:

i) कंपनी ने डी.पी.आर. तैयार करने के लिए (ए) चल स्टॉक, चल स्टॉक डिपो, निरीक्षण और रखरखाव कारें, रखरखाव डिपो और संबद्ध विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और (बी) सिगनलिंग कम्युनिकेशन, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओ.सी.सी.), प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर (पी.एस.डी) और टिकट सिस्टम / स्वचालित किराया संग्रह (ए.एफ.सी) सिस्टम के लिए सलाहकार नियुक्त किया है ।

ii) एरियल लिडार सर्वेक्षण और अंतिम स्थान सर्वेक्षण; पर्यावरण प्रभाव आंकलन; जीएडी की तैयारी; और डीपीआर तैयार करने के लिए डेटा संग्रह और संबद्ध सर्वेक्षण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित है।

iii) उपयोगिता सर्वेक्षण और पावर सोर्सिंग; सामाजिक प्रभाव आंकलन; 300 किमी एचएसआर गति के लिए ट्रैक संरचना / सुपरस्ट्रक्चर का डिजाइन और निर्माण; और सिगनलिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की खरीद के कार्य के संबंध में ठेका प्रदान कर दिया गया है।

ख. अन्य छह एच.एस.आर. कॉरिडोर

आपकी कंपनी ने अन्य छह कॉरिडोर के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानचित्रों के संग्रह और मौजूदा अध्ययन / डेटा और प्रारंभिक मार्ग विकास के लिए डेस्कटॉप अध्ययन के काम के ठेके प्रदान कर शुरुआत कर दी है।

वर्ष के समापन के बाद, कंपनी ने (ए) चल स्टॉक, चल स्टॉक डिपो, निरीक्षण और रखरखाव कारें, रखरखाव डिपो और संबद्ध विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और (बी) सिगनलिंग कम्युनिकेशन, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (ओ.सी.सी.), प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन डोर (पी.एस.डी) और टिकट सिस्टम / स्वचालित किराया संग्रह (ए.एफ.सी) सिस्टम के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में इनपुट प्राप्त करने के लिए सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, सिगनलिंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की खरीद का कार्य और 300 किमी एचएसआर गति के लिए ट्रैक संरचना / सुपरस्ट्रक्चर का डिजाइन और निर्माण के संबंध में ठेका प्रदान कर दिया गया है ।

वित्तीय रूपरेखा

क. वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताओं के साथ निष्पादन

आपकी कंपनी ने अभी व्यावसायिक संचालन शुरु नहीं किया है। इस वर्ष के दौरान, कोई परिचालन आय नहीं हुई है, हालांकि, कंपनी ने 78.26 करोड़ रु. का ब्याज आय अर्जित किया है।

वित्तीय प्रदर्शन संकेतक :

(करोड़ रु. में)

क्रम.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	परिचालन आय	**शून्य**	**शून्य**
2	अन्य आय	**78.26**	**68.27**
3	कर-पूर्व लाभ	**70.41**	**62.95**
4	करोपरांत लाभ	**55.92**	**46.10**
5	निवल मूल्य	**7700.74**	**3124.48**
6	प्रतिधारित आय के लिए हस्तांतरण	**51.27**	**44.29**

ख. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान 588.91 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा व्यय को छोड़कर आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा आय अर्जित नहीं की है ।

ग. शेयर पूंजी की संरचना

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार (जी.ओ.आई.), गुजरात सरकार (जी.ओ.जी.) और महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में योगदान करेगी।

31 मार्च 2020 तक, आपकी कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी 7,580 करोड़ रुपये है जिसे भारत सरकार (यथा 7450 करोड़ रुपये) और गुजरात सरकार (यथा 130 करोड़ रुपये) द्वारा योगदान दिया गया है।

अनुपालन

क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन

i) **जमा**

इस वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

ii) **इंटर-कार्पोरेट ऋणों, प्रतिभूतियों या निवेशों का विवरण**

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 186 अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कोई भी इंटर-**कॉरपोरेट** ऋण प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं प्रदान की है या कोई निवेश, (सुरक्षित या असुरक्षित), नहीं किया है।

iii) **संबंधित पक्ष के लेन-देनों का प्रकटीकरण**

संबंधित पक्ष के लेन-देनों का विस्तृत प्रकटीकरण, वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों में नोट सं. 32 के तहत् दिया गया है।

iv) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई **क्रेडिट रेटिंग** प्राप्त नहीं की है।

v) चूंकि आपकी कंपनी अभी निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, अतः 2019-20 के दौरान शेयरधारकों के लिए किसी प्रकार के **लाभांश** की अनुशंसा नहीं की गई है।

vi) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी के **व्यवसाय की प्रकृति** में कोई बदलाव नहीं आया था।

vii) ये वित्तीय विवरण जिस अवधि से संबंधित हैं, उस वित्तीय वर्ष के समापन तथा रिपोर्ट करने की तारीख के बीच, ऐसे कोई वस्तुगत बदलाव और वादे नहीं हुए हैं, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले हों।

viii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार **लागत रिकार्डों का अनुरक्षण** लागू नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी ने व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है और तदनुसार 2019-20 के दौरान कंपनी का कोई व्यवसायिक टर्नओवर नहीं है।

ix) **सचिवीय मानकों का अनुपालन**

आपकी कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) के द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

x) **जोखिम प्रबंधन**

आपकी कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम करना शुरू कर दिया है। आपकी कंपनी, वर्तमान में एक पूर्व परिचालन स्तर पर है । कंपनी नियमित आधार पर जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन और शमन की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

जहां तक संपत्ति और कुछ देनदारियों से जुड़े जोखिमों का संबंध है, संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समय पर और अनुशंसित उपाय करने के अलावा , इस तरह के जोखिमों को बीमा कंपनियों से उचित मूल्य के बीमा कवर प्राप्त कर संपत्तियों के जोखिम को कम किया गया है।

वित्तीय जोखिम के संबंध में, कंपनी ने बाहरी पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनियों को, आंतरिक लेखा परीक्षक के तौर पर शामिल कर, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए हैं। आंतरिक नियंत्रण और उपायों में सुधार के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और सी.एंड.ए.जी. ऑडिट टीम द्वारा प्रदान की गई सिफ़ारिशें समय-समय पर लागू की जाती हैं।

xi) समीक्षा अवधि के दौरान, नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनलों ने ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण एवं वस्तुगत आदेश नहीं पारित किया है जो जारी व्यवसाय की स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित करे।

xii) **ऊर्जा संरक्षण एवं ग्रीन हाई स्पीड रेल**

ऊर्जा संरक्षण को अपनाने वाले ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ई.सी.बी.सी.) के प्रावधानों को, सी -1 पैकेज [यानी बीकेसी स्टेशन, मुंबई]; सी -6 पैकेज [यानी आनंद और नडियाद स्टेशन सहित चैनेज 401.898 किमी से चैनेज 489.467 किमी वायाडक्ट्स और पुलों के बीच]; और सी -2 पैकेज [अर्थात मुंबई में 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग के बीच] के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, ग्रीन हाई स्पीड रेल (एच.एस.आर.) के पहले संस्करण की रेटिंग का विकास इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आई.जी.बी.सी.) के द्वारा किया गया है, जो भारत में किसी एच.एस.आर. परियोजना के लिए पहली बार किया गया है।

कोनकोर खोदियार मालगोदाम 2, साबरमती, गुजरात में बाहरी परिष्करण कार्य प्रगति पर

xiii) **तकनीकी समावेशन**

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने, एक ट्रस्ट यथा हाई स्पीड रेल इनोवेशन सेंटर (एच.एस.आर.आई.सी.) का गठन किया है जिसमें भारतीय तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर हाई-स्पीड रेल प्रौद्योगिकी के प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास हो, ताकि स्वदेशी क्षमताओं और लागत प्रभावी समाधानों के विकास के माध्यम से रेल परिवहन, एक खुशहाल समाज, और एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए योगदान दे सके। एच.एस.आर.आई.सी. ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया था जिसमें भारत और विदेश दोनों से अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया था उदाहरण के लिए, आईआईटी, टोक्यो विश्वविद्यालय । सलाहकार परिषद ने आगे के अनुसंधान और विकास के लिए हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं की पहचान की है:

1. भविष्य में एचएसआर और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों में स्वचालित यार्ड संचलन के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर-आधारित प्रणाली।
2. ट्रैक्शन विद्युत आपूर्ति के स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास।
3. ओएचई पेंटोग्राफ इंटरेक्शन के डिजाइन सत्यापन के लिए एक स्वदेशी सिमुलेशन मॉडल का विकास।
4. एच.एस.आर. और रेलवे अनुप्रयोगों के लिए प्रबलित पृथ्वी का डिजाइन (आर.ई.) दीवार को बनाये रखना और आर.ई की सीमा डिजाइन ।
5. हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए सीमेंट डामर मोर्टार (सीएएम) पर विस्तृत अध्ययन।
6. एचएसआर वायडक्ट का अनुकूलन ।
7. एच.एस.आर. अनुप्रयोगों के लिए अग्नि सुरक्षा और अग्निरोधी सामग्रियों का अध्ययन करना। एच.एस.आर कोच अपोल्स्टरी के लिए अग्निरोधी कपड़ों के चयन के लिए अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के अनुसंधान एसोसिएशन के साथ चर्चा चल रही है।

ख) वर्ष 2018-19 के दौरान आपकी कंपनी को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 151 के तहत कोई **अध्यक्षीय निर्देश** नहीं प्राप्त हुआ है।

ग) सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

आरटीआई अधिनियम, 2005 की कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम, सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

आमतौर पर आर.टी.आई. के प्रश्न, भूमि अधिग्रहण, नियुक्ति तथा बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में सामान्य सूचनाएँ, इत्यादि से संबंधित होते हैं और उनका जवाब सामान्यतः नियत समय में दे दिया जाता है। वर्ष के दौरान, प्राप्त होने वाले सभी 76 आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है।

ब्रिज वर्कशॉप, साबरमती, गुजरात में गोलियथ नींव का कार्य

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया है, इनमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं ग़लतियों की रोकथाम एवं पहचान करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय विवरण तैयार करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी के संचालन आकार, पैमाने और जटिलताओं के अनुरूप है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास

वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय, दिल्ली, में बैकअप स्टोरेज सर्वर का कार्य पूरा करने के अलावा अपनी वेबसाइट को नवीकृत किया है ।

वर्ष के समापन के बाद, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक उपयोग के उद्देश्य के लिए एक इंट्रानेट सुविधा विकसित की गई है। कंपनी ने ओरेकल (यूनिफ़ायर) से दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी मानव संसाधनों को बहुत महत्व देती है। कंपनी की एच.आर. नीतियाँ, उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करने और अपने साथ जोड़ने का उद्देश्य रखती हैं। कर्मचारियों को पी.एस.यू., मैट्रो कंपनियों, निजी क्षेत्र से नियुक्त किया जाता है या सामान्य तौर पर केंद्र / राज्य सरकारों के विभागों और केंद्रीय / राज्य पी.एस.यू. आदि से प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

कंपनी की श्रमशक्ति क्षमता 31 मार्च 2019 को 212 (प्रतिनियुक्ति पर रखे गए 51 सहित) से बढ़कर 31 मार्च 2020 तक 302 (प्रतिनियुक्ति पर रखे गए 60 सहित) हो गई है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वर्तमान विभिन्न कर्मचारी कल्याण के उपायों, जैसे कर्मचारियों के लिए एग्रोनॉमिक रूप से डिजाइन किए गए वर्कस्टेशन और लंबर सपोर्ट वाली कुर्सियाँ, कार्यस्थल पर कम आवाज वाला धूल-रहित वातावरण, कर्मचारियों के लिए पूल यातायात, एक विशेष उम्र के उपरांत कर्मचारियों के लिए नियमित निवारक स्वास्थ्य जाँच की सुविधा, इत्यादि को जारी रखने के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अन्य नीतियों / नियमों की समीक्षा और संशोधन सहित समावेश और पदोन्नति पर नीतियाँ बनाई हैं, कर्मचारियों के लाभ के लिए जागरूकता सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया ।

कर्मचारियों के बीच 'फिट इंडिया मूवमेंट' को बढ़ावा देते हुए, आपकी कंपनी ने पहली बार, फरवरी - मार्च 2020 के महीने में एक खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया ताकि टीम भावना को बढ़ावा दिया जा सके और कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ साइट कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय हो सके। कर्मचारियों ने क्रिकेट, बैडमिंटन, कैरम, वॉलीबॉल, शतरंज, टेबल-टेनिस, आदि जैसे विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों में उत्साह से भाग लिया।

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए जापान फाउंडेशन के साथ मिलकर जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा (जेएलपीटी) भी शुरू किया है।

आपकी कंपनी, महिला कर्मचारियों को अनुकूल और सुरक्षित कार्य करने का वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न और शोषण के मामलों की जांच करने के लिए, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम 2013, के प्रावधानों के अनुरूप एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। समिति ने निश्चित अंतराल पर बैठकें कीं । 2019-20 के दौरान, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को पोषित करती है और उनका सम्मान करती है एवं रचनात्मकता एवं उत्कृष्टता को बढ़ावा देती है। कंपनी अपने कर्मचारियों के पेशेवर विकास के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान 60 कर्मचारियों ने जापान में ज्ञान सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और 78 कर्मचारीगण, सामान्य प्रबंधन से लेकर तकनीकी विषयों से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न संस्थानों / निकायों के साथ सहयोग करके कंपनी द्वारा आयोजित घरेलू प्रशिक्षण में शामिल हुए। कुछ महिला कर्मचारियों को विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भी नामित किया गया था, जैसे 'अपनी क्षमता का दोहन - भीतर से समृद्ध और सशक्त बनना'।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा सराहनीय कार्य को पहचानने के लिए एमडी अवार्ड और डायरेक्टर्स अवार्ड की स्थापना की है।

सतर्कता

श्री एच.एल. सुथार, कार्यकारी निदेशक / डिजाइन को, सतर्कता संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के रूप में नामित किया गया है। उन्हें दो सतर्कता अधिकारियों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद, कंपनी ने पूर्णकालिक सीवीओ नियुक्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

पुरस्कार तथा सम्मान

'स्थापना दिवस' मनाने के लिए, ड्राइंग / पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, वडोदरा में अधिकारियों द्वारा 5 किलोमीटर की फन दौड़, अहमदाबाद कार्यालय में रक्तदान शिविर आदि जैसे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इनका समापन 12 फरवरी 2020 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड तथा सचिव, रेलवे बोर्ड की गरिमामय उपस्थिति में, और कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों के अलावा भारत में जापानी दूतावास, जेआईसीसी, जेआईसीए और जापान फाउंडेशन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कॉर्पोरेट कार्यालय में हुआ। इस अवसर पर कंपनी के एक त्रैमासिक समाचार पत्र और ब्रोशर का भी अनावरण किया गया।

इसके अलावा, कंपनी ने ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत जुलाई-अगस्त 2019 में अपना लोगो पंजीकृत करवा लिया है।

विज़न और मिशन

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित को अपना मिशन और विज़न अपनाया है:

I. <u>विज़न :</u>

जीवन की बेहतर गुणवत्ता और देश के विकास के लिए, तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सुरक्षित, विश्वसनीय और दीर्घकालिक हाई स्पीड रेल सेवाएँ मुहैया कराना।

II. <u>मिशन :</u>

1. ग्राहकों के लिए, एक दक्ष, सुरक्षित, संधारणीय और विश्वसनीय परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराना।
2. अत्याधुनिक हाई स्पीड रेल यातायात की अवसंरचना के निर्माण, परिचालन और अनुरक्षण के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ना।
3. हाई स्पीड रेल तकनीक के समावेशीकरण, स्वदेशीकरण और नवोन्मेष को बढ़ावा देना।

ब्रिज, वर्कशॉप, अहमदाबाद के प्रशासनिक भवन में स्लैब और स्तंभ, सुदृढीकरण और आरसीसी का कार्य प्रगति पर

बोर्ड की समितियाँ

क. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी ने अभी तक व्यावसायिक संचालन प्रारंभ नहीं किया है और इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी संचालन लाभ अर्जित नहीं किया है।

एक बोर्ड स्तर की 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति', जिसे 'सी.एस.आर. समिति' के नाम से जाना जाता है, और जो सी.एस.आर. संबंधित कार्य करती है, को वित्तीय वर्ष के दौरान फिर से गठित किया गया है और वर्तमान स्वरूप में सुश्री अंजू रंजन, नामांकित निदेशक; सीएसआर समिति के अध्यक्ष के रूप में हैं (सुश्री नमिता मेहरोत्रा, नामित निदेशक के स्थान पर), साथ में उस समिति के सदस्य के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद, निदेशक परियोजना और श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त; और समिति के सचिव के तौर पर कंपनी सचिव सुश्री सुमीता शर्मा हैं।

वर्ष के दौरान, 21 जून 2019 और 2 अगस्त 2019 को दो समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें सीएसआर समिति के सभी तत्कालीन सदस्य और कंपनी के सीएसआर नोडल अधिकारी शामिल थे, केवल 2 अगस्त 2019 को आयोजित बैठक को छोड़कर जिसमें निदेशक परियोजना भाग नहीं ले सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की सी.एस.आर. नीति नियमानुसार वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ख. अन्य समितियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) जिसे कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (एम.सी.ए. अधिसूचना 05.07.2017 के माध्यम से संशोधित किया गया) के साथ पढ़ा जाए, यथा

संयुक्त उपक्रम की असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी होने के नाते एन.एच.एस.आर.सी.एल. को अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 के साथ सहपठित कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 तहत पढ़ा जाए जिसके अनुसार लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति का गठन भी अनिवार्य नहीं है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की वास्तविक भावना का पालन करती है और पारदर्शिता, जवाबदेही, संचालन संबंधी नैतिक प्रथाओं और पेशेवर प्रबंधन पर फोकस के साथ सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को लागू करती है।

निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना

31 मार्च 2020 तक, आपकी कंपनी के बोर्ड में नौ (9) निदेशक हैं, यथा पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (यानि प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक और निदेशक विद्युत् एवं प्रणाली) तथा रेल मंत्रालय के द्वारा तीन (3) मनोनीत निदेशक (अंशकालिक अध्यक्ष समेत) तथा गुजरात सरकार के द्वारा एक (1) मनोनीत निदेशक।

ख. मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी

आपकी कंपनी के बोर्ड के द्वारा प्रबंध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक चल स्टॉक और निदेशक विद्युत् एवं प्रणाली तथा कंपनी सचिव को, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी घोषित किया गया है।

ग. निदेशकों का पारिश्रमिक

सरकारी कंपनी होने के कारण, आपकी कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशक , सरकार की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार, व्यावसायिक महंगाई भत्ता (आई.डी.ए.)/ केंद्रीय महंगाई भत्ता (सी.डी.ए.) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

भारत सरकार द्वारा तथा शामिल होने वाले राज्य सरकारों (कंपनी के पेड-अप शेयर पूँजी में शेयर होने पर) के द्वारा नामित, मनोनीत निदेशकों को कंपनी में निदेशक की भूमिका निभाने के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों की तरह संबंधित सरकार (रों) से केंद्रीय महंगाई भत्ते (सी.डी.ए.) वेतनमान के तहत पारिश्रमिक दिया जाता है।

घ. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019 -20 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार (4) बैठकें यानि 1 जुलाई 2019, 5 अगस्त 2019, 27 नवंबर 2019, और 27 फरवरी 2020 को हुई हैं ।

वर्ष 2019 -20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक एवं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम ए.जी.एम. में उपस्थित (23.09.2019 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति	
1.	श्री विनोद कुमार यादव (डी.आई.एन.- 08346269) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित)	4	4	हाँ
2.	श्री अचल खरे (डी.आई.एन.- 07576351)	प्रबंध निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
3.	श्री राजेन्द्र प्रसाद (डी.आई.एन.- 08006234)	निदेशक परियोजना (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
4.	श्री अरुण बिजलवान (डी.आई.एन.- 08012372)	निदेशक वित्त (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
5.	श्री विजय कुमार (डी.आई.एन.- 08205585)	निदेशक चल स्टॉक (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
6.	श्री संदीप कुमार (डी.आई.एन.- 08206781)	निदेशक विद्युत् तथा प्रणाली (पूर्णकालिक निदेशक)	4	4	हाँ
7.	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह (डी.आई.एन.- 08488013), प्रमुख कार्यकारी निदेशक / इंफ्रा, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (19 जून 2019 से प्रभावी)	4	3	हाँ
8.	सुश्री अंजू रंजन (डी.आई.एन.- - 06681154), कार्यकारी निदेशक (एफ) / ऍक्स्प - I, रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (14 अक्टूबर 2019 से प्रभावी)	2	1	प्रयोज्य नहीं
9.	श्री पी. आर. पटेलिया (डी.आई.एन.- 06480313 मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग) एवं अतिरिक्त सचिव, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग, गुजरात सरकार	अंशकालिक निदेशक (गुजरात सरकार द्वारा नामित)	4	3	नहीं

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम ए.जी.एम. में उपस्थित (23.09.2019 को आयोजित)
			निदेशक के कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति	
10.	श्री सुशांत कुमार मिश्रा (डी.आई.एन.-07869414), सचिव एवं पूर्व - पी.ई.डी. / इंफ्रा., रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) (25 अगस्त 2017 से 14 जून 2019 तक सेवा में)	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं	प्रयोज्य नहीं
11.	सुश्री नमिता मेहरोत्रा (डी.आई.एन.-07916304), कार्यकारी निदेशक (एफ) / आर.एम., रेलवे बोर्ड	अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित) [25 अगस्त 2017 से 17 सितम्बर 2019 तक सेवा में]	2	2	प्रयोज्य नहीं

सुश्री सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव, ने वर्ष 2019 -20 के दौरान आयोजित बोर्ड की सभी बैठकों के साथ-साथ, ए.जी.एम. में भी भाग लिया।

आचार संहिता एवं आचार नीति

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के लिए, आचार संहिता एवं आचार नीति बनाई है, जो 1 जून 2018 से प्रभावी है तथा जो काम से जुड़े मुद्दों से निपटने और कर्मचारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन संबंधी दुविधाओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन देता है।

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उक्त आचार संहिता के अनुपालन की अपनी पुष्टि प्रदान की है।

वार्षिक आम बैठकें

क. 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी की तीसरी वार्षिक आम बैठक का आयोजन 23 सितंबर 2019 को, नई दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय के दूसरे तल पर स्थित बैठक कक्ष में 11.00 बजे किया गया था।

ख. 2019 -20 के वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी की प्रस्तावित चतुर्थ ए.जी.एम. का आयोजन निम्न विवरण के साथ नियत किया गया है:

दिन - सोमवार

दिनांक - 28 सितंबर 2020

समय - 12:00 बजे

स्थान - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए

कंपनी की वेबसाइटः
कंपनी की वेबसाइट www.nhsrcl.in है। व्यवहार्यता रिपोर्ट, परियोजना की स्थिति सहित परियोजना के तकनीकी विवरण, एस.आई.ए. / आर.ए.पी. तथा आई.पी.पी. रिपोर्ट, निविदाएं, विभिन्न रिक्तियां एवं उनके लिए की गई भर्ती परीक्षाओं का परिणाम, महाराष्ट्र, गुजरात एवं दादर और नगर हवेली के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा आदि समेत कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियाँ आपकी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में (अंग्रेजी भाषा के अलावा) हिंदी, गुजराती, मराठी और जापानी भाषा में उपलब्ध हैं।।

कंपनी का वार्षिक रिटर्न निम्न लिंक पर उपलब्ध है - https://www.nhsrcl.in/en/about-us/annual-report ।

लेखा-परीक्षक
क. वैधानिक लेखा-परीक्षक
मेसर्स सहगल मेहता एंड कंपनी, व्यवसायिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2019 -20 के लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ख . सचिवीय लेखा-परीक्षक
आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2019 -20 के लिए व्यवसायिक कंपनी सचिव श्री अनिल आनंद को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

ग. आंतरिक लेखा परीक्षक
आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत 2019 -20 के लिए, व्यवसायिक चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स भूषण बेन्सल जैन एसोसिएट्स को कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण
कंपनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है किः

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और लगातार उनका प्रयोग किया जाता है और उचित एवं दूरदर्शी फैसले किए गए और अनुमान लगाए गए हैं ताकि वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि पर उचित एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

iii) कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनकी पहचान करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

iv) जारी व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखांकन किया गया है। और

v) लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने लिए उचित प्रणाली बनाई गई थी और ये प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावशाली ढंग से काम कर रही है।

अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप नियमों के साथ पठित, प्रासंगिक अनुलग्नकों के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट/ दस्तावेज इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें यहां परिशिष्टों के रूप में क्रमांकित किया गया है :

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट **परिशिष्ट - 1**
2. वार्षिक रिटर्न का सार (फॉर्म एमजीटी-9 में) **परिशिष्ट - 2**
3. सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट **परिशिष्ट - 3**

आभार

हम कंपनी का लगातार समर्थन करने के लिए भारत सरकार, जापान सरकार, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों; महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, भारत एवं जापान के राजदूतों एवं दूतावासों; पासपोर्ट प्राधिकरण; नीति आयोग, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.), जे.ई.टी.आर.ओ. के अधिकारियों, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.), जापान इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स (जे.आई.सी.), जे.आर. ईस्ट के अधिकारियों; भारतीय रिजर्व बैंक, हमारे बैंक कर्मियों एवं विभिन्न मीडिया चैनलों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

हम कंपनी के कर्मचारियों की कंपनी के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी की भावना के साथ काम करने की भी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(अरुण बिजलवान)	**(अचल खरे)**
निदेशक वित्त	**प्रबंध निदेशक**
(डी.आई.एन.- 08012372)	**(डी.आई.एन.- 07576351)**

दिनांक : 01-09-2020
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट – 1

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी गतिविधियों पर रिपोर्ट

कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा तथा प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों से संबंधित वेब-लिंक का संदर्भ :
एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में, कंपनी समाज के उत्थान और बेहतरी के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने कर्मचारियों / भागीदारों की प्रतिबद्ध सहभागिता से आचात नीति, समावेशिता, पारदर्शिता और संचालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अपने व्यवसाय को सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का प्रयास करती है। कंपनी देश में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करती है।

आपकी कंपनी जून 2019 से सीएसआर नीति अपनाए हुए है जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुरूप सुसंगत संशोधन शामिल करते हुए, अगस्त 2019 में संशोधित किया गया है। आपकी कंपनी की संशोधित सीएसआर नीति निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है- **http://nhsrcl.in/sites/default/files/2019-09/CSR-Policy_0.pdf**

सीएसआर नीति का उद्देश्य परिणाम-आधारित और प्रभाव-उन्मुख तरीके से हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है। जिन जिलों में कंपनी कार्यरत है या उसके निकटवर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के लिए काम करने को अधिमानता देते हुए समाज के वंचित, उपेक्षित और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के चयन के लिए एक प्रणाली निर्धारित की है, जिसके तहत क्षेत्र स्तर के कार्यालय हितधारकों के साथ बातचीत करने के बाद स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीएसआर प्रस्ताव की सिफारिश कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने **एक बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का** (एक नामिती निदेशक की अध्यक्षता में) **गठन किया है** । उक्त समिति को एक नोडल अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर कार्यसूची का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और उसकी निगरानी करती है। समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, इसका अधिदेश और वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित बैठकों के विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में पैरा "सीएसआर" के अधीन दिए गए हैं।

वर्तमान में, समिति की अध्यक्ष सुश्री अंजू रंजन, नामिती निदेशक हैं तथा श्री राजेंद्र प्रसाद, निदेशक परियोजना और श्री अरुण बिजलवान, निदेशक वित्त, इसके सदस्य हैं।

श्री अंजुम परवेज, विशेष कार्य अधिकारी, अनुमोदित सीएसआर प्रस्तावों के कार्यान्वयन के परिचालन/ संवीक्षा तथा समीक्षा और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी हैं।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के [यानी 2016-17 (जिसमें 13 महीने और 18 दिन की अवधि शामिल है), 2017-18, और 2018-19] दौरान आपकी कंपनी का **औसत शुद्ध लाभ** रु.3350.24 लाख है ।

आपकी कंपनी के **वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर बजट** रु. 67 लाख (यानी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ रु.3350.24 लाख का 2%) है।

कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि - रु. 67,00,000/-
(यानी 2019-20 के लिए सीएसआर बजट)

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि - रु. 21,34,648/-

ग) वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर राशि [ऊपर क्रम सं. (ख) में यथा उल्लिखित] जिस प्रकार व्यय की गई है, उसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	पहचान की गई सीएसआर परियोजना / गतिविधि	परियोजना में शामिल क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला, जहाँ परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाए गए	परिव्यय की गई राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार (रु.में)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि		2019-20 तक संचयी व्यय (रु. में)	व्यय की गई राशि (सीधे/ कार्यान्वयन एजेंसी के जरिए)
					सीधे परियोजनाओं पर व्यय (रु.में)	उपरिव्यय (रु.में)		
1.	मोबाइल चिकित्सा यूनिट उपलब्ध कराना	स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना [कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का क्रमांक (i)]	स्थानीय क्षेत्र – पालघर जिला, महाराष्ट्र	20,19,648	20,19,648	कोई नहीं	20,19,648	सीधे
2.	मास्क, साबुन और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण	स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना [कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का क्रमांक (i)]	स्थानीय क्षेत्र – वलसाड जिला, गुजरात	1,15,000	1,15,000	कोई नहीं	1,15,000	सीधे
			योग		**21,34,648**	**-**	**21,34,648**	

घ) व्यय न की गई राशि (यानी क-ख) : रु. 45,65,352/-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु.45,65,352/- की जो राशि व्यय नहीं की जा सकी उसे वर्ष 2020-21 में अग्रेनीत किया जाएगा और वर्ष 2020-21 के लिए आबंटित सीएसआर बजट के साथ उसका व्यय किया जाएगा। व्यय में हुई उक्त कमी का कारण यह है कि फिलहाल कंपनी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में व्यस्त है और उसके एक भाग के रूप में उसने विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के अनुपालन में तथा कंपनी द्वारा निर्धारित पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार प्रभावित जिलों में सामाजिक उत्थान के कई कार्य आरम्भ किए हैं। इनमें से अधिकाँश क्रियाकलाप, यद्यपि भूमि अधिग्रहण के मुख्य कार्य से संबंधित हैं, तथापि सीएसआर कार्यों के सदृश्य हैं। अत: भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कंपनी सीएसआर निधि को बड़े पैमाने पर व्यय करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी वर्ष 2020-21 के लिए आबंटित सीएसआर बजट (वर्ष 2019-20 की अग्रेनीत राशि सहित) का उपयोग करने का भरपूर प्रयास करेगी।

सीएसआर समिति पुष्टि करती है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में की जाती है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(अरुण बिजलवान) **निदेशक वित्त और सदस्य, सीएसआर समिति** **[डीआईएन: 08012372]**	**(राजेंद्र प्रसाद)** **निदेशक परियोजना और सदस्य, सीएसआर समिति** **[डीआईएन: 08006234]**	**(अंजू रंजन)** **नामिती निदेशक, एनएचएसआरसीएल एवं अध्यक्ष, सीएसआर समिति** **[डीआईएन: 06681154]**	**(अचल खरे)** **प्रबंध निदेशक** **[डीआईएन:07576351]**

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट -- 2

फार्म सं. एम.जी.टी. 9 - वार्षिक विवरणी का सार

[31.03.2020 को]

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के आलोक में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण

1	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी.आई.एन.)	:	**U60200DL2016GOI291002**
2	पंजीकरण की तारीख	:	**12 फरवरी 2016**
3	कंपनी का नाम	:	**नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**
4क)	कंपनी की कोटि	:	**सार्वजनिक कंपनी**
4ख)	कंपनी की उप-कोटि	:	**सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा परिसीमित और कंपनी के पास शेयर पूंजी है**
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क का विवरण	:	**एशिया भवन, द्वितीय तल, सड़क संख्या 205, सेक्टर - 9, द्वारका, नई दिल्ली - 110077** **फोन नं.: 011-28070000/01** **फैक्स सं. : 011-28070150** **ईमेल आई.डी.: comp.sec@nhsrcl.in**
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ / नहीं)	:	**नहीं**
7	रिजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो तो उसका नाम, पता और संपर्क विवरण।	:	**प्रयोज्य नहीं**[1]

II. कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदानकारी सभी व्यापारिक गतिविधियाँ हैं

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पादों / सेवाओं का एन.आई.सी.	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	**निर्माण :** **सिविल इंजीनियरी** **- सड़कों तथा रेलमार्गों का निर्माण** **- उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण**	**सेक्शन एफ** **डिवीजन 42** **समूह 421** **समूह 422**	**शून्य ***
2	**परिवहन तथा भंडारण :** **जमीनी परिवहन तथा पाइपलाइन्स के माध्यम से परिवहन** **- रेलमार्ग से होकर परिवहन** **- अन्य जमीनी परिवहन** **- पाइपलाइन्स से होकर परिवहन**	**सेक्शन एच** **डिवीजन 49** **समूह 491** **समूह 492** **समूह 493**	

* कंपनी अपने निर्माण के चरण में है और इसने अपना व्यवसायिक परिचालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है।

III. स्वामित्व वाली, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों का विवरण

प्रयोज्य नहीं, क्योंकि वर्ष के दौरान एन.एच.एस.आर.सी.एल. की कोई सहायक या संबंध कंपनियाँ नहीं थीं।

IV. शेयर होल्डिंग का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

i) कोटि-वार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की कोटि		वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या[3]				वर्ष के दौरान कुल शेयरों का % बदलाव[3]
		डीमैट[1]	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %[3]	डीमैट[1]	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का % [3]	
क.	प्रोमोटर									
(1)	भारतीय									
ख)	केन्द्र सरकार[2]		2,35,00,000	2,35,00,000	95.723		7,45,00,000	7,45,00,000	98.285	2.562
ग)	राज्य सरकार(रें)		10,50,000	10,50,000	4.277		13,00,000	13,00,000	1.715	-2.562
	कुल (क) (1)	कुछ नहीं	2,45,50,000	2,45,50,000	100	कुछ नहीं	7,58,00,000	7,58,00,000	100	-
(2)	विदेशी									
	कुल (क) (2)		-	-						
	प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)		2,45,50,000	2,45,50,000	100		7,58,00,000	7,58,00,000	100	-
ख.	सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1)	**संस्थान**									
(2)	**गैर-संस्थान**					कुछ नहीं				
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+(ख)(2)									
ग.	जी.डी.आर. तथा ए.डी.आर. के स्वामित्व द्वारा धारित शेयर					कुछ नहीं				
	सकल योग (क + ख+ग)	कुछ नहीं	2,45,50,000	2,45,50,000	100	कुछ नहीं	7,58,00,000	7,58,00,000	100	-

ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या[3]			वर्ष के दौरान शेयरों का शेयरधारिता में % बदलाव[3]
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का % [3]	कुल % शेयरों में से गिरवी /भारग्रस्त रखे गए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल % शेयरों में से गिरवी /भारग्रस्त रखे गए	
(A)	भारत के राष्ट्रपति तथा उनके 12 मनोनीत [2]	2,35,00,000	95.723	-	7,45,00,000	98.285	-	2.562
(B)	गुजरात के राज्यपाल	10,50,000	4.277	-	13,00,000	1.715	-	-2.562
	कुल	2,45,50,000	100		7,58,00,000	100		

iii) प्रोमोटरों की शेयर धारिता में बदलाव (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई बदलाव नहीं हुआ है)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचयी धारित शेयरों की संख्या	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %[3]	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %[3]
(क)	वर्ष के प्रारंभ में :				
(1)	भारत के राष्ट्रपति	2,35,00,000	95.723	-	-
(2)	गुजरात के राज्यपाल	10,50,000	4.277	-	-
(ख)	शेयर धारिता में बदलाव				
(1)	भारत के राष्ट्रपति को 01.07.2019 को शेयरों का आबंटन	2,10,00,000	46.103	4,45,00,000	97.695
(2)	भारत के राष्ट्रपति को 27.11.2019 को शेयरों का आबंटन	2,00,00,000	30.395	6,45,00,000	98.024
(3)	गुजरात के राज्यषाल को 27.11.2019 को शेयरों का आबंटन	2,50,000	0.380	13,00,000	1.976
(4)	भारत के राष्ट्रपति को 27.02.2020 को शेयरों का आबंटन	1,00,00,000	13.193	7,45,00,000	98.285
(ग)	वर्ष के अंत में:				
(1)	भारत के राष्ट्रपति	-	-	7,45,00,000	98.285
(2)	गुजरात के राज्यपाल	-	-	13,00,000	1.715
	कुल			7,58,00,000	100

iv) उच्चतम दस शेयरधारकों (निदेशकों, संरक्षकों तथा जी.डी.आर तथा ए.डी.आर. धारकों को छोड़कर) की शेयर-धारिता का तरीका: **प्रयोज्य नहीं** [4]

v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों (के.एम.पी.) की शेयर-धारिता: **प्रयोज्य नहीं** [4]

V. कर्जदारी

बकाया / उपार्जित परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी :

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि				
ii) ब्याज देय, परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज उपार्जित, परन्तु देय नहीं				
कुल (I + II + III)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में बदलाव				
- वृद्धि				
- कमी		**कुछ नहीं**		
कुल बदलाव				
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि				
ii) ब्याज देय, परन्तु भुगतान नहीं किया गया				
iii) ब्याज उपार्जित, परन्तु देय नहीं				
कुल (I + II + III)				

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, तथा / या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	पूर्णकालिक निदेशक का नाम					कुल राशि
		अचल खरे, एम.डी. (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	राजेन्द्र प्रसाद, डी.पी. (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	अरुण बिजलवान, डी.एफ. (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	विजय कुमार, डी.आर.एस. (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	संदीप कुमार, डी (ई. एवं एस.) (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	
1	सकल वेतन						
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	48,14,249	34,98,225	30,95,462	33,26,586	30,46,195	1,77,80,717
ख)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	10,72,271	9,65,338	8,19,114	6,59,139	9,17,781	44,33,643
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें :	-	-	-	-	-	-
	कुल (क)	**58,86,520**	**44,63,563**	**39,14,576**	**39,85,725**	**39,63,976**	**2,22,14,360**

अधिनियम के अनुसार सीलिंग - प्रयोज्य नहीं[5]

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

(रु. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम						कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक --** बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	**प्रयोज्य नहीं**						**0**
							Total (ख1)	**0**
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक --**	**विनोद कुमार यादव (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)**	**एस. के.मिश्रा (14.06.2019 तक)**	**रविन्द्र नाथ सिंह (19.06.2019 से प्रभावी)**	**नमिता मेहरोत्रा (17.09.2019 तक)**	**अंजू रंजन (14.10.2019 से प्रभावी)**	**पी. आर. पटेलिया (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)**	
	बोर्ड /समिति की बैठकों में शामिल होने का शुल्क	**कुछ नहीं**						**0**
							कुल (ख2)	**0**
							कुल ख [ख1 + ख2]	**0**

अधिनियम के अनुसार सकल सीलिंग - प्रयोज्य नहीं[5]

ग. एम.डी./ प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर मख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक सुमीता शर्मा, कंपनी सचिव (संपूर्ण 2019-20 के दौरान)	कुल राशि
1	सकल वेतन		
a)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	22,63,580	22,63,580
b)	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	3,63,840	3,63,840
c)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-
4	कमीशन	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें :	-	-
	कुल (ग)	**26,27,420**	**26,27,420**

अधिनियम के अनुसार सकल सीलिंग - प्रयोज्य नहीं [5]

VII. शास्तियाँ / दंड /अपराधों का समाधान : कंपनी / निदेशक | चूककर्ता अन्य अधिकारीगण

प्रकार	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति / दंड / प्रभारित समाधान शुल्क का विवरण	प्राधिकारी [आर.डी./एन.सी.एल.टी / न्यायालय]	यदि कोई अपील किया गया हो (विवरण दें)
कंपनी / निदेशक / चूककर्ता अन्य अधिकारीगण -- शास्ति / दंड / समाधान	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

टिप्पणी:

1. कंपनी के सभी शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है।

2. 1000/- रु. प्रत्येक के 7,44,99,988 इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम रखे गए हैं और 1000/- रु. का एक-एक शेयर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीतों (जो कि रेल मंत्रालय के सरकारी अधिकारी हैं) के नाम पर रखे गए हैं।

3 यह कंपनी भारत सरकार, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच, क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में इक्विटी की सहभागिता वाले एक संयुक्त उपक्रम के रूप में गठित की गई है। कंपनी चूंकि अभी नवजात चरण में है, अतः जे.वी. साझेदारों / संरक्षकों से समय समय पर इक्विटी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

4. एन.एच.एस.आर.सी.एल. के सभी शेयर, भारत के राष्ट्रपति तथा उनके 12 मनोनीतों के नाम पर केन्द्र सरकार के पास (यानी 7,45,00,000 इक्विटी शेयर) और गुजरात के गवर्नर के नाम पर गुजरात सरकार के पास हैं (यानी 13,00,000 इक्विटी शेयर)।

5. कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के आलोक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
(डी.आई.एन.- 08012372)

(अचल खरे)
प्रबंध निदेशक
(डी.आई.एन.- 07576351)

दिनांक : 01-09-2020
स्थान : नई दिल्ली

परिशिष्ट – 3

सी. एस. अनिल आनंद
कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस

351, प्रकाश मोहल्ला
ईस्ट ऑफ़ कैलाश
नई दिल्ली -110065
फोन : +91-9873925927
ई-मेल:csanilanand96@gmail.com

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
द्वितीय तल, एशिया भवन
रोड नं. 205, सेक्टर-9
द्वारका, दिल्ली-110077

हमने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन : U60200DL2016GOI291002) (जिसे इसके उपरांत कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं की अनुषक्ति की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है । सचिवीय लेखा-परीक्षा इस रीति से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचार / कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने का युक्तियुक्त आधार मिले और हम उस पर अपना अभिमत दे सकें ।

कंपनी की बहियों,कागजात, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों, फ़ाइल की गई विवरणी और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखा-परीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध कानूनी प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

हमने कंपनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजात, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों, फ़ाइल की गई विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों के उपबंधों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं। हालांकि, कंपनी ने 2019-20 में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत की पूरी राशि व्यय नहीं की है। प्रबंधन ने जानकारी दी है कि अधिनियम के अधीन यथापेक्षित, बोर्ड धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ण) के अधीन तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति किए गए व्यय में कमी का कारण उल्लिखित किया जाएगा।

   हालाँकि, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर की व्यय न की गई राशि को अग्रेनीत करने का निर्णय लिया है तथा वे वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर बजट के साथ सीएसआर की व्यय न की गई राशि का उपयोग करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि-

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निदेशकों के उचित संतुलन के साथ सम्यक रूप से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड / समिति की बैठकों को सूची में रखने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट भेजे गए थे। बैठक के पूर्व कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण माँगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सम्यक रूप से अभिलिखित और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और कोई भी असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि-

i. कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं; और
ii. लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, इस तरह की कोई विशिष्ट घटना / कार्य नहीं हुए हैं जो ऊपर उल्लिखित विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुपालन में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख असर डालते हों।

इस रिपोर्ट को हमारे सम-दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जिसे अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

सी. एस. अनिल आनंद
एसीएस-10328
सीपी नं. 11295
यूडीआईएन नं.:ए 010328बी000649527

दिनांक : 01-09-2020
स्थान : नई दिल्ली

सी. एस. अनिल आनंद
कंपनी सचिव इन प्रैक्टिस

351, प्रकाश मोहल्ला
ईस्ट ऑफ़ कैलाश
नई दिल्ली -110065
फोन : +91-9873925927
ई-मेल:csanilanand96@gmail.com

अनुलग्नक "क"

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
द्वितीय तल, एशिया भवन
रोड नं. 205, सेक्टर-9
द्वारका, दिल्ली-110077

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जाए:

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

1. सचिवीय रिकॉर्ड के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। मेरा उत्तरदायित्व लेखा-परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय देना है।

सचिवीय लेखा- परीक्षक का उत्तरदायित्व

2. हमने ऐसी लेखा-परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथा, मेरी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. हमने विधियों,नियमों और विनियमों के अनुपालन एवं घटनाओं के घटित होने के संबंध में, जहाँ कहीं अपेक्षित था, प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया।

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं, कि इस लेखा-परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियों जैसे लागू वित्तीय विधियों का कंपनी द्वारा अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नाम निर्दिष्ट पेशेवरों द्वारा की जाने वाली समीक्षा के अध्यधीन है।

6. कारपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है। हमारी परीक्षा, परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित है।

अस्वीकरण

7. सचिवीय लेखा-परीक्षा न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही कंपनी के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

सी. एस. अनिल आनंद
एसीएस-10328
सीपी नं. 11295
यूडीआईएन नं.:ए 010328बी000649527

दिनांक : 01-09-2020
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विवरण

सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

10173/2, ब्लॉक नं. 15, अब्दुल अज़ीज़ रोड,
डब्ल्यू ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली -110005
फोन: 011-4506 4845, 4506 4846
ईमेल: sehgalmehta@hotmail.com;
sehgalmehta@gmail.com

दिनांक : 01.09.2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भा.ले.म. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हम ने, **मेसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी)** के संलग्न भा.ले.म. (इंड - ए.एस.) वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 का तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी में बदलाव का विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाहों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन की नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना का एक सारांश (यहाँ इसके उपरांत " भा.ले.म. वित्तीय विवरण" के रूप में यहाँ पर संदर्भित है।

हमारे विचार से और हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराई गयी व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त भा.ले.म. वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा वांछित सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 तथा कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के नियम, 2015, संशोधित, ("भा.ले.म.") और अन्य लेखा सिद्धांतों के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप में 31 मार्च, 2020 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी तथा नकदी प्रवाह में परिवर्तनों को प्रस्तुत करती है।

राय का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणी खण्ड के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के दायित्वों में वर्णित हैं। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया तथा अधिनियमों एवं उनके तहत नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणियों की अपनी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक अपेक्षित नैतिक वांछनीयताओं द्वारा निर्गत नैतिक संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक संहिताओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हआ है वह पर्याप्त है और वित्तीय विवरण पर हमारी धारणा को उचित आधार प्रदान करता है।

भा.ले.म. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल इन भा.ले.म. वित्तीय विवरणियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों हेतु उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह तथा यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (भा.ले.म.) के अनुरूप कम्पनी की इक्विटी में परिवर्तनों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन अभिलेखों का उचित रखरखाव तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णयों एवं आन्कलनो का निर्माण; तथा सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने वाले तथा जालसाज़ी अथवा त्रुटि के कारण तात्विक गलतबयानी से मुक्त इण्ड-एएस वित्तीय विवरणियों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रचालन करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियन्त्रणों की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रखरखाव भी शामिल हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य तार्किक ढंग से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणियाँ तात्विक गलतबयानी से मुक्त हैं चाहे वे जालसाज़ी के कारण हों या त्रुटि के, तथा एक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन निर्गत करना है जिसमें हमारे विचार शामिल हों। तर्कपूर्ण आश्वासन उच्चस्तरीय आश्वासन है किन्तु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप संचालित कोई लेखापरीक्षा सदैव अपने अस्तित्व में तात्विक गलतबयानी से मुक्त होगी। गलतबयानियाँ जालसाज़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और यदि ये वैयक्तिक या सामूहिक रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिये गये उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की सम्भावना से युक्त हो सकती हों तो उन्हें तात्विक माना जाता है।

लेखा परीक्षा मानदंड के अनुरूप लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हम सम्पूर्ण लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशयवाद अनुरक्षित करते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणियों की तात्विक गलतबयानियों, चाहे वे जालसाज़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी डिजाइन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन को चिन्हित और आंकलित करते हैं और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो हमारी धारणा के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं। किसी जालसाज़ी के परिणामस्वरूप किसी तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का कारण उत्पन्न गलतबयानी से अधिक होता है क्योंकि जालसाज़ी में साठ-गाँठ, कूटरचना, इरादतन विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभाव शामिल होता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आरेखण के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा प्रबन्धन द्वारा निर्मित लेखांकन आन्कलनो तथा सम्बद्ध प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबन्धन द्वारा लेखांकन के जारी आधारों के औचित्य तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से सम्बद्ध कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो जारी संस्था के रूप में कम्पनी की क्षमता पर सार्थक संदेह उत्पन्न कर सकती है, की समीक्षा करते हैं। यदि हम इस निष्कर्ष कि तात्विक

अनिश्चितता विद्यमान है तो हम वित्तीय विवरणियों में सम्बद्ध प्रकटनों के लिए अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ध्यान आकर्षित करते हैं अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करते हैं। हमारे निष्कर्ष अपने लेखापरीक्षक के अद्यतनीकृत प्रतिवेदन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर आधारित होते हैं। किन्तु भावी घटनाएँ अथवा दशाएँ कम्पनी को जारी संस्था के रूप में अवरुद्ध कर सकती हैं।

- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणियों का मूल्यांकन , समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय सामग्री एवं वित्तीय विवरणियाँ निहित लेन देन तथा घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस ढंग से करते हैं या नहीं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हासिल किया जा सके, के तहत हम विचारों को व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

हम उन लोगों से सम्पर्क करते हैं जो अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र तथा समय एवं सार्थक लेखापरीक्षा अन्वेषणों और उस आंतरिक नियन्त्रण में किसी उस सार्थक दोष से सम्बद्ध प्रशासन के लिए प्रभारित हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं।

साथ ही हम प्रशासन से प्रभारित लोगों को विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने निष्पक्षता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक वांछनीयताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सम्पूर्ण सम्बन्धों एवं अन्य मामलों की सूचना प्रदान करते हैं जिन्हें तार्किक ढंग से हमारी निष्पक्षता का निर्वहन माना जाता है और जहाँ प्रयोज्य हो सम्बद्ध सावधानियाँ बरती जाती हैं।

अन्य वैधानिक तथा विनियामक अपेक्षाओं का प्रतिवेदन

1. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों की वांछनीयता के अनुसार अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के संदर्भ में हम **"संलग्नक-ए"** में अनुपालन उपलब्ध कराते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत यथासंशोधित कम्पनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित के अनुसार हम प्रयोज्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण **"संलग्नक बी"** में उपलब्ध कराते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित के अनुसार हम प्रतिवेदन करते हैं कि:

   क) हमने उन समस्त सूचनाओं को देखा और प्राप्त किया है जो हमारे पूर्ण संज्ञान तथा धारणा के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारे विचार से विधि द्वारा अपेक्षित के अनुसार लेखांकन पुस्तकों को कम्पनी द्वारा इस प्रकार उचित ढंग से तैयार किया गया है कि ये पुस्तकें जैसा की हमारे परीक्षण के अनुरूप प्रतीत होती हैं;

   ग) अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा इस प्रतिवेदन में नकदी प्रवाह के विवरण सहित तुलन पत्र लेखा पुस्तकों की वांछनीयता के अनुरूप हैं।

   घ) हमारे विचार में, कथित भा.ले.म. वित्तीय विवरणियाँ, अधिनियम की धारा 133 जो इसके तहत निर्गत प्रासंगिक नियमों के साथ पठित है, के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) "क्या किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित है" के बारे में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या G.S.R. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनज़र कंपनी पर लागू नहीं है।

च) वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की प्रचूरता तथा ऐसे नियन्त्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावकता के सन्दर्भ के लिए **"संलग्नक सी"** में हमारा अलग प्रतिवेदन देखें। हमारा प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा प्रचालनात्मक प्रभावकता पर एक असम्बद्ध मत व्यक्त करता है। तथा

छ) कम्पनी (लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के परिप्रेक्ष्य में, हमारे विचार तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार:

i. कम्पनी ने अपने भा.ले.म. वित्तीय विवरणियों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 33 का संदर्भ लें;

ii. कम्पनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों, जिसके लिए कोई तात्विक पूर्वानुमानित क्षतियाँ थीं, सहित कम्पनी के पास कोई दीर्घकालिक अनुबन्ध नहीं है।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में कोई राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

4. **कोविड-19 के प्रभाव का आकलन**

हम टिप्पणी 37 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता का वर्णन करता है और कंपनी के संचालन और परिसंपत्तियों की हानि से संबंधित अनुमानों को प्रभावित करता है, जो महामारी की गंभीरता और अवधि के भविष्य पर निर्भर हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-003330N

(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 515717
यूडीआईएन : 20515717एएएबीएम8621

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक ए"

स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का संलग्नक, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अब तक के वित्तीय विवरणियों के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा का प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में सन्दर्भित है :

क्रम सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक के उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से समस्त लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, सहित लेखांकन की आईटी प्रणाली से इतर लेखांकन लेन-देनों की प्रक्रिया के निहितार्थों का उल्लेख करें।	कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से समस्त लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की प्रणाली है । समस्त लेखांकन लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित होते हैं और लेखांकनों की निष्पक्षता के लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है।
2	क्या ऋण के पुनर्भुगतान के लिए कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋणों/ कर्ज़ों /ब्याज आदि की मुक्ति/ बट्टे खाते में डालने के मामले अथवा वर्तमान ऋण का कोई पुनर्गठन है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाये।	वर्तमान में कम्पनी द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है | अत: ऋण या कर्ज या ब्याज आदि के पुनर्गठन, मुक्ति अथवा बट्टे-खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3	क्या केन्द्र राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं हेतु प्राप्ति की गयी/ प्राप्ति योग्य निधियाँ उसके नियम तथा शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध कि गयी/ उपयोग में लायी गयीं? विचलन के मामलों का उल्लेख करें।	नहीं, वित्त वर्ष 2019 -20 के दौरान केन्द्र/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना हेतु कोई निधि नहीं ग्रहण की गयी। अत: अदायगी के नियम और शर्तों के अनुसार इस प्रकार प्राप्त निधियों के लेखांकन तथा उपयोग की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-003330N

(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 515717
यूडीआईएन : 20515717एएएबीएम8621

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक बी"

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के अब तक के वित्तीय विवरणियों के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षा का प्रतिवेदन" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में सन्दर्भित:

1) (क) कम्पनी ने परिमाणात्मक विवरणों तथा अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अभिलेखों को उचित रूप से अनुरक्षित किया है;

(ख) कम्पनी के पास चरणबद्ध ढंग से अचल परिसम्पत्तियों की सभी मदों को कवर करने के लिए सत्यापन का एक कार्यक्रम है जो हमारे विचार से कम्पनी के आकार तथा इसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संदर्भ में तर्कसंगत है। कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा कुछ अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। हमे प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार ऐसे सत्यापनों पर कोई तात्विक अनियमितता नहीं प्रतीत हुई।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्या के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेख तथा हमें उपलब्ध कराये गये संप्रेषण विलेख/ पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में निम्नलिखित भूमियों तथा भवन अधिग्रहित किये गये है जिनका अभी कम्पनी के नाम पर पंजीकृत किया जाना है:

1. **गुजरात तथा दादरा नगर एवं हवेली राज्य में**	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
सरकारी भूमियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों से अर्जित भूमि	426.8077
सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि	15.0124
2. महाराष्ट्र राज्य में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
सरकारी भूमियों के अतिरिक्त अन्य पक्षों से अर्जित भूमि	4.1702
सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि	33.9667

विभिन्न राज्यों में भारतीय रेलवे से पट्टे पर ली गयी भूमियों तथा भवनों की निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के नाम से पट्टा अनुबन्ध किया जाना शेष है।

1.**गुजरात तथा दादरा नगर एवं हवेली राज्य में**	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि	43.6784
2. महाराष्ट्र राज्य में	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
सरकार / वन भूमि से अर्जित भूमि	103.0818

3. भारतीय रेलवे से अर्जित भूमि	
विवरण	**भूमि का अपंजीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
भारतीय रेलवे से अर्जित भूमि	127.50

2) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर कम्पनी के पास वर्ष के दौरान समीक्षाधीन कोई इन्वेंट्री नहीं है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(ii) का प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है अत: इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी है;

3) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों अथवा अन्य पक्षों को किसी प्रकार का जमानती या गैर-जमानती ऋण नहीं अनुदानित किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(iii) (ए) से (सी) तक के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर टिप्पणी नहीं की गयी है;

4) हमारे विचार से तथा हमें प्रदत्त सूचना और व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अनुसार कोई ऋण नहीं अनुदानित किया है अथवा न कोई गारंटी प्रदान की है अथवा न कोई प्रतिभूति प्रदान की है अथवा न कोई निवेश किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(iv) प्रयोज्य नहीं है।

5) कम्पनी ने जनता से कोई डिपाज़िट नहीं स्वीकार की हैं और 31 मार्च, 2020 तक कोई अदावाकृत डिपाज़िट नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) का प्रावधान कंपनी पर प्रयोज्य नहीं हैं।

6) कि केन्द्र सरकार ने कम्पनी की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

7) (क) सूचना तथा हमें प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार तथा लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर तथा उचित प्राधिकरणों के अन्य विधिक बकायों सहित अविवादित विधिक बकायों को जमा करने में सामान्यत: नियमित रही है। सूचना तथा हमे प्रदत्त व्याख्याओं के अनुसार 31 मार्च, 2020 तक देयता तिथि से छ: माह से अधिक अवधि हेतु बकायों में उपर्युक्त के सन्दर्भ में कोई अविवादित राशि देय नहीं है।

(ख) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार किसी विवाद के कारण कोई आयकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर बकाया नहीं है।

8) कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही कोई ऋणपत्र निर्गत किया है। तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(viii) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी

9) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर कम्पनी ने ऋण विलेख तथा सावधि ऋणों सहित प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा पुन: सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन

की उगाही नहीं की है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(ix) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इन पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

10) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई जालसाज़ी नहीं की है अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति किसी जालसाजी की सूचना या प्रतिवेदन ही प्राप्त हुआ है।

11) सरकारी कम्पनी होने के नाते प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बद्ध कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V कम्पनी पर प्रयोज्य नहीं है।

12) हमारे विचार में, कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। अत: आदेश का खण्ड 3(xii) कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं है इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

13) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार तथा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर सम्बद्ध पक्षों से लेन देन यथाप्रयोज्य अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेन-देनों का विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों द्वारा वांछित के अनुसार इण्ड-एएस वित्तीय विवरण में प्रकटित किये गये हैं।

14) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान समीक्षा के अधीन कोई अधिमान्य आवंटन या शेयरों या पूर्ण अथवा आंशिक ऋणपत्रों का निजी अवस्थापन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खण्ड 3(xiv) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

15) निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तथा प्रबन्धन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के आधार पर, कम्पनी ने निदेशकों या उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया सार, आदेश के खण्ड 3(xv) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

16) हमें प्रदत्त सूचना तथा व्याख्याओं के अनुसार तथा कम्पनी अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, आदेश के खण्ड 3(xvi) के प्रावधान कम्पनी के लिए प्रयोज्य नहीं हैं अत: इस पर टिप्पणी नहीं की गयी है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-003330N

(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 515717
यूडीआईएन : 20515717एएएबीएम8621

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

स्वतन्त्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का "संलग्नक सी"

(नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारे समतिथि प्रतिवेदन के खण्ड 'अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं का प्रतिवेदन' के तहत पैराग्राफ 3 (एफ) के लिए सन्दर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का प्रतिवेदन

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2020 को **मैसर्स नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी"**) के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा की।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों हेतु प्रबन्धन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा संस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड के अनुरूप आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संस्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में अपने प्रकार्यों के व्यवस्थित तथा कुशलतापूर्वक संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से प्रचलित उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की रूपरेखा, क्रियान्वयन तथा रखरखाव, अपनी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी तथा त्रुटियों की रोकथाम एवं अनुसंधान, लेखा अभिलेखों की शुद्धता तथा पूर्णता और कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समयोचित तैयारी सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर अपने विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धी आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट ("दिशा-निर्देश नोट") तथा आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रयोज्य सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों तथा दिशा-निर्देश नोट के अनुसार अपेक्षित है कि हम नैतिक वांछनीयताओं का अनुपालन करें और तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना और निष्पादन करें कि वित्तीय प्रतिवेदन में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों को संस्थापित और अनारक्षित किया गया है या नहीं और समस्त तात्विक पक्षों में इन नियन्त्रणों का प्रभावी प्रचालन किया गया है या नहीं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली की पर्याप्तता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभावकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया सम्मिलित है। वित्तीय प्रतिवेदन में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की जानकारी प्राप्त करना, किसी तात्विक दुर्बलता की उपस्थिति के जोखिम का आकलन करना तथा आंकलित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रण की रूपरेखा तथा प्रचालनात्मक प्रभावकता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ जालसाजी अथवा त्रुटि के कारण भा.ले.म. वित्तीय विवरणियों की तात्विक गलतबयानी के जोखिम आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे पर्याप्त हैं और वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा के निष्कर्ष हेतु आधार प्रदान करने के लिए उचित हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का अर्थ

किसी कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से सम्बद्ध विवेकपूर्ण आश्वासन उपलब्ध करने के लिए निर्मित एक प्रक्रिया है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1) विवेकपूर्ण ढंग से उन अभिलेखों के अनुरक्षण से सम्बद्ध हैं जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन-देन तथा निपटानों को शुद्ध तथा निष्पक्ष ढंग से प्रदर्शित करते हैं;
2) विवेकपूर्ण आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि लेन-देन सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप इण्ड-एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए अनिवार्य रूप से अभिलेखित हैं और कि कम्पनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय केवल कम्पनी के प्रबन्धन तथा निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किये जा रहे हैं; तथा
3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत उपयोग अथवा व्ययन की रोकथाम या समयबद्ध अनुसंधान के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं जो इण्ड-एएस वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण जिसमे मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबन्धन के चलते तात्विक गलतबयानी उपस्थित हो सकती है और इसकी पहचान करना संभव नहीं होता है। साथ ही भावी अवधियों के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक नियन्त्रणों के किसी मूल्यांकन का आकलन इस जोखिम पर निर्भर है कि दशाओं में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा के अपकर्ष के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

मत

हमारी धारणा के अनुसार समस्त तात्विक परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदन पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 31 मार्च, 2020 तक कुशलतापूर्वक प्रचालित थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की लेखापरीक्षा के दिशा-निर्देश नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियन्त्रण के आवश्यक घटकों पर विचार क म्पनी द्वारा संस्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदण्ड के आन्तरिक नियन्त्रण पर आधारित थे।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन-003330N

(सीए पंकज कुमार गोयल)
साझेदार
सदस्यता सं. 515717
यूडीआईएन : 20515717एएएएबीएम8621

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2020 का तुलन पत्र

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(a) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	3	3,53,956.33	1,08,125.63
	(b) जारी पूँजीगत कार्य	4	1,23,325.24	38,443.67
	(c) अमूर्त परिसंपत्तियां	5	9,360.57	8,336.43
	(d) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	5.1	1,220.86	-
	(e) राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट	5.2	729.65	-
	(f) वित्तीय परिसंपत्तियां	6		
	(i) ऋण	6.1	297.99	287.56
	(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निबल)	7	222.96	62.90
	(h) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	8	2,30,537.51	79,852.47
			7,19,651.11	2,35,108.66
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(a) वित्तीय परिसंपत्तियां	9		
	(i) नकदी तथा नकदी समतुल्य	9.1	13,255.08	55,278.36
	(ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त बैंक शेष	9.2	53,000.00	32,300.00
	(iii) ऋण	9.3	344.57	109.50
	(iv)अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियां	9.4	891.07	1,978.86
	(b) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निबल)	19	343.02	224.84
	(c) अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	319.32	1,000.80
			68,153.06	90,892.36
	कुल सम्पत्तियां		**7,87,804.17**	**3,26,001.02**
II.	**इक्विटी तथा दायित्व**			
1	**इक्विटी**			
	(a) इक्विटी शेयर पूँजी	11	7,58,000.00	2,45,500.00
	(b) अन्य इक्विटी	12	12,074.19	66,947.63
			7,70,074.19	3,12,447.63
2	**दायित्व**			
(i)	**गैर-चालू दायित्व**			
	(a) वित्तीय दायित्व	13		
	(i) अन्य	13.1	10,655.24	10,012.78
	(b) प्रावधान गैर-चालू	14	417.63	218.03
	(c) अन्य गैर-चालू दायित्व	15	14.56	0.99
			11,087.43	10,231.80
(ii)	**चालू दायित्व**			
	(a) वित्तीय दायित्व	16		
	(i) अन्य	16.1	5,959.79	2,819.18
	(b) अन्य चालू दायित्व	17	604.20	447.92
	(c) प्रावधान -चालू	18	78.56	54.49
			6,642.55	3,321.59
	कुल इक्विटी तथा दायित्व		**7,87,804.17**	**3,26,001.02**

सामान्य सूचना	1
प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश	2
वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट	1 से 40

यह हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित तुलन पत्र है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन : 003330N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल
सदस्यता सं.:515717

(अचल खरे)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07576351

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
डीआईएन : 08012372

(सुमीता शर्मा)
कम्पनी सचिव
एम सं. : FCS5250

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

NHSRCL
National High Speed Rail Corporation Ltd.

राशि (रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
I	प्रचालनों से राजस्व	-	-	-
II	अन्य आय	20	7,826.31	6,827.37
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**7,826.31**	**6,827.37**
	व्यय			
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	138.73	175.67
	वितीय लागत	22	5.85	10.45
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन व्यय	23	15.34	10.73
	अन्य व्यय	24	625.37	335.35
IV	**कुल व्यय (IV)**		**785.29**	**532.20**
V	**असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ (III - IV)**		**7,041.02**	**6,295.17**
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**7,041.02**	**6,295.17**
VIII	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	1,623.72	1,715.48
	(2) आस्थगित कर	25	(174.28)	(30.10)
IX	**चालू प्रचालनों से अवधि हेतु लाभ (हानि) (VII-VIII)**		**5,591.58**	**4,609.79**
X	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि)		-	-
XI	असतत प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	असतत प्रचालनों से लाभ /(हानि)		-	-
XIII	**वर्ष हेतु लाभ /(हानि) (IX + XII)**		**5,591.58**	**4,609.79**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	A. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत होने वाली मदें		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	B. (i) लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं होने वाली मदें	26	56.49	(0.68)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	26	(14.22)	0.20
XV	**वर्ष हेतु कुल व्यापक आय (XIII+XIV)(अवधि हेतु लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय)**		**5,633.85**	**4,609.31**
XVI	**प्रति इकिटी शेयर आय :**			
	(सतत प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	9.54	26.59
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	9.54	26.59
XVII	**प्रति इकिटी शेयर आय:**			
	(असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)		-	-
XVIII	**प्रति इकिटी शेयर आय:**			
	(सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
	(1) मूल (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	9.54	26.59
	(2) द्रवीकृत (रु.में) (अंकित मूल्य रु 1,000 प्रति शेयर)	27	9.54	26.59

वित्तीय विवरण निर्मित करने वाले भाग के नोट 1 to 40

यह हमारे संलग्न अद्यतन प्रतिवेदन में सन्दर्भित लाभ तथा हानि विवरण है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन : 003330N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल
सदस्यता सं.:515717

(अचल खरे)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07576351

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
डीआईएन : 08012372

(सुमीता शर्मा)
कम्पनी सचिव
एम सं. : FCS5250

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
A. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ	**7,041.02**	**6,295.17**
समायोजन:-		
मूल्य ह्रास	15.34	10.73
आयकर पर ब्याज	4.69	-
ब्याज से आय	(7,789.11)	(6,804.51)
अन्य व्यापक मदें	56.49	(0.68)
लीज देयता पर ब्याज	105.99	-
प्रचालनात्मक पूँजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ (1)	**(565.58)**	**(499.29)**
समायोजन:-		
वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)-अन्य	(59.67)	317.45
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)-अन्य	681.48	(931.61)
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में कमी/ (वृद्धि)	23.71	(3,451.75)
वित्तीय परिसम्पत्तियों के ऋण में कमी / (वृद्धि)	(245.50)	(175.53)
वित्तीय दायितव में (कमी)/ वृद्धि-अन्य	2,976.28	11,817.79
प्रावधानों में (कमी)/ वृद्धि	223.67	252.35
अन्य चालू दायित्व में (कमी)/ वृद्धि	156.28	303.56
अन्य गैर चालू दायित्व में कमी/ (वृद्धि)	13.57	0.97
(2)	**3,769.82**	**8,133.23**
प्रचालनों से सृजित नगदी (1+2)	**3,204.24**	**7,633.94**
प्रदत्त आय कर	(1,746.59)	(1,997.39)
प्रचालनात्मक गतिविधियों से सृजित कुल नकदी	**1,457.65**	**5,636.55**
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपति, संयन्त्र तथा उपकरणों एवं अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों तथा सीडब्लयूआईपी की खरीद	(3,32,396.58)	(1,45,849.59)
परियोजना कार्य एवं पूंजीगत वस्तुएँ हेतु पूँजी अग्रिम	(1,50,708.75)	(69,494.48)
बैंक जमाओं में वृद्धि	(20,700.00)	8,538.44
ब्याज से आय	8,936.57	6,804.51
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निबल नकदी	**(4,94,868.76)**	**(2,00,001.12)**
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयर पूँजी के निर्गमन से कार्यवाहियाँ	4,52,500.00	1,80,000.00
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	-	60,000.00
शेयर निर्गमन व्यय	(467.50)	(180.32)
लीज देयता पर ब्याज	(105.99)	-
लीज देयता पर भुगतान	(538.68)	-
वित्तीय गतिविधियों से सृजित निबल नकदी	**4,51,387.83**	**2,39,819.68**
नकदी तथा नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/ (कमी) (A+B+C)	**(42,023.28)**	**45,455.11**
प्रारम्भिक नकदी तथा नकदी समतुल्य	55,278.36	9,823.25
अन्तिम नकदी तथा नकदी समतुल्य	**13,255.08**	**55,278.36**
निम्नलिखित से निर्मित नकदी तथा नकदी समतुल्य:		
उपलब्ध मुद्रा	-	-
बैंक में शेष:		
– चालू खाता	264.60	243.40
– फ्लेकसी खाते में	5,405.80	5,025.48
– तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित सावधि जमा	7,571.20	50,000.00
अग्रदाय लेखा	13.48	9.48
तुलन पत्र के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य	**13,255.08**	**55,278.36**

टिप्पणियाँ:-

नकदी प्रवाह विवरण कारपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इण्ड एएस-7 में निर्धारित के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। 1 मार्च 2020 के अनुसार वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान नोट 28 (ii) में प्रस्तुत किया गया है।

यह अद्यतनीकृत संलग्न हमार प्रतिवेदन में सन्दर्भित नकदा प्रवाह का विवरण है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन : 003330N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल
सदस्यता सं. 515717

(अचल खरे)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07576351

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
डीआईएन : 08012372

(सुमीता शर्मा)
कम्पनी सचिव
एम सं. : FCS5250

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
1 अप्रैल, 2019 को शेष	2,45,50,000	2,45,500.00
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन	5,12,50,000	5,12,500.00
31 मार्च, 2020 को शेष	**7,58,00,000**	**7,58,000.00**

B. अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	6,947.63	60,000.00	66,947.63
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	5.21	-	5.21
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	**-**	**6,952.84**	**60,000.00**	**66,952.84**
वर्ष हेतु लाभ	-	5,591.58	-	5,591.58
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निबल आय कर)	-	42.27	-	42.27
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	**-**	**5,633.85**	**-**	**5,633.85**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	4,52,500.00	4,52,500.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(5,12,500.00)	(5,12,500.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(512.50)	-	(512.50)
वर्ष के अन्त में शेष	**-**	**12,074.19**	**-**	**12,074.19**

यह विवरण हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन : 003330N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल
सदस्यता सं.:515717

(अचल खरे)
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन : 07576351

(अरुण बिजलवान)
निदेशक वित्त
डीआईएन : 08012372

(सुमीता शर्मा)
कम्पनी सचिव
एम सं. : FCS5250

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
1 अप्रैल, 2018 को शेष	65,50,000	65,500.00
वर्ष के दौरान शेयर पूँजी का निर्गमन	1,80,00,000	1,80,000.00
31 मार्च, 2019 को शेष	**2,45,50,000**	**2,45,500.00**

B. अन्य इक्विटी राशि (रु. लाख में)

विवरण	आरक्षी एवं अधिशेष		शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन	कुल
	सामान्य आरक्षी	अनुरक्षित आय		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	-	2,691.02	-	2,691.02
लेखांकन नीति में परिवर्तन अथवा अवधि पूर्व त्रुटियाँ	-	(172.38)	-	(172.38)
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: कथित शेष	**-**	**2,518.64**	**-**	**2,518.64**
वर्ष हेतु लाभ	-	4,609.79	-	4,609.79
वर्ष हेतु अन्य व्यापक आय (निबल आय कर)	-	(0.48)	-	(0.48)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय		**4,609.31**	**-**	**4,609.31**
अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	-	-	2,40,000.00	2,40,000.00
वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	-	-	(1,80,000.00)	(1,80,000.00)
शेयर निर्गमन व्यय	-	(180.32)	-	(180.32)
वर्ष के अन्त में शेष	**-**	**6,947.63**	**60,000.00**	**66,947.63**

यह विवरण हमारे संलग्न अद्यतनीकृत प्रतिवेदन में सन्दर्भित इक्विटी में परिवर्तन का है।

कृते सहगल मेहता एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स
एफआरएन : 003330N

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

साझेदार : सीए पंकज कुमार गोयल
सदस्यता सं.:515717

(अचल खरे)	(अरुण बिजलवान)	(सुमीता शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक	निदेशक वित्त	कम्पनी सचिव
डीआईएन : 07576351	डीआईएन : 08012372	एम सं. : FCS5250

दिनांक : 01.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियाँ (1 – 40)

1. सामान्य सूचना

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) भारत में अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, एशिया भवन, रोड सं. 205, सेक्टर-9, द्वारका (दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली) नई दिल्ली-110077 है। यह कम्पनी 12 फरवरी, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित हुई थी। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के बीच हाई स्पीड रेल सेवाओं की योजना, रूपरेखा, विकास, निर्माण, प्रवर्तन, रखरखाव, प्रचालन तथा वित्त पोषण तथा / अथवा अपने किसी अन्य क्षेत्र में, स्वयमेव अथवा अधिग्रहण द्वारा अथवा रेल मंत्रालय या भारत सरकार या ऐसे किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अनुसार समस्त सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित किसी माध्यम या माध्यमों के संयोजन के नये ट्रांजिट रूट का निर्माण है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांक नीतियों का सारांश

2.1 क) अनुपालन का विवरण

कम्पनी के वित्तीय विवरण यथासमय संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किये जा रहे हैं।

ख) मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा उपचय आधार पर तैयार किया गया है जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक द्वारा वांछित उचित मूल्य पर मापित किया गया है।

i. कुछ निश्चित वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को उचित मूल्य पर मापित किया गया है (नोट सं. 2.21 पर वित्तीय विलेख से सम्बद्ध लेखांकन नीति का संदर्भ लें)

ii . परिभाषित लाभ योजना तथा योजना परिसम्पत्तियाँ।

ग) आन्कलनों तथा निर्णय का उपयोग

इण्ड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु प्रबन्धन के लिए निर्णय, आकलन तथा अभिधारणाएँ निर्मित करना अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर लेखांकन नीतियों तथा परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटन और आय तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करते हैं। ऐसे आकलन में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के तहत भावी दायित्व और सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन, कर्मचारी लाभ व्यय, प्रावधानों आदि का आकलन सम्मिलित है। वास्तविक परिणाम इन आकलन से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन तथा निहित अभिधारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन आकलन में परिवर्तनों के कारण भावी परिणामों भिन्नता हो सकती है और वास्तविक परिणाम तथा आकलन के मध्य के अन्तर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणामों को ज्ञात / प्रकटित किया गया है।

वित्तीय विवरणों की समझ में वृद्धि के क्रम में, आकलन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में सूचना, वित्तीय विवरणों में चिन्हित राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों के प्रयोग में अनिश्चितता तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं :

- **सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण**: उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा मूल्य ह्रास के साथ की जाती है। जीवनकाल भावी घटनाओं के पूर्वानुमान तथा ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होता है।
- **प्रावधान**: तुलन पत्र की तिथि पर दायित्वों के समायोजन हेतु अनुमान के आधार पर प्रावधानों का निर्धारण किया जाता है।
- **आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियाँ**: प्रबन्धन के निर्णय पर आधारित आकस्मिक दायित्व/ परिसम्पत्तियों के प्रकटन की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबन्धकीय अनुमान को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।
- **गैर वित्तीय परिसम्पतियों का क्षति परीक्षण**: सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों के अभिधारणा के निर्णय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का अभिज्ञान:** आस्थगित कर सम्पत्तियों का अभिज्ञान भावी कर योग्य आय की सम्भाव्यता के आधार पर किया जाता है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर का उपयोग किया जा सके।
- **रोजगार पश्चात लाभ** : रोजगार लाभ दायित्वों का मापन जीवनांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्युता तथा आहरण दर और छूट की दर पर भावी विकास से सम्बद्ध पूर्वानुमान, वेतन वृद्धि की दरें तथा मुद्रास्फ़ीति दर शामिल हैं। कम्पनी विचार करती है कि दायित्वों के मापन में प्रयुक्त पूर्वानुमान उचित तथा प्रलेखित हैं। किन्तु इन पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन होने से परिणामी गणनाओं पर तात्विक प्रभाव पड़ता है।

घ) सभी वित्तीय सूचनाएँ भारतीय रूपयों में प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य रूप से कथित को छोड़कर समस्त मूल्य निकटतम लाख में प्रदर्शित किये जाते हैं।

राशियों को लाख रुपयों में प्रदर्शित किया गया है। यदि योग करने में कोई अनियमितता राउंड ऑफ (निकटतमीकरण) के कारण है तो इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.2 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह की गणना अप्रत्यक्ष विधि से की जाती है जिसके द्वारा गैर-नकदी प्रकृति के लेन-देनों के प्रभावों तथा विगत अथवा भावी नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी आस्थगित अदायगी या संग्रहण हेतु कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है। कम्पनी के प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक्कृत किया जाता है।

नकदी प्रवाह के विवरण में प्रस्तुतीकरण के उद्देश्य हेतु नकदी तथा नकदी समतुल्य के अन्तर्गत उपलब्ध नकदी, वित्तीय संस्थानों में आदेश पर धारित जमा, अन्य अल्पकालीन, तीन माह की मूल परिपक्वता वाले उच्च तरल निवेश जो ज्ञात नकद राशि में तुरन्त परिवर्तनीय हों और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य हो तथा बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को तुलन पत्र में वर्तमान दायित्वों में उधारियों के भीतर प्रदर्शित किया गया है।

2.3 प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक परिवेश के प्रयोग द्वारा किया जाता है जिसमें कम्पनी प्रचालन करती है (प्रकार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरणों को भारतीय मुद्रा (आईएनआर) में प्रदर्शित किया जाता है जो कि कम्पनी की प्रकार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन-देनों को लेन-देन के समय विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलेखित किया जाता है।

विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक मदों को प्रतिवेदन की तिथि के समय लागू दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के समायोजन या परिवर्तन के कारण होने वाले विनिमय के अन्तर को लाभ या हानि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

2.4 सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण

(क) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरणों की माप न्यून संचयी मूल्य ह्रास तथा खराबी क्षति की लागत पर, यदि कोई हो, की जाती है।

परिसम्पत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रत्यक्ष आरोग्य लागत

ii. विनष्टीकरण तथा मदों के निस्तारण एवं अभिज्ञान मानदंड की पूर्ति न होने पर उस साइट का पुनरुद्धार करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य जहाँ वह स्थित है।

(ख) यदि अभिज्ञान मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है तो प्रतिस्थापन, वृहत निरीक्षण, महत्त्वपूर्ण कलपुर्जी के मरम्मत की लागत को पूँजीकृत किया जाता है।

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद को निस्तारण के समय अथवा परिसम्पत्ति के सतत प्रयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो तो इसे अमान्य कर दिया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद का निस्तारण अथवा सेवामुक्ति से उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को विक्रय कार्यवाहियों तथा परिसम्पत्ति की वाहक राशि के अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ या हानि विवरण में स्थान दिया जाता है।

मूल्य ह्रास तथा ऋण परिशोधन

(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची || में निर्दिष्ट के अनुसार उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से प्रावधानित किया गया है।

(ख) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग को अलग-अलग मूल्यह्रासित किया जाता है यदि उस मद की कुल लागत के सम्बन्ध में पुर्जे की लागत सार्थक है तथा उस पुर्जे का उपयोगी जीवन शेष परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

(ग) <u>**कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति**</u>

i. कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्ति

मोबाइल फोन को छोड़कर , कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

ii. कर्मचारियों को प्रदत्त मोबाइल फोन

कर्मचारियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों एसएलएम आधार पर 2 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

iii. वापस न लेने के आधार पर कर्मचारियों को प्रदत्त ब्रीफ केस की लागत की प्रतिपूर्ति को भुगतान वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

(घ) सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण के सार्थक मदों की चालू तथा तुलनात्मक अवधि हेतु परिसम्पतियों का आन्कलित उपयोगी जीवन (कर्मचारियों को दी गई परिसम्पतियों के अलावा) निम्नलिखित है:

फर्नीचर तथा फिक्सचर	10 वर्ष
ईडीपी परिसम्पत्तियाँ	3 वर्ष
कार्यालयी उपकरण	5 वर्ष
वाहन	8 वर्ष

(ङ) लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट्स (पट्टे की सम्पत्ति का निर्माण) उस महीने से पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं जिसमें इस तरह के सुधार को पूँजीकरण किया जाता है।

(च) मूल्यह्रास की विधियों, उपयोगी जीवन तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर की गयी है।

2.5 अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

1 . प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त परिसम्पत्ति को यदि और केवल मान्यता दी जाती है जहाँ यह सम्भावना हो कि भावी आर्थिक लाभ जो संपत्ति के लिए माना सकता है कम्पनी की ओर प्रवाहित होगा और परिसम्पत्ति की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

कंपनी द्वारा खरीदी गई अमूर्त परिसम्पत्ति की कीमत प्रारंभिक मान्यता से गणना की जाती है। बाद में माप कम लागत पर संचित परिशोधन और संचित ह्रास घाटे से किये जाते हैं । मूल्य में अपने इच्छित उद्देश्य के लिए परिसम्पत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रत्यक्ष योगदान की लागत शामिल है।

विकास कार्यों पर व्यय तभी पूंजीकृत होगा जब लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है, उत्पादन या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के वित्तीय लाभ संभव हैं और कंपनी का इरादा है और विकास को पूरा करने और संपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखती हैं।

अमूर्त परिसम्पत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए व्यय को विकास की अमूर्त परिसम्पत्ति के रूप में माना जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उद्देश्य के लिए तैयार न हों।

2. तदंतर लागत

तदंतर व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है, जब यह संभावित होता है कि होने वाले लागत भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत की माप विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।

3. मान्यता वापस लेना

एक अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता तब वापस ली जाती है जब उनके उपयोग या निपटान के माध्यम से कोई भविष्य के वित्तीय लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति के एक आइटम के निपटान में लाभ और नुकसान, लाभ-हानि विवरण में पहचाने गए अमूर्त परिसंपत्ति की मात्रा की तुलना करके निर्धारित किया जाता है।

2.6 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को बकाया संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण के अधिग्रहण की गई राशि तथा उस तारीख से पहले अपेक्षित उपयोग हेतु तैयार नहीं संपत्ति, प्लांट तथा उपकरण की लागत का खुलासा प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत् किया जाता है।

व्यय जिनकी पहचान प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा हाथ में ली गई परियोजना के साथ की जा सकती है, को "प्रत्यक्ष परियोजना व्यय" के तहत् "प्रगति पर पूंजीगत कार्य" में डेबिट कर दिया जाता है। कर्मचारी लाभ की प्रकृति वाले अप्रत्यक्ष व्यय तथा परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय को परियोजना में प्रभारित किया गया है।

निर्माण की अवधि से जुड़े आय तथा अन्य आकस्मिक आय, जैसे कि ब्याज आय (इक्विटी के माध्यम से प्राप्त निधियों के तात्कालिक उपयोग से होने वाले को छोड़कर), निविदा प्रपत्रों की बिक्री आदि को निर्माण के दौरान होने वाले व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

2.7 भूमि

1. भूमि को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए फ्रेमवर्क द्वारा आवश्यक नियंत्रण के अनुसार एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए भूमि पार्सल और कंपनी द्वारा कब्जा किये गए को कंपनी के नाम पर हक़ विलेखों के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना कंपनी द्वारा जमीन पर कब्जा करने या भुगतान करने से पहले जो भी पहले हो, उस समय पूंजीकरण किया गया है।
3. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, जब देय राशि देय हो तब बुक की जाएगी क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।
4. पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भूमि से संबंधित अन्य खर्चों की लागत को भूमि की कीमत में जोड़ा जाता है।
5. अंतिम रूप से किए गए भुगतान / भूमि पर लीज-होल्ड भूमि सहित लागत, स्ट्रक्चर के अधिग्रहण की लागत कम हुई ऐसी संरचनाओं की बिक्री आय या मुआवजे के लिए प्रदान की गई बाध्यता के संगत प्रभाव को भूमि या लीज-होल्ड भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।
6. अंतिम रूप से किए गए भुगतान / अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रति प्रदान किए गए दायित्व का संगत प्रभाव भूमि के कब्जे की अवधि में परिशोधित होता है।

7. कंपनी के लिए जमीन खरीदने के लिए सक्षम प्राधिकारी को भुगतान की गई राशि को शुरू में एडवांस फॉर लैंड (सीएएलए) माना जाता है। उक्त उद्देश्य के लिए सीधे भूस्वामियों को सीएएलए खातों के माध्यम से संवितरण भूमि लागत के रूप में समायोजित किया जाता है और शेष राशि सीएएलए के साथ अग्रिम के रूप में दर्शाई जाती है।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देनदारियाँ तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

क) उन देनदारीओं के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, जिनका मापन केवल प्राक्कलनों का काफी हद तक उपयोग करके किया जा सकता है, जब :

i. पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान समय में अनिवार्यता हो।

ii. आर्थिक लाभ को शामिल कर संसाधनों का संभावित प्रसार, उन अनिवार्यता के समाधान के लिए अपेक्षित हो, तथा

iii. अनिवार्यता की राशि का प्राक्कलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को प्रावधानों का पुनरावलोकन किया जा सकता है।

प्रावधानों की छूट प्रदान करना

जब राशि के समय-मूल्य का प्रभाव मेटेरियल हो, तो किसी प्रावधान की राशि उस अनिवार्यता के समाधान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

ख) निम्नलिखित मामलों में से प्रत्येक में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है :

i. किसी पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान अनिवार्यता, जहाँ यह संभावना नहीं हो कि दायित्व के निबटान के लिए संसाधनों का प्रसार अपेक्षित होगा, या

ii. वर्तमान अनिवार्यता का एक विश्वसनीय प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सकता है, या

iii. एक संभाव्य अनिवार्यता, जबतक संसाधन के प्रसार की संभाव्यता क्षीण हो।

आकस्मिक देनदारी तथा आकस्मिक परिसंपत्ति के विरुद्ध आवश्यक देनदारी तथा प्रावधानों का पुनरावलोकन प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को किया जाता है।

ग) जब आर्थिक लाभ का प्रसार संभाव्य हो, तो आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा किया जाता है।

2.9 राजस्व की पहचान

क) ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व

i. ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है।

ii. प्राप्त प्रतिफल या प्राप्त प्राप्य के उचित मूल्य पर ही राजस्व का मापन किया जाता है।

ख) अन्य राजस्व की पहचान

i. ब्याज आय की पहचान, प्रभावी ब्याज दर तरीके का उपयोग करके बकाया राशि तथा लागू योग्य ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपातिक आधार पर किया जाता है।

2.10 पट्टा

i) **पट्टाग्राही के रूप में**

कंपनी पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर उपयुक्त परिसंपत्ति को उपयोग करने का अधिकार और पट्टा देयता की पहचान करती है। राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है; इसके अलावा किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत का अनुमान लगाने और अंतर्निहित संपत्ति को हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह स्थित है, किसी भी पट्टा प्रोत्साहन से घटाने पर ।

उपयोग की परिसंपत्ति को बाद में प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके मूल्य राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में मूल्यह्रास किया जाता है। उपयुक्त-उपयोगी संपत्ति अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति, पौधों और उपकरणों के अनुमानित आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा, राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट कभी-कभी ह्रास के नुकसान , यदि कोई हो, से कम हो जाती है, और पट्टे की देयता की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समायोजित की जाती है।

पट्टा देयता की गणना शुरू में लीज भुगतान की प्रारंभ तिथि पर की जाती है, जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो, और पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट देकर, या यदि वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर से की जाती है ।

लीज देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है; जब किसी इंडेक्स या रेट में बदलाव से भविष्य के पट्टों के भुगतान में कोई बदलाव होता है, तो इसे पुनः मापा जाता है। जब इस तरह से पट्टा दायित्व को फिर से मापा जाता है, तो एक संगत समायोजन 'राइट ऑफ़ यूज़ ऑफ़ एसेट्स की वहन राशि के लिए किया जाता है, या अगर सही उपयोग की परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो तो लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है ।

कंपनी राइट-ऑफ़-यूज़ एसेट का इस्तेमाल तब करती है जब "अन्य उपयोगिताओं के अधिकार" और बैलेंस शीट में "अन्य वित्तीय दायित्वों के अधिकार" के तहत निवेश परिसंपत्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती है।

अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्ट

कंपनी ने अल्प अवधि पट्टों के लिए संपत्ति का उपयोग का अधिकार और लीज दायित्व को मान्यता नहीं देने का चयन किया है, जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम है और जो कम मूल्य की आस्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर एक व्यय के रूप में मानती है ।

ii) **पट्टादाता के रूप में**

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में होती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय निर्धारित करती है कि प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को हस्तांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो यह एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख हिस्से के रूप में है।

यदि किसी व्यवस्था में पट्टे और गैर-पट्टे के घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल को आवंटित करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के रूप में इण्ड-एएस -115 "ग्राहकों से संविदा से राजस्व" लागू करती है।

कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त लीज भुगतानों को पहचानती है।

2.11 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्तियों की हानि पर इण्ड-एएस -36 के अनुसार, वहाँ हानि का कोई संकेत है या नहीं, इसके विनिश्चय के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को कंपनी की परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई पड़ता है, तो उचित मूल्य के उच्चतम में से विक्रय में होने वाले खर्च और उपयोग के मूल्य को घटाकर, परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन किया जाता है। बिगाड़ने वाली हानि को लाभ तथा हानि के विवरण में स्थान दिया जाता है, जब भी परिसंपत्ति द्वारा वहन की जाने वाली राशि या इसका नकद उत्पन्न करने वाली ईकाई इसके वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है। पूर्व के लेखांकन अवधियों में पहचाने गए बिगाड़ने वाली हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में कोई बदलाव आया है और ऐसी हानियाँ अब मौजूद नहीं हैं या कम हो गई हैं। लाभ तथा हानि के विवरण में बिगाड़ने वाली हानि को मान्यता प्रदान की जाती है।

2.12 उधारीकृत लागत

किसी परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई निधियों पर होने वाले उधारीकृत लागत और इनमें पहचाने गए लागत को परियोजना के प्रारंभ होने के समय तक पूंजीकृत कर दिया जाता है या इसके किसी हिस्से को पूंजीकृत कर दिया जाता है और उसके उपरांत उसे उस विस्तार तक राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है, जिस विस्तार तक परिसंपत्तियाँ वाणिज्यिक परिचालन के अधीन हैं।

2.13 कर्मचारी लाभ

क) कम अवधि के कर्मचारी लाभ

सेवा ग्रहण करने की तारीख से बारह महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को कम अवधि के कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे कि वेतन, मजदूरी, तथा कम अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों, एल.टी.सी. इत्यादि को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ख) लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

i. लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ, जैसे लंबी अवधि के अनुकंपित गैरहाजिरियों तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए अनिवार्यताओं को उसी रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जैसे कि परिभाषित लाभ योजनाओं के मामलों में किया जाता है, जैसे नीचे (ग)(ii) में उल्लिखित है।

ग) सेवानिवृति उपरांत लाभ

i. **परिभाषित योगदानकारी योजनाएँ:**
कंपनी भविष्य निधि योजना, सी.जी.आई.एस. तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित योगदान करता है। इन योजनाओं के तहत् भुगतान किए गए/भुगतान योग्य योगदान की मान्यता उस अवधि के दौरान प्रदान की जाती है, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

ii. **परिभाषित लाभ योजनाएँ**: उपादान एक सेवानिवति उपरांत पारिभाषित लाभ योजना है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देनदारी, बैलेंस शीट की तारीख को पारिभाषित लाभ अनिवार्यता के वर्तमान

मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर आकलित की जाती है। पारिभाषित लाभ अनिवार्यता की गणना एक स्वतंत्र गणक से की जाती है और प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट(पी.यू.सी.) तरीके का उपयोग किया जाता है। वास्तविक लाभों तथा हानियों को अविलंब लाभ तथा हानि खाते में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) **सेवानिवृति लाभ** : "प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारी" के सेवानिवृति लाभों का लेखांकन रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

ङ) **पुन: मापन**

अनुभव लाभ के समायोजन से उत्पन्न लाभ और हानि, परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन जैसे कि उपादान को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। इक्विटी और बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ़ चेंज में उन्हें बरकरार कमाई में शामिल किया गया है।

2.14 चालू आयकर

i. किसी वर्ष के लिए कर पर होने वाले व्यय में चालू आयकर तथा विलंबित कर शामिल रहता है।

ii. चालू कर का मापन उस राशि पर किया जाता है, जिस राशि का भुगतान लागू कर की दरों का उपयोग करके कर प्राधिकारियों को किया जाना है।

iii. राशि की गणना करने के लिए कर की दर या कर संबंधी कानून वही होते हैं, जो रिपोर्टिंग की तारीख को उन देशों में लागू रहते हैं या लागू होने वाले होते हैं, जहाँ कंपनी अपना परिचालन कर रही होती है और कर योग्य आय उत्पन्न कर रही होती है।

iv. ओ.सी.आई. मदों से संबंधित चालू कर को अन्य विस्तृत आय(ओ.सी.आई.) में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 विलंबित कर

भारतीय लेखांकन मानक इण्ड-एएस 12 के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी "आयकर"|

i. विलंबित आयकर परिसंपत्तियाँ तथा देनदारियों की मान्यता उन तात्कालिक अंतरों के लिए दी जाती है, जिनका आकलन रिपोर्टिंग की तारीख को लागू या निश्चित रूप से लागू होने वाले कर की दरों या कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है।

ii. विलंबित कर की पहचान उस विस्तार तक की जाती है, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि वैसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध घटाये जाने योग्य तात्कालिक अंतरों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के पिछले बकायों तथा अप्रयुक्त कर हानियों को उपयोग में लाया जा सकता है।

ii. प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को विलंबित आयकर परिसंपत्तियों द्वारा वहन की जाने वाली राशि का पुनरावलोकन किया जाता है और उसे इस विस्तार तक कम किया जाता है कि अब यह संभाव्य नहीं हो कि उपयोग की जाने वाली विलंबित आय कर परिसंपत्ति के सभी या किसी हिस्से की अनुमति प्रदान करने के लिए उपयुक्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी।

iv. ओ.सी.आई. मद से संबंधित विलंबित कर की मान्यता अन्य विस्तृत आय(ओ.सी.आई.) में दी जाती है।

2.16 प्रति शेयर आय

1. प्रति शेयर मूल आय की गणना, किसी अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या द्वारा, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन बोनस के मुद्दे तथा शेयर में गिरावट की घटनाओं के लिए किया जाता है।

2. प्रति शेयर तरलीकृत आय की गणना के उद्देश्य से, उस अवधि के लिए इक्विटी शेयर धारकों को योगदानकारी सकल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की प्रभारित औसत संख्या का समायोजन, सभी तरलीकृत क्षमतावान इक्विटी शेयरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।

2.17 प्राथमिक व्यय

सभी प्राथमिक व्यय को व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब ये व्यय होते हैं।

2.18 इक्विटी धारकों को लाभांश

भुगतान किए गए/ भुगतान योग्य लाभांश को मान्यता उस वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जिस वर्ष में संबंधित लाभांश को शेयरधारकों द्वारा या निदेशक मंडल द्वारा समुचित अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

2.19 बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत घटित घटनाएँ

बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत घटित घटनाओं को, इण्ड-एएस 10 (बैलेंस शीट की तारीख के उपरांत आकस्मिकताएँ तथा घटित घटनाएँ) के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को उचित मूल्य पर कुछ विशेष वित्तीय उपकरणों का मापन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जिसे मापन की तारीख को क्रमबद्ध लेनदेन के रूप में किसी परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त किया जाता है या देनदारी के हस्तांतरण में चुकाया जाता है। उचित मूल्य मापन उन पूर्वानुमानों पर आधारित होता है, जो किसी परिसंपत्ति को बेचने या देनदारियों के हस्तांतरण करने से होने वाले किसी भी लेनदेन से होता है:

- मूल बाजार में परिसंपत्ति या देनदारी के लिए,
- या मूल बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देनदारी के सबसे लाभप्रद बाजार में

मूल या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के पहुँच के भीतर होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या किसी देनदारी के उचित मूल्य का मापन उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके किया जाता है, जिनका उपयोग बाजार में प्रतिस्पर्धी किसी परिसंपत्ति या देनदारी के मूल्यन में करते हैं और यह मान लिया जाता है कि बाजार के प्रतिस्पर्धी अपने सबसे अच्छे आर्थिक हित की दिशा में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यन की तकनीक का उपयोग करती है, जो परिस्थितियों में समुचित हों और जिसके लिए उचित मूल्य के मापन के लिए समुचित आँकड़े उपलब्ध होते हैं और संबंधित पर्यवेक्षी इनपटों का उपयोग सबसे अधिकतम कर दिया जाता है तथा अपर्यवेक्षी इनपूटों का उपयोग निम्नतम कर दिया जाता है।

2.21 वित्तीय प्रपत्र:

क) **प्रारंभिक मान्यता**: वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों को मान्यता तब मिलती है, जब कंपनी लिखत के अनबंधित प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने में प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी विनिमय लागत(वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देनदारियों को छोड़

कर लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर) को वित्तीय परिसंपत्तियों या देनदारियों के प्रारंभिक मान्यता के समय मापन किए गए उचित मूल्य में जोड़ दिया जाता है या उससे घटा दिया जाता है।

ख) परिणामी मापन

<u>वित्तीय परिसंपत्तियाँ</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित कोटियों में किया जाता है।:

i. **मूर्तकरण लागत पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का परिणामी मापन मूर्तकरण लागत पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य इन परिसंपत्तियों को धारित करना है ताकि संविदागत नकद का संग्रहण किया जा सके और वित्तीय परिसंपत्ति की अनुबंधित अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

ii. **अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी ऐसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य तब पूरा होता है जब संविदागत नकद का संग्रहण किया जाए तथा वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचा जाए और वित्तीय परिसंपत्ति का संविदागत अवधि नकद प्रवाह को किसी विशिष्ट तिथि को बढ़ा सके और जो बकाया मूलधन की राशि पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान मात्र हो।

iii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर**

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर तब किया जाता है, जब प्रारंभिक मान्यता पर इसका मापन अन्य विस्तृत आय के माध्यम से मूर्तकरण लागत पर या उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष तौर पर योगदानकारी लेनदेन की लागत को अविलंब लाभ या हानि के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

<u>वित्तीय देनदारियाँ</u>

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है।:

i. **अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियाँ**

व्यापार तथा अन्य देयताओं, सुरक्षा जमा तथा धारिता राशि इत्यादि द्वारा दर्शाए गए अमूर्तकरण लागत पर वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उसके उपरांत प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके इसे अमूर्तकरण लागत पर ले जाया जाता है।

ii. **लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ (एफवीटीपीएल)**

कंपनी ने एफवीटीपीएल पर किन्हीं वित्तीय देनदारियों को चिह्नित नहीं किया है।

ग) **मान्यता समाप्त करना**

i) **वित्तीय परिसंपत्ति**

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह) की मान्यता तब खत्म की जाती है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकद प्रवाह से जुड़ा संविदागत अधिकार समाप्त होता है या यह वित्तीय परिसंपत्तियों तथा इससे जुड़े सभी जोखिमों और लाभों को संपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है।

ii) **वित्तीय देनदारी**

एक वित्तीय देनदारी की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब देनदारी के अधीन किसी अनिवार्यता का निबटान कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या वह समाप्त हो जाता है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देनदारी का स्थान, उसी ऋण प्रदाता के प्रति अन्य देनदारी परिणामी रूप से किसी अन्य शर्तों पर ले लेती है या किसी वर्तमान देनदारी की शर्तों को आंशिक रूप से बदला जाता है तो ऐसे बदलाव या सुधार को वास्तविक देनदारी की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और नई देनदारी की मान्यता तथा क्रमशः वहन की जाने वाली राशियों में अंतर को लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

घ) **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**: बिगाड़ने वाली हानि की मापन तथा उनकी पहचान के लिए, कंपनी अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ई.सी.एल.) मॉडल को अपनाती है। कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर बिगाड़ने वाली लॉस भत्ते की पहचान के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के लागू होने में यह अपेक्षित नहीं होता कि कंपनी क्रेडिट जोखिम में बदलाव का पता लगाए। इसके अलावा यह अपने प्रारंभिक मान्यता से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को लाइफटाइम ई.सी.एस. पर आधारित बिगाड़ने वाली हानि की पहचान करता है।

कंपनी अन्य विस्तृत आय ऋण उपकरण के माध्यम से अमूर्तकरण लागत पर तथा उचित मूल्य पर वहन किए जा रहे, अपनी परिसंपत्तियों से जुड़े अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन दूरगामी सोच के आधार पर करता है। बिगाड़ने वाली का यह तरीका इस बात पर लागू होता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

किसी अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ई.सी.एल. बिगाड़ने वाली हानि भत्ता (या विपरीत) की पहचान लाभ तथा हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में की जाती है।

2.22 विक्रय के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ (या निबटान समूह)

जब गैर-चालू परिसम्पत्तियों (अथवा निस्तारण समूह) की वाहित राशि विक्रय लेन-देन के माध्यम से मूलधन के रूप में वसूल की जानी हो और विक्रय को अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है तो गैर-चालू परिसम्पत्तियों को विक्रय हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विक्रय को केवल उस समय अत्यधिक सम्भाव्य माना जाता है जब परिसम्पत्ति अथवा निस्तारण समूह इसकी वर्तमान स्थिति में तुरन्त विक्रय के लिए उपलब्ध है, यह असम्भाव्य है कि विक्रय वापस कर लिया जायेगा और विक्रय वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रत्याशित है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत निस्तारण समूहों को वाहित राशि के न्यूनतर पर उल्लिखित हैं और विक्रय हेतु उचित मूल्य की लागत कम होती है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों को मूल्यह्रासित नहीं किया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों को वित्तीय स्थिति के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

यदि इण्ड एएस 105 "विक्रय हेतु धारित गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ तथा स्थगित प्रचालनों" द्वारा कथित मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है तो निस्तारण समूह विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होने वाली गैर-चालू परिसम्पत्तियों का मापन (i) विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाने से पूर्व इसकी वाहित राशि के न्यूनतर पर उस मूल्यह्रास हेतु समायोजित किया जाता है जिसे विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत न होने पर मान्यता दी जाती, तथा (ii) विक्रय हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत होने की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि के न्यूनतर पर मापित किया जाता है।

2.23 पूर्व अवधि समायोजन

जिस अवधि में त्रुटि हुई, उससे पहले की अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को बहाल करके महत्वपूर्ण पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है। यदि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले त्रुटि हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को तब तक बहाल किया जाता है जब तक कि यह अव्यावहारिक न हो, इस मामले में, तुलनात्मक जानकारी को नए लेखांकन से संभावित रूप से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है जो कि संभावित रूप से सबसे प्रारंभिक तिथि से व्यावहारिक है ”।

पूर्वदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में 5,00,000 रुपये तक के पूर्वदत्त व्यय को वर्ष के व्यय / आय के रूप में माना जाता है और खातों के प्राकृतिक प्रमुख के तहत लिया जाता है।

नोट:- 3
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड उन्नतियाँ	पट्टे वाली उन्नतियाँ	पट्टाधृत सुधार	फर्नीचर एवं फिक्सचर	मोटर वाहन	इडीपी परिसम्पत्तियाँ	कार्यालयी उपकरण	कुल
कुल वाहक राशि								
1 अप्रैल, 2018 को	34.08	-	341.23	46.97	47.92	112.36	73.53	**656.09**
संवर्धन	1,02,235.10	4,491.24	1.51	206.27	27.10	554.84	234.25	1,07,750.31
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	(0.78)	-	-	(3.34)	(4.12)
31 मार्च 2019 को	**1,02,269.18**	**4,491.24**	**342.74**	**252.46**	**75.02**	**667.20**	**304.44**	**1,08,402.28**
संवर्धन	2,21,342.83	23,887.08	330.06	259.44	-	236.07	278.40	2,46,333.88
निस्तारण/ समायोजन	-	-	(31.21)	(6.76)	0.00	(7.58)	(13.63)	(59.18)
31 मार्च 2020 को	**3,23,612.01**	**28,378.32**	**641.59**	**505.14**	**75.02**	**895.69**	**569.21**	**3,54,676.98**
संचयी मूल्यह्रास तथा खराबियाँ								
1 अप्रैल, 2018 को	-	-	25.75	2.50	2.98	12.83	5.07	49.13
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	54.23	20.96	7.57	105.94	39.54	228.24
निस्तारण/समायोजन	-	-	-	(0.36)	0.00	0.00	(0.36)	(0.72)
31 मार्च 2019 को	-	-	**79.98**	**23.10**	**10.55**	**118.77**	**44.25**	**276.65**
वर्ष हेतु प्रभारित मूल्यह्रास	-	-	76.60	57.36	8.91	206.03	113.07	461.97
निस्तारण / समायोजन	-	-	(5.21)	(3.47)	0.00	(3.71)	(5.58)	(17.97)
31 मार्च 2020 को	-	-	**151.37**	**76.99**	**19.46**	**321.09**	**151.74**	**720.65**
निबल वाहक मूल्य								
31 मार्च, 2020 को	**3,23,612.01**	**28,378.32**	**490.22**	**428.15**	**55.56**	**574.60**	**417.47**	**3,53,956.33**
31 मार्च, 2019 को	**1,02,269.18**	**4,491.24**	**262.76**	**229.36**	**64.47**	**548.43**	**260.19**	**1,08,125.63**

नोट 3.1 -- इसमें फ्रीहोल्ड भूमि / अधिग्रहीत पट्टे की भूमि के अलावा भूमि अधिग्रहण लागत तथा भूमि अधिग्रहित से सम्बद्ध व्यय एवं सुविधाएँ शामिल हैं। कुछ मामलों में, भूमि फ्रीहोल्ड है और अभी कम्पनी के नाम से स्थानान्तरित नहीं हुई है। भूमि के मूल्य में भारत सरकार / रेल मन्त्रालय / राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी आदि से रु. 28,378.32 लाख की अधिग्रहीत पट्टे की भूमि शामिल हैं। किन्तु कुछ मामले में पट्टे शर्तें पूरी होनी शेष हैं।

नोट 3.2 -- वर्ष के दौरान भूमि के संबंधित शीर्षक को किए गए परिवर्धन के अनुपात में भूमि से संबंधित व्यय को फ्री होल्ड भूमि, लीज होल्ड भूमि और भूमि का उपयोग करने के अधिकार में आवंटित किया नोट गया है।

नोट:- 4
जारी पूँजीगत कार्य

राशि (रु. लाख में)

विवरण	कुल
1 अप्रैल, 2018	**8,765.90**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	1,44,932.87
समायोजन	(1,15,255.10)
31 मार्च, 2019 को	**38,443.67**
संवर्धन (अनुगामी व्यय)	3,31,135.78
समायोजन	(2,46,254.21)
31 मार्च, 2020 को	**1,23,325.24**

नोट सं. 4.1 -- जारी पूँजीगत कार्य का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018-19				वित्त वर्ष 2019-20		
	शेष राशि 1 अप्रैल 2018 तक	संवर्धन	समायोजन	31.3.2019 तक	संवर्धन	समायोजन	31.3.2020 तक
निर्माण/ खरीद लागत	50.99	3,061.81	-	3,112.80	15,545.53	-	18,658.33
भूमि (नोट 4.1.2)	34.08	1,15,221.01	(1,15,255.10)	-	2,46,254.21	(2,46,254.21)	-
उपयोगिता स्थानांतरण	355.29	13,391.86	-	13,747.15	51,790.42	-	65,537.57
परामर्श सेवा लागत	5,129.76	3,637.70	-	8,767.46	3,687.18	-	12,454.64
प्राथमिक परियोजना लागत	1,230.69	1,522.49	-	2,753.18	1,248.65	-	4,001.83
आकस्मिक परियोजना लागत	1,981.39	8,167.48	-	10,148.87	12,785.88	-	22,934.75
घटाया : निविदा का विक्रय एवं अन्य आय	(16.30)	(69.48)	-	(85.78)	(176.09)	-	(261.87)
कुल	**8,765.90**	**1,44,932.87**	**(1,15,255.10)**	**38,443.68**	**3,31,135.78**	**(2,46,254.21)**	**1,23,325.24**

नोट 4.1.1 -- कम्पनी ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) से व्ययों के पूँजीकरण हेतु संशोधित प्रक्रिया सहित निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है, कंपनी ने तदनुसार खर्च का आवंटन किया है।

नोट 4.1.2 -- भूमि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में और जैसे की लागू है राइट फॉर यूज़ ऑफ़ लैंड को अमूर्त संपत्ति के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है

नोट:- 5
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	राइट फॉर यूज़ ऑफ़ लैंड	कुल
कुल वाहक राशि			
1 अप्रैल, 2018 को	**30.72**	**-**	**30.72**
संवर्धन	166.56	8,194.18	8,360.74
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2019 को	**197.28**	**8,194.18**	**8,391.46**
संवर्धन	11.45	1,324.79	1,336.24
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**208.73**	**9,518.97**	**9,727.70**
1 अप्रैल, 2018 को	**2.14**	**-**	**2.14**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	48.40	4.49	52.89
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2019 को	**50.54**	**4.49**	**55.03**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	67.42	244.68	312.10
निस्तारण/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**117.96**	**249.17**	**367.13**
कुल वाहक राशि			
31 मार्च, 2020 को	90.77	9,269.80	**9,360.57**
31 मार्च, 2019 को	**146.74**	**8,189.69**	**8,336.43**

नोट 5.1 -- विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	1,220.86	-
कुल	**1,220.86**	**-**

नोट 5.2 -- राइट ऑफ़ यूज़ ऑफ़ एसेट्स

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल
कुल वाहक राशि			
1 अप्रैल, 2019 को			
इंड एएस-116 के संक्रमण पर समायोजन	1,038.61	208.71	1,247.31
वर्ष के दौरान संवर्धन	22.32	30.84	53.15
निस्तारण/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**1,060.93**	**239.54**	**1,300.47**
संचयी मूल्यह्रास तथा खराबियाँ			
1 अप्रैल, 2019 को			
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	508.93	61.89	570.82
निस्तारण/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को	**508.93**	**61.89**	**570.82**
कुल वाहक राशि			
31 मार्च, 2020 को	**552.00**	**177.65**	**729.65**
31 मार्च, 2019 को	-	-	-

नोट:- 6
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

नोट 6.1 -- ऋण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अप्रतिभूत, उचित समझा गया		
कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)	26.18	27.01
ऋण सुरक्षा जमा	271.81	260.55
कुल	**297.99**	**287.56**

नोट:- 7
आस्थगित कर (परिसम्पत्तियाँ (निबल)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
A. आस्थगित कर दायित्व		
सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण	8.54	30.36
कुल आस्थगित कर दायित्व	**8.54**	**30.36**
B. आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ		
प्राथमिक व्यय	118.11	17.26
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	113.39	76.00
कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**231.50**	**93.26**
निबल आस्थगित कर (दायित्व/ परिसम्पत्तियाँ)	**222.96**	**62.90**

स्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (दायित्व) में प्रचालन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	प्राथमिक व्यय	सम्पत्ति, सयन्त्र तथा उपकरण	कर्मचारी लाभ	कुल
1 अप्रैल, 2018 को प्रारम्भिक शेष	**34.19**	**(7.41)**	**5.82**	**32.60**
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा)				
लाभ एवं हानि को	(16.93)	(22.95)	69.98	**30.10**
अन्य व्यापक आय को	0.00	0.00	0.20	**0.20**
31 मार्च, 2019 को अन्तिम शेष	**17.26**	**(30.36)**	**76.00**	**62.90**
वर्ष के दौरान प्रभारित/ (जमा)				
लाभ एवं हानि को	100.85	21.82	51.61	**174.28**
अन्य व्यापक आय को	-	-	(14.22)	**(14.22)**
31 मार्च, 2020 को अन्तिम शेष	**118.11**	**(8.54)**	**113.39**	**222.96**

नोट:- 8
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
a) अग्रिम पूंजी		
अचल परिसम्पत्तियों हेतु अग्रिम	12.40	2.50
भूमि अधिग्रहण हेतु अग्रिम	53,700.00	3,775.05
अन्य हेतु अग्रिम	1,76,769.58	75,995.68
b) अन्य		
पूर्व दत्त व्यय	-	3.78
उचित मूल्य समायोजन-सुरक्षा जमा*	42.90	62.50
उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	12.63	12.96
कुल	**2,30,537.51**	**79,852.47**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

नोट:- 9
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ - चालू

नोट 9.1 -- नकदी तथा नकदी समतुल्य

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
उपलब्ध मुद्रा	-	-
बैंकों में शेष:		
– चालू खाते में	264.60	243.40
– फ्लेक्सी खाते में	5,405.80	5,025.48
अग्रदाय खाते में	13.48	9.48
सावधि जमा (3 माह से कम की मूल परिपक्वता सहित)	7,571.20	50,000.00
कुल	**13,255.08**	**55,278.36**

नोट 9.2 -- नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विवरण सावधि जमा (3 माह से अधिक और 12 माह तक मूल परिपक्वता सहित)	53,000.00	22,300.00
सावधि जमा (12 माह से अधिक मूल परिपक्वता सहित)	-	10,000.00
कुल	**53,000.00**	**32,300.00**

नोट 9.3 -- ऋण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अप्रतिभूत, उचित समझा गया		
कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)	3.82	3.82
ऋण प्रतिभूति जमा	340.75	105.68
कुल	**344.57**	**109.50**

नोट 9.4 -- अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विवरण ब्याज प्रोद्भूत किन्तु अवधि एवं सावधि जमाओं पर बकाया नहीं	769.26	1,916.72
अन्य प्राप्तियाँ	32.89	1.22
ब्याज प्राप्तियाँ-राइट्स साबरमती	88.92	60.92
कुल	**891.07**	**1,978.86**

नोटः- 10
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
व्ययों हेतु अग्रिम	5.35	7.92
अन्य		
अन्य पूर्वदत्त व्यय	51.11	971.41
उचित मूल्य समायोजन-प्रतिभूति जमा*	19.40	19.31
उचित मूल्य समायोजन-भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए)**	1.20	1.16
अग्रिम-एचएसआर इनोवेशन ट्रस्ट	3.52	1.00
नई एचएसआर परियोजनाओं पर खर्च ***	238.74	-
कुल	**319.32**	**1,000.80**

* यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है।

** यह भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) ऋण के उचित मूल्य तथा लेन-देन मूल्य के मध्य अन्तर के अपरिशोधित भाग को प्रदर्शित करता है

*** रेल मंत्रालय ने नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए डीपीआर की तैयारी के लिए काम सौंपा है, और उसी पर किये गए व्यय को रेलवे मंत्रालय के साथ नियम और शर्तों के लंबित होने तक अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में माना जा रहा है।

नोट:- 11
इक्विटी शेयर पूँजी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अधिकृत शेयर पूँजी		
प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,00,000.00	20,00,000.00
(31 मार्च, 2019 को प्रत्येक रु. 1000 के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर)	20,00,000.00	20,00,000.00
निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी		
पूँजी प्रत्येक रु. 1000 के 7,58,00,000 इक्विटी शेयर	7,58,000.00	2,45,500.00
(31 मार्च, 2019 को प्रत्येक रु. 1000 के 2,45,50,000 इक्विटी शेयर)		
	7,58,000.00	2,45,500.00

नोट 11.1 -- इक्विटी शेयरों तथा शेयर पूँजी की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	राशि (रु. लाख में)
प्रारम्भ में निर्गत/अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूँजी बकाया	2,45,50,000	2,45,500.00	65,50,000	65,500.00
जोड़: अवधि के दौरान निर्गत शेयर	5,12,50,000	5,12,500.00	1,80,00,000	1,80,000.00
वर्ष के अन्त में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूँजी बकाया	**7,58,00,000**	**7,58,000.00**	**2,45,50,000**	**2,45,500.00**

नोट 11.2 -- शेयर से सम्बद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबन्ध

कम्पनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयरों के रूप में सन्दर्भित किया गया है जिसका सममूल्य रु. 1000/- है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरधारक समस्त अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने का हकदार हैं। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान शेयरधारकों को वितरण हेतु घोषित लाभांश शून्य था।

नोट 11.3 -- कम्पनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
इक्विटी शेयर				
रेल मन्त्रालय, भारत सरकार तथा इसके नामित	7,45,00,000	98.28%	2,35,00,000	95.72%
गुजरात सरकार	13,00,000	1.72%	10,50,000	4.28%
कुल	**7,58,00,000**	**100.00%**	**2,45,50,000**	**100.00%**

नोट:- 12
अन्य इक्विटी

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विवरण प्रतिधारित आय (नोट 12.1 का सन्दर्भ लें)	12,074.19	6,947.63
शेयर अनुप्रयोग धन लम्बित आवंटन (नोट 12.2 का सन्दर्भ लें)	-	60,000.00
कुल	**12,074.19**	**66,947.63**

नोट 12.1 - प्रतिधारित आय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रारंभिक शेष	6,947.63	2,518.64
जोड़ : अवधि के दौरान लाभ	5,591.58	4,609.79
घटाया : शेयर निर्गमन व्यय	(512.50)	(180.32)
जोड़ : पूर्व-अवधि समायोजन	5.21	-
जोड़ : निबल आय कर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय	42.27	(0.48)
अन्तिम शेष	**12,074.19**	**6,947.63**

आरक्षियों की प्रकृति तथा उद्देश्य:

(a) **आरक्षित आय**

आरक्षित आय कंपनी के अविभाजित मुनाफे का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 12.2 -- शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आवंटन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रारंभिक शेष	60,000.00	-
जोड़ : अवधि के दौरान प्राप्त शेयर अनुप्रयोग धन	4,52,500.00	2,40,000.00
घटाया : वर्ष के दौरान निर्गत शेयर	(5,12,500.00)	(1,80,000.00)
अन्तिम शेष	**-**	**60,000.00**

नोट:- 13
वित्तीय दायित्व - गैर चालू

नोट 13.1 - अन्य वित्तीय दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
रेल मन्त्रालय से अग्रिम (नोट 13.1.1 का सन्दर्भ लें)	10,000.00	10,000.00
प्रतिभूति जमा	463.18	12.78
पट्टे देयताएं	192.06	-
कुल	**10,655.24**	**10,012.78**

नोट 13.1.1 -- वित्त मन्त्रालय ने एमएएचएसआर परियोजना हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए जेआईसीए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेल मन्त्रालय ने जेआईसीए ऋण की उपलब्धता के लिए अग्रिम रूप में रु. 100 करोड़ जारी किए। एनएचएसआरसीएल तथा रेल मन्त्रालय के बीच पुनर्भुगतान तथा सेवाओं हेतु नियम एवं शर्तें तुलन पत्र की तिथि तक विचाराधीन हैं।

नोट:- 14
प्रावधान गैर - चालू

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
उपादान के लिए प्रावधान	107.11	40.45
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	231.44	88.43
सामान / समायोजन भत्ते हेतु प्रावधान	15.95	13.04
यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान	63.13	76.11
कुल	**417.63**	**218.03**

नोट:- 15
अन्य गैर - चालू दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन	14.56	0.99
कुल	**14.56**	**0.99**

नोट:- 16
वित्तीय दायित्व - चालू

नोट 16.1 - अन्य वित्तीय दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अन्य देयताएँ	4,380.75	2,173.39
देय वेतन	7.39	39.47
प्रतिभूति जमा	1,001.93	606.32
पट्टा देयताएँ	569.72	-
कुल	**5,959.79**	**2,819.18**

नोट:- 17
अन्य चालू दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विधिक बकाये	577.28	446.99
प्रतिभूति जमाओं में उचित मूल्य समायोजन	26.92	0.93
कुल	**604.20**	**447.92**

नोट:- 18
प्रावधान चालू

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सीएसआर व्यय के लिए प्रावधान	45.65	-
उपदान हेतु प्रावधान	0.37	0.17
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	9.93	10.23
यात्रा भत्ता हेतु प्रावधान	9.77	11.53
सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	12.84	32.56
कुल	**78.56**	**54.49**

नोट:- 19
चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
वर्तमान कर हेतु प्रावधान	(1,621.12)	(1,715.34)
अग्रिम कर तथा स्रोत पर कर कटौती	1,746.59	1,940.18
आयकर पिछले वर्ष वापसी योग्य	217.55	-
कुल	**343.02**	**224.84**

नोट:- 20
अन्य आय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज से आय		
सावधि जमा पर ब्याज से आय	7,700.65	6,688.90
ब्याज से आय-फ्लेक्सी खाता	34.50	54.69
ब्याज से आय-अन्य	53.96	60.92
कर्मचारी हेतु एचबीए ऋण के ब्याज से आय	3.17	7.90
वित्तीय आस्तियों पर ब्याज से आय	23.84	14.26
अन्य गैर प्रचालनात्मक आय		
वित्तीय दायित्वों का परिशोधन	10.19	0.70
कुल	**7,826.31**	**6,827.37**

नोट:- 21
कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी तथा बोनस	5,323.29	3,612.32
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	440.12	233.40
उपादान	-	-
अवकाश नकदीकरण	-	-
स्टाफ कल्याण व्यय	760.66	665.14
कुल	**6,524.07**	**4,510.86**
कुल घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(6,385.34)	(4,335.19)
कुल	**138.73**	**175.67**

नोट 21.1 -- कम्पनी ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति से निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है , तथा कंपनी ने तदनुसार व्यय का आवंटन किया है|.

नोट:- 22
वित्त लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कर पर ब्याज	4.87	10.45
प्रतिभूति जमा पर ब्याज की मोचन	9.93	0.68
पट्टा देनदारी पर ब्याज	105.99	-
कुल	**120.79**	**11.13**
कुल घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(114.94)	(0.68)
कुल	**5.85**	**10.45**

नोट:- 23
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
मूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास (नोट-3 का सन्दर्भ लें)	461.96	228.25
अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन (नोट-5 का सन्दर्भ लें)	312.11	52.89
राइट ऑफ़ यूज़ एसेट्स का परिशोधन (नोट-5.1 का सन्दर्भ लें)	570.82	-
कुल	**1,344.89**	**281.14**
कुल घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(1,329.55)	(270.41)
कुल	**15.34**	**10.73**

नोट 23.1 -- कम्पनी ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति से निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है, तथा कंपनी ने तदनुसार व्यय का आवंटन किया है।.

नोट:- 24
अन्य व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यालय का भाड़ा (नोट -24.1 का सन्दर्भ लें)	489.26	658.79
शुल्क, दरें तथा कर	62.04	52.85
मरम्मत, रखरखाव तथा अन्य	159.34	164.78
ऊर्जा तथा ईंधन	102.78	63.70
यात्रा व्यय	1,154.30	1,009.86
लेखा परीक्षकों को भुगतान (नोट 24.3 का सन्दर्भ लें)	2.61	1.58
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	108.51	77.82
मुद्रण तथा स्टेशनरी	73.64	50.96
संचार व्यय	89.34	73.15
पुस्तकें तथा पीरियाडिकल्स	9.36	9.69
अतिथि सत्कार	45.40	41.84
मिश्रित व्यय	696.83	348.47
गृह प्रबंधन	263.20	162.45
श्रम शक्ति की आउटसोर्सिंग	1,600.81	646.46
विज्ञापन व्यय	71.84	95.85
वेबसाइट विकास प्रभार	30.07	18.68
सीएसआर व्यय	67.00	-
कुल	**5,026.33**	**3,476.93**
कुल घटाया : सीडब्लयूआईपी में अन्तरित	(4,400.96)	(3,141.58)
कुल	**625.37**	**335.35**

नोट 24.1 -- इण्ड एएस 116 के अनुसार चालू वर्ष में अधिकारों की मान्यता के कारण पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कार्यालय किराया कम कर दिया गया है। वर्तमान वर्ष में 570.35 लाख रुपये के पट्टा किराया के भुगतान को इण्ड एएस 116 के अंगीकरण के कारण लीज देयताओं के भुगतान के रूप में माना गया है। {नोट नंबर 39 (vii)(b)} देखें

नोट 24.2 -- कम्पनी ने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्श समिति से निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष व्ययों के पूँजीकरण हेतु परामर्श लिया है, तथा कंपनी ने तदनुसार व्यय का आवंटन किया है।.

नोट 24.3 - लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	2.50	1.50
उपरि व्यय	0.11	0.08
कुल	**2.61**	**1.58**

नोट:- 25
आय कर व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू आय कर:		
चालू आय कर प्रभार	1,621.12	1,715.34
पूर्व वर्ष का आय कर	2.60	0.14
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	(174.28)	(30.10)
कुल	1,449.44	1,685.38

अन्य व्यापक आय में आय कर व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर:		
चालू वर्ष के परिप्रेक्ष्य में	14.22	(0.20)
	14.22	**(0.20)**
कुल कर व्यय	**1,463.66**	**1,685.18**

कर व्यय तथा लेखा लाभ के मध्य समाधान :

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी प्रचालनों से लेखा कर पूर्व लाभ	7,041.02	6,295.17
आय कर से पूर्व लेखा लाभ	**7,041.02**	**6,295.17**
भारत के विधिक आय कर दर 25.168% (गत वर्ष 29.12%)	1,772.08	1,833.15
उन राशियों पर प्रभावित कर, जो कर योग्य आय की गणना में घटाव योग्य (कर योग्य) नहीं हो		
इण्ड एएस समायोजन (निबल)	(5.66)	-
विलम्ब से जमा कर पर प्रदत्त ब्याज	1.23	0.26
पूर्व निर्धारण वर्ष में प्राथमिक व्ययों की अनुमति नहीं दी	(13.91)	(16.09)
शेयर जारी करने में व्यय के लिए समायोजन	(26.81)	(1.17)
कर की दर में बेंदलाव के कारण विलंबित कर समायोजन	(160.05)	(30.30)
मूल्यह्रास का समायोजन	(119.93)	(101.00)
शेयर निर्गमन व्ययों का समायोजन	-	0.19
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी	14.11	-
कर की दर में बदलाव और अन्य का प्रभाव	-	-
पूर्व वर्ष का आय कर व्यय	2.60	0.14
	1,463.66	**1,685.18**
आय कर व्यय के लाभ एवं हानि के विवरण में प्रतिवेदित किया गया (चालू प्रचालनों से सम्बद्ध)	1,463.66	1,685.18
प्रभावी कर की दर	**20.79%**	**26.77%**

नोट:- 26
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

राशि (रु. लाख में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिज़र्व	
	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मपीकरण	56.49	(0.68)
कुल	**56.49**	**(0.68)**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापीकरण पर कर	(14.22)	0.20
कुल	**(14.22)**	**0.20**

नोट:- 27
प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	(₹ प्रति शेयर))	(₹ प्रति शेयर))
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	9.54	26.59
असतत प्रचालन से (नोट 27.1 का सन्दर्भ लें)	-	-
द्रवीकृत ईपीएस		
जारी प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	9.54	26.59
असतत प्रचालन से (सन्दर्भ नोट 27.2)	-	-

नोट 27.1 -- प्रति शेयर मूल आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कम्पनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	5,591.58	4,609.79
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय (रु. लाख में)	**5,591.58**	**4,609.79**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य हेतु शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	586.08	173.35
जारी प्रचालन से	9.54	26.59
असतत प्रचालन से	-	-

नोट 27.2 -- प्रति शेयर द्रवीकृत

प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त आय तथा इक्विटी की भारित औसत संख्या:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कम्पनी के इक्विटी धारकों को गुणारोपित लाभ:		
जारी प्रचालन से (₹ लाख में)	5,591.58	4,609.79
असतत प्रचालन से (₹ लाख में)	-	-
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर द्रवीकृत आय की गणना में प्रयुक्त	**5,591.58**	**4,609.79**
जारी प्रचालन से	9.54	26.59
असतत प्रचालन से	**-**	**-**

प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए समाधानीत प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या निम्नवत है:

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	586.08	173.35
डाइल्यूशन का प्रभाव :	-	-
प्रति शेयर द्रवीकृत आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (शेयरों की संख्या लाख में)	**586.08**	**173.35**

नोट:- 28

(i) पूंजी प्रबंधन

पूँजी प्रबन्धन कम्पनी का उद्देश्य अपनी पूँजी को जारी संस्था के रूप में चालू रखने के लिए अपनी क्षमता सुनिश्चित करना तथा सुरक्षित करना है ताकि कम्पनी शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ तथा अन्य हितधारकों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके। कम्पनी के पास 31 मार्च, 2020 तक कोई उधारी नहीं थी।

आगे पुन: कम्पनी आर्थिक स्थितियों तथा वित्तीय प्रसंविदाओं की वांछनीयताओं में परिवर्तन के आलोक में समायोजन करने हेतु अपनी पूँजी संरचना का प्रबन्धन करती है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबन्धन के उद्देश्य, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

(ii) 31 मार्च 2020 तक वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का समाधान

राशि (रु. लाख में)

विवरण	पट्टे की देयताएं	इक्विटी शेयर पूंजी	स्टाम्प ड्यूटी देय
1 अप्रैल, 2019 को शेष	-	2,45,500.00	55.00
इंड एएस 116 के अंगीकरण पर मान्यता	1,247.32	-	-
1 अप्रैल, 2019 को पुनः कथित शेष	**1,247.32**	**2,45,500.00**	**55.00**
नकद प्रवाह:-			
-भुगतान	(644.69)	-	(467.50)
-आगम	-	4,52,500.00	-
गैर-नकद: -			
- वर्ष के दौरान संवर्धन	53.16		512.50
- उचित मूल्य	105.99	-	-
- इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में शेयर आवेदन धन की मान्यता	-	60,000.00	-
31 मार्च, 2020 को शेष	**761.78**	**2,45,500.00**	**100.00**

नोट:- 29
उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*	एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियों						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	612.56	-	-	366.23
(ii) कर्मचारियों हेतु एचबीए ऋण	-	-	30.00	-	-	30.83
(iii) नकदी तथा नकदी समतुल्य	-	-	13,255.08	-	-	55,278.36
(iv) ऊपर के अतिरिक्त (iii) बैंक शेष	-	-	53,000.00	-	-	32,300.00
(v) अन्य	-	-	891.07	-	-	1,978.86
कुल वित्तीय आस्तियों	**-**	**-**	**67,788.71**	**-**	**-**	**89,954.28**
वित्तीय दायित्व						
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	1,465.11	-	-	619.10
(ii) रेल मंत्रालय से अग्रिम	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00
(iii) पट्टा दायित्व	-	-	761.78	-	-	-
(iv) अन्य	-	-	4,388.14	-	-	2,212.86
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**16,615.03**	**-**	**-**	**12,831.96**

*** लाभ तथा हानि से उचित मूल्य**

****अन्य व्यापक आय से उचित मूल्य**

(ii) आस्तियाँ तथा दायित्व जिन्हें उस परिशोधित लागत पर मापित किया गया जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटन किया गया है।

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वाहक मूल्य	उचित मूल्य	वाहक मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्तियाँ				
प्रतिभूति जमा	612.56	766.91	366.23	374.69
कर्मचारियों को ऋण	30.00	30.48	30.83	31.35
कुल वित्तीय आस्तियाँ	**642.56**	**797.39**	**397.06**	**406.04**
वित्तीय दायित्व				
प्रतिभूति जमा	1,465.11	1,459.35	619.10	617.17
कुल वित्तीय दायित्व	**1,465.11**	**1,459.35**	**619.10**	**617.17**

a. अल्पकालीन प्रतिभूति जमा की वाहक राशि, नकदी तथा नकदी समतुल्य एवं अन्य अल्पकालीन प्राप्तियों तथा अन्य देयताओं को अल्पकालीन प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना गया है।

b. दीर्घकालीन प्रतिभूति जमाओं के उचित मूल्य की गणना वर्तमान बाजार दर का प्रयोग करते हुए बट्टाकृत नकदी प्रवाह पर की गयी है। उन्हें अप्रेक्षणीय इनपुट के समावेश के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम के लेवल-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम
लेवल 1 - समरूप आस्तियों अथवा दायित्वों हेतु सक्रिय बाजार में कोट किये गये मूल्य (असमायोजित)

लेवल 2 – कोट किये गये मूल्यों के अतिरिक्त इनपुट को लेवल 1 में शामिल किया गया है जो परिसम्पत्तियों (आस्तियों) हेतु या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात मूल्यों से व्युत्पन्न) प्रेक्षणीय हैं।

लेवल 3 - आस्तियों या दायित्वों हेतु इनपुट जो प्रेक्षणीय बाजारी डाटा (अप्रेक्षणीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर उचित मूल्य पर तथा परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों तथा दायित्वों के उचित मूल्य मापन पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है :

31 मार्च, 2020 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
कुल परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	766.91	766.91
कर्मचारी ऋण	-	-	30.48	30.48
	-	-	797.39	797.39

31 मार्च, 2020 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
विवरण परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्व जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	1,459.35	1,459.35
	-	-	1,459.35	1,459.35

31 मार्च, 2019 को वित्तीय आस्तियों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन :-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
कुल परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	374.69	374.69
कर्मचारी ऋण	-	-	31.35	31.35
	-	-	406.04	406.04

31 मार्च, 2019 को वित्तीय दायित्वों हेतु उचित मूल्य मापन पदानुक्रम का परिमाणात्मक प्रकटन:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
विवरण परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय दायित्व जिसके लिए उचित मूल्य प्रकटित किय गये हैं:				
प्रतिभूति जमा	-	-	617.17	617.17
	-	-	617.17	617.17

नोट:- 30
वित्तीय जोखिम प्रबन्धन

वित्तीय विलेखों के सम्बन्ध में कम्पनी विभिन्न जोखिमों से संवेदनशील है। कम्पनी के सम्मुख बाजारी जोखिम, साख जोखिम तथा तरलता जोखिम हैं। कम्पनी के वित्तीय जोखिम की गतिविधियों का नियन्त्रण उचित नीतियों तथा प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उन वित्तीय जोखिमों को कम्पनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप चिह्नित, मापित तथा प्रबन्धित किया जाता है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

a) बाजारी जोखिम
बाजारी जोखिम वह जोखिम है कि किसी वित्तीय विलेख का भावी नकदी प्रवाह बाजार के मूल्यों में परिवर्तन के कारण घटेगा-बढ़ेगा। बाजारी जोखिम में ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। कम्पनी को ब्याज दर का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास प्रतिवेदन की तिथि तक कोई ऋण/उधारी नहीं है।

b) विदेशी मुद्रा जोखिम
विनिमय में उतार-चढ़ाव भारत से बाहर कार्य से सम्बद्ध परियोजना हेतु सेवाओं के आयात के कारण होता है। कम्पनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम से बचने के लिए कोई अवरोधक विलेख नहीं है।

c) साख जोखिम
प्रतिपक्षी द्वारा इसके दायित्व पर चूक का जोखिम है जिससे वित्तीय क्षति होती है। कम्पनी विभिन्न वित्तीय विलेखों के साख जोखिम के प्रति संवेदनशील है उदाहरणार्थ कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा एवं अन्य प्राप्तियाँ। साख जोखिम के प्रति अधिकतम संवेदनशीलता वित्तीय आस्तियों के वाहक मूल्य के बराबर होती है।

d) वित्तीय विलेख तथा नकदी जमा

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ शेषों के साख जोखिम का प्रबन्धन कम्पनी की नीतियों के अनुरूप किया जाता है। अधिशेष के निवेश केवल प्रतिरूपी से प्राप्त वित्तीय कोट के आधार पर अनुमोदित प्रतिरूपी के साथ किया जाता है

e) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम कम्पनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कम्पनी की तरलता के प्रमुख स्रोत शेयर पूँजी के निर्गमन से उत्पन्न नकदी तथा नकदी समतुल्य ।

कम्पनी हमारी तरलता आवश्यकताओं का प्रबन्धन नकदी अन्तर्प्रवाह की सतत निगरानी तथा पर्याप्त नकदी एवं नकदी समतुल्यों के अनुरक्षण द्वारा करती है। किसी कमी के निर्धारण के लिए निबल नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है। अल्पकालीन तरलता आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से परियोजना सम्बन्धी कार्य हेतु देय व्यय, कर्मचारियों के बकाये, प्रतिभूति जमा तथा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि पर प्रकार्य के सामान्य प्रचालन के दौरान उत्पन्न प्रतिधारण राशि शामिल हैं।

नोट :- 31
आकलन तथा अभिधारणायें

नीचे भविष्य से सम्बन्धित प्रमुख अभिधारणाएँ तथा प्रतिवेदन अवधि के अन्त में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनमें आगामी वित्त वर्ष की आस्तियों की वाहक राशि तथा दायित्वों में तात्विक समायोजन के पर्याप्त जोखिम हो सकता है:

a) उचित मूल्यांकन मापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहाँ सम्भव हो प्रेक्षणीय बाजारों से किन्तु जहाँ व्यवहार्य न हो तो उचित मूल्य प्राप्त करने में वांछित निर्णय की मात्रा से लिए जाते हैं। निर्णयों में इनपुटों के विचार जैसे तरलता जोखिम, साख जोखिम तथा परिवर्तनशीलता शामिल हैं। इन कारकों के विषय में अभिधारणाओं में परिवर्तन वित्तीय विलेखों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

b) कर

आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता है कि यह सम्भव है कि करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध क्षतियों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की राशि के निर्धारण के लिए उचित प्रबन्धन निर्णय अपेक्षित है जिसे उपयुक्त समय तथा भावी करयोग्य लाभ के स्तर और भावी कर योजना नीतियों के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है।

c) सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण का उपयोगी जीवन

सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन का अनुमान कालातीत, माँग, प्रतिस्पर्द्धा तथा अन्य आर्थिक कारकों सहित अनेक कारकों पर निर्भर करता है। कम्पनी प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि के अन्त में सम्पत्ति, संयन्त्र तथा उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

दूरभाष यंत्र को बही की पुस्तकों में उपभोज्य के रूप में लिखा जाता है क्योंकि दूरभाष यंत्र का प्रारम्भिक मूल्य लाभ एवं हानि खाते के विवरण में रु. 3.63 लाख (निबल मूल्यह्रास) में कार्यालय उपकरण के रूप में शामिल है।

d) पट्टों

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने अनुमान का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टे हैं या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पट्टे समझौते का समाप्ति विकल्प का उपयोग किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, कंपनी पट्टों के उपयोग और पट्टे की उचित छूट दर की गणना में अनुमान का उपयोग करती है।

नोट:- 32
सम्बद्ध पक्ष प्रकटन

नोट 32.1 -- सम्बद्ध पक्ष
नोट 32.1.1 -- संस्था के प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक

नाम	पद
अचल खरे	प्रबन्ध निदेशक (पूर्ण कालिक)
विनोद कुमार यादव	अंशकालिक चेयरमैन
एस.के. मिश्रा (14.06.2019 तक)	अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक
रवींद्र नाथ सिंह (19.06.2019 से प्रभावी)	अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक
नमिता मेहरोत्रा (17.09.2019 तक)	अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक
अंजू रंजन (14.10.2019 से प्रभावी)	अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक
प्रभात कुमार रमनलाल पटेलिया	अंशकालिक (कार्यालयी) निदेशक
राजेन्द्र प्रसाद	परियोजना निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
अरुण बिजलवान	वित्त निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
विजय कुमार	चल स्टॉक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
संदीप कुमार	विद्युत एवं प्रणाली निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)
सुमीता शर्मा	कम्पनी सचिव

नोट 32.1.2 -- अन्य सम्बद्ध पक्ष

अन्य सम्बद्ध पक्ष के नाम	सम्बन्ध की प्रकृति
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजना
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ योजना
एचएसआर इनोवेशन सेंटर	अनुसन्धान एवं विकास न्यास

नोट 32.2 -- सम्बद्ध पक्षों के लेन-देन तथा शेष

नोट 32.2.1 -- प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों की क्षतिपूर्ति :

वर्ष के दौरान निदेशकों तथा प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के अन्य सदस्यों का पारिश्रमिक निम्नवत था:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पकालीन लाभ	248.42	202.05
रोजगार पश्चात लाभ	57.65	20.04
अन्य दीर्घकालीन लाभ	20.24	11.50
	326.31	**233.59**

नोट 32.2.2 -- न्यास के साथ लेन-देन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
एनएचएसआरसीएल कर्मचारी समूह उपदान न्यास	-	1.00
एनएचएसआरसीएल चिकित्सा न्यास	32.56	1.00
एचएसआर इनोवेशन सेंटर	3.52	1.00
	36.08	**3.00**

नोट 32.3 -- संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपर्युक्त कथित लेन-देनों के अतिरिक्त कम्पनी ने सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध लेन-देन किये हैं जो निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु सीमित नहीं हैं :

सरकार का नाम - रेल मन्त्रालय, भारत सरकार (संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण) तथा गुजरात सरकार

वित्त वर्ष 2019-20 और 2018 -19 के दौरान किये गये कुछ प्रमुख लेन-देन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
	रेल मंत्रालय	गुजरात सरकार	रेल मंत्रालय (एमओआर)	सरकार
इक्विटी शेयर पूँजी से प्राप्त राशि	4,50,000	2,500	2,30,000.00	10,000.00
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में रेल मंत्रालय से अग्रिम	-	-	10,000.00	-
रेलवे की भूमि उपयोगितो को स्थानान्तरित करने तथा अन्य अनुषंगी कार्यों हेतु किया गया भुगतान	(6,831.20)	-	(16,056.77)	-

नोट:- 33
आकस्मिक दायित्व

(i) पूँजी वचनबद्धता

31.03.2020 तक प्रावधानित नहीं (निबल अग्रिम) और पूँजी खाते पर क्रियान्वित किये जाने वाले कार्य की राशि रु.95,301.63 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 84033.71 लाख) है।

(ii) कम्पनी के विरुद्ध ऋण के रूप में न लिए गये दावे की राशि रु.शून्य (पूर्व वर्ष में रु.शून्य है)।

नोट:- 34

कम्पनी ने कर्मचारी लाभ व्ययों को कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इण्ड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप संचालित किया है। परिभाषित अंशदान योजना, परिभाषित लाभ योजना तथा इण्ड एएस 19 के अनुसार लाभ और हानि तथा तुलन पत्र के विवरण में अंकित अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ निम्नलिखित हैं

a) परिभाषित अंशदान योजनाएँ

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
विवरण कम्पनी ने वर्ष हेतु लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशियों को मान्यता दी		
भविष्य निधि आदि में नियोक्ता का अंशदान आदि	187.83	118.79

b) परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घकालीन लाभ योजनाएँ

नोट 34.1 -- उपदान तथा अवकाश नकदीकरण
नोट 34.1.1 -- योजना की देयता

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	108.52	241.37	42.62	98.66

नोट 34.1.2 -- सेवा लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	58.43	130.52	36.89	85.93
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
गैर नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	58.43	130.52	36.89	85.93

नोट 34.1.3 -- निबल ब्याज लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	3.26	7.56	0.37	1.18
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	(0.08)	-	-	-
शुद्ध ब्याज लागत (आय)	3.19	7.56	0.37	1.18

नोट 34.1.4 -- लाभ दायित्व में बदलाव

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	42.62	98.66	4.86	15.31
ब्याज लागत	3.26	7.56	0.37	1.18
सेवा लागत	58.43	130.52	36.89	85.93
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लाभ का भुगतान	-	(6.82)	(0.18)	(0.27)
दायित्व पर बीमांकिक क्षति / (लाभ)	4.20	11.46	0.68	(3.49)
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	108.52	241.37	42.62	98.66

नोट 34.1.5 -- दायित्व पर बीमांकिक लाभ / हानि का द्विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.05	0.12	-	-
वित्तीय आकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	10.12	23.26	0.14	0.65
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(5.97)	(11.92)	0.54	(4.14)

नोट 34.1.6 -- नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
अपेक्षित ब्याज आय	0.08	-	-	-
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	0.04	-	0.00	-
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.04	-	0.00	-

नोट 34.1.7 -- दायित्व के निबल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
आरंभिक शेष	40.62	98.66	4.85	15.31
ब्याज लागत	3.19	7.56	0.37	1.18
वर्तमान सेवा लागत	58.43	130.52	36.89	85.93
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लाभ भुगतान	-	(6.82)	(0.18)	(0.27)
न्यास को योगदान	-	-	(1.00)	-
अन्य समायोजन *	1.00		(1.00)	
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	4.24	11.46	0.68	(3.49)
अंतिम शेष	107.48	241.37	40.62	98.66

* वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, उपदान का व्यय रु. 1 लाख रुपए से अधिक कथित हो गया था जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2019 -20 में समायोजित किया जा रहा है।

नोट 34.1.8 -- नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष की शुरुआत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	1.00	-	-	-
नियोजन आस्तियों पर संभावित लाभ	0.03	-	0.00	-
नियोक्ता का योगदान	-	-	1.00	-
लाभ भुगतान	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि) / लाभ	-	-	-	-
अंतिम शेष	1.04	-	1.00	-

नोट 34.1.9 -- तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के अन्त में दायित्व का अनुमानित वर्तमान मूल्य	108.52	241.37	41.62	98.66
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	(1.04)	-	(1.00)	-
	107.48	**241.37**	**42.63**	**98.66**
चालू	0.37	9.93	0.17	10.23
गैर चालू	107.11	231.44	42.45	88.43

नोट 34.1.10 -- लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	58.43	130.52	36.89	85.93
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-
ब्याज लागत	3.19	7.56	0.37	1.18
वर्ष में मान्यता प्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ) /क्षति	-	11.46	-	(3.49)
लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	61.62	149.54	37.26	83.62

नोट 34.1.11 -- अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	-	-	-
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	(4.20)	-	(0.68)	-
वर्ष हेतु आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	(0.04)	-	-	-
वर्ष के अन्त में अमान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	(4.24)	-	(0.68)	-

नोट 34.1.12 -- चालू और गैर-चालू में वर्ष के अंत में पीबीओ का द्विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	0.37	9.93	0.17	10.23
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	108.15	231.45	42.45	88.43
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	108.52	241.38	42.62	98.66

नोट 34.1.13 -- निबल (दायित्व) / आस्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू दायित्व	(107.48)	-	(41.62)	-
गैर-चालू दायित्व	-	-	-	-
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	(107.48)	-	(41.62)	-

नोट 34.2 -- छुट्टी किराया रियायत (एलटीसी), सामान भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ

नोट 34.2.1 -- नियोजन दायित्व

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	72.90	15.95	47.20	87.64	13.04	33.56

नोट 34.2.2 -- सेवा लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	45.09	10.66	15.20	-	11.42	24.70
लाभों/क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	8.86
गैर-नियमित निपटान पर लाभ या हानि	-	-	-	-	-	-
कुल सेवा लागत	45.09	10.66	15.20	-	11.42	33.56

नोट 34.2.3 -- निबल ब्याज लागत

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	6.71	1.00	2.57	-	-	-
नियोजन आस्तियों पर ब्याज आय	-	-	(0.08)	-	-	-
निबल ब्याज लागत (आय)	**6.71**	**1.00**	**2.49**	**-**	**-**	**-**

नोट 34.2.4 -- वर्तमान लाभ दायित्व में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के प्रारम्भ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	87.64	13.04	33.56	-	-	-
ब्याज लागत	6.71	1.00	2.57	-	-	-
सेवा लागत	45.09	10.66	15.20	-	11.42	24.70
गत सेवा लागत	-		-	-	1.62	8.86
लाभ भुगतान	(19.40)		-	-	-	-
कुल दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(47.14)	(8.74)	(4.13)	-	-	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	72.90	15.95	47.20	-	-	33.56

नोट 34.2.5 -- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.01	0.00	-	-	-
वित्तीय आकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.82	1.49	3.82	-	-	-
अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(49.97)	(10.24)	(7.96)	-	-	-

नोट 34.2.6 -- नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / हानि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
अपेक्षित ब्याज आय	-	-	0.08	-	-	-
नियोजन आस्तियों पर वास्तविक आय	-	-	0.79	-	-	0.00
आस्तियों पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)	**-**	**-**	**0.72**	**-**	**-**	0.00

नोट 34.2.7 -- तुलन पत्र में मान्यत प्राप्त राशि

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष के अन्त में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	72.90	15.95	47.20	87.64	13.04	33.56
वर्ष के अन्त में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	(34.36)	-	-	1.00
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त (निबल आस्तियाँ)/ निबल दायित्व	72.90	15.95	12.84	87.64	13.04	32.56

नोट 34.2.8 -- लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू सेवा लागत	45.09	10.66	15.20	87.64	13.04	33.56
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	6.71	1.00	2.49	-	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त निबल बीमांकिक (लाभ) / क्षति				-	-	-
लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	51.80	11.66	17.69	87.64	13.04	33.56

नोट 34.2.9 -- अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
प्रारम्भ में निबल संचयी अमान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / (क्षति)	-	-	-	-	-	-
वर्ष हेतु पीबीओ पर बीमांकिक लाभ / (क्षति)	47.14	8.74	4.13	-	-	-
आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (क्षति) वर्ष हेतु	-	-	0.72	-	-	-
वर्ष के अन्त में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ/ (क्षति)	47.14	8.74	4.85	-	-	-

नोट 34.2.10 -- नियोजन आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
वर्ष की शुरुआत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य	-	-	1.00	-	-	-
नियोजन आस्तियों पर संभावित लाभ	-	-	0.79	-	-	0.00
नियोक्ता का योगदान	-	-	32.56	-	-	1.00
लाभ भुगतान	-	-	-	-	-	-
दायित्वों पर बीमांकिक (हानि) / लाभ	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	34.36	-	-	1.00

नोट 34.2.11 -- दायित्व के निबल मूल्य में परिवर्तन:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
आरंभिक शेष	87.64	13.04	32.56	-	-	-
ब्याज लागत	6.71	1.00	2.49	-	-	(0.00)
चालू सेवा लागत	45.09	10.66	15.20	87.64	11.42	33.56
लाभों/ क्षतियों में काट-छाँट सहित विगत सेवा लागत	-	-	-	-	1.62	-
लाभ भुगतान	(19.40)	-	-	-	-	-
न्यास को योगदान	-	-	(32.56)	-	-	(1.00)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	(47.14)	(8.74)	(4.85)	-	-	-
अंतिम शेष	72.90	15.95	12.84	87.64	13.04	32.56

नोट 34.2.12 -- चालू और गैर चालू में वर्ष के अंत में पी.बी.ओ का द्विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	9.77	0.11	1.06	-	-	0.52
गैर-चालू दायित्व (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	63.13	15.95	46.14	-	13.04	33.04
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	72.90	15.95	47.20	-	13.04	33.56

नोट 34.2.13 -- निबल (दायित्व) / आस्तियों का विभाजन

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20			2018-19		
	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	एलटीसी	सामान भत्ता	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ
चालू दायित्व	-	-	(12.84)	-	-	(32.56)
गैर-चालू दायित्व	-	-	-	-	-	-
कुल वर्ष के अंत में पी.बी.ओ.	-	-	(12.84)	-	-	(32.56)

नोट 34.3 -- तुलन पत्र की तिथि पर मुख्य बीमांकिक अभिधारणा

बीमांकिक अभिधारणा:	2019-20	2018-19
मूल्यांकन की विधि :	परियोजना इकाई साख विधि	परियोजना इकाई साख विधि
छूट दर :	6.92%	7.66%
वेतन वृद्धि दर:	6.50%	6.50%
सेवानिवृत्ति की आयु:	60 वर्ष	60 वर्ष
आहरण दर:	30 वर्ष तक-3% 31 वर्ष से 44 वर्ष तक-2% 44 वर्ष से अधिक - 1 %	30 वर्ष तक-3% 31 वर्ष से 44 वर्ष तक-2% 44 वर्ष से अधिक- 1%
मृत्यु दर	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)	100% भारतीय सुनिश्चित मृत्यु दर (2012-14)

नोट 34.4 -- संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	अभिधारणा में परिवर्तन	सामान भत्ते पर प्रभाव	उपदान दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर प्रभाव
छूट दर	0.50%	(1.09)	(7.43)	(16.09)	(4.99)	(3.23)
	(0.50%)	1.21	8.23	17.81	5.53	3.58
वेतन वृद्धि	0.50%	-	8.22	17.79	-	-
	(0.50%)	-	(7.49)	(16.22)	-	-

नोट:- 35
विदेशी मुद्रा व्यय

राशि (रु. लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
परियोजना से सम्बद्ध व्यय (सीडब्ल्यूआईपी)	446.29	1487.24
विदेशी टीए/ डीए	64.35	76.45
विदेश यात्रा व्यय	65.18	94.95
अन्य विदेश यात्रा व्यय	13.09	14.00
	588.90	**1672.64**

नोट:- 36
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी

कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पर रु. 67.00 लाख रुपये खर्च करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

वर्ष	खर्च करने के लिए आवश्यक राशि	राशि खर्च	अव्ययित
2019-20	67.00	21.35	45.65
कुल	67.00	21.35	45.65

नोट 36.1 -- देय राशि का उपयोग नहीं किया जा सका है क्योंकि कंपनी ने कंपनी के परिचालन क्षेत्र में सीएसआर से संबंधित उपयोगी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एजेंसी की पहचान नहीं कर सकती है। कंपनी सीएसआर के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं को अंतिम रूप दे रही है और अगले वित्तीय वर्षों के दौरान, सीएसआर पर पर्याप्त मात्रा में खर्च करने की उम्मीद है।

नोट 36.2 -- वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है::

राशि (रु. लाख में)

विवरण	नकदी में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			
(i) किसी भी आस्तियाँ का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-
(ii) ऊपर दिए गए (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता	21.35	-	21.35

नोट:- 37
कोविड 19 प्रकटीकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 11 मार्च, 2020 को एक नए महामारी (कोविड -19) के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा की और गैर-आवश्यक व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया और वस्तुओं और सेवाओं, यात्रा, आदि के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया।

जैसा कि कंपनी द्वारा निष्पादित व्यवसाय की प्रकृति, गैर-आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आती है, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में एक अस्थायी परियोजना में संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने 22 मार्च, 2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान परियोजना के निष्पादन में बाधा, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन को प्रभावित किया था।

केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को हटाने के लिए कदम उठाए हैं और कंपनी उसी तरह का पालन कर रही है जैसे उसने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। कंपनी मई की शुरुआत से क्रमिक तरीके से विभिन्न परियोजना स्थलों पर परिचालन फिर से शुरू कर पाई है। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती है और केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसार सभी दिशानिर्देशों को लागू किया है ताकि कोविड -19 के प्रसार को रोका जा सके।

वित्तीय प्रदर्शन
कंपनी का मानना है कि वर्ष 2019-20 के लिए, कंपनी के राजस्व और लाभप्रदता के संदर्भ में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड 19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

तरलता
कंपनी के पास इसके संचालन के लिए पर्याप्त तरलता है।

कंपनी को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में आस्तियाँ, व्यापार प्राप्य, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियाँ आदि सहित अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद है।

सुचारू कामकाज के लिए उठाए गए कदम
लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने व्यापार पोस्ट कोविड -19 लॉकडाउन के लिए नए सामान्य को पुनर्जीवित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कंपनी के गैर-महत्वपूर्ण स्थानों पर काम सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से काम करने और रोस्टर से काम के साथ सुव्यवस्थित किया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने कोविड 19 के लिए कठोर निगरानी प्रक्रियाओं को लागू किया है जो निम्नलिखित सुनिश्चित करता है:

i. सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
ii. नियमित आधार पर परिसर और वाहनों को पवित्र करना
iii. सभी कार्यस्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखना
iv. मास्क पहनना और हाथों की नियमित सफाई करना
v. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के नियमित स्वास्थ्य अपडेट
vi. अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

कोविड -19 के भविष्य के प्रभाव का अनुमान
परियोजना में काम शुरू होने के साथ, कंपनी लगातार अपने संचालन की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण बर्बाद समय के लिए पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी होगी, लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रगति के रूप में सूचित किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना समय से पहले है।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव इससे भिन्न हो सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कोविड 19 स्थिति भारत और विश्व स्तर पर विकसित होती है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

नोट:- 38
लेखांकन नीतियां, परिवर्तन लेखा अनुमान और त्रुटियों (भारतीय लेखा मानक -8) पर हुए खुलासे इस प्रकार हैं :

नोट 38.1 -- पिछली अवधि के लेनदेन इस प्रकार हैं:

राशि (रु. लाख में)

प्रकृति	2019-20
भूमि	1,06,760.42
भूमि का उपयोग करने का अधिकार	8,189.69
पट्टाधृत सुधार	31.21
उपयोगिता स्थानांतरण	300.50
कुल	**1,15,281.82**

नोट 38.2 -- लाभ पर प्रभाव के साथ पूर्व अवधि के लेनदेन का सुधार।
नोट 38.2.1 -- बैलेंस शीट आइटम पर प्रभाव इस प्रकार है:

राशि (रु. लाख में)

लाइन आइटम	2019-20
कार्यकारी पूंजी	(23,345.11)
भूमि के लिए अग्रिम	(91,905.50)
पूंजी अग्रिम अन्य	300.50
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भूमि)	1,06,760.42
अमूर्त संपत्ति (भूमि का उपयोग करने का अधिकार)	8,189.69
परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	(26.00)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	31.21
कुल परिसंपत्तियाँ	**5.21**
अन्य वित्तीय चालू दायित्व	-
कुल देनदारियाँ	**-**
शुद्ध परिसंपत्तियाँ (इक्विटी)	**5.21**

नोट 38.2.2 -- लाभ और हानि के कथन पर प्रभाव

प्रकृति	राशि (रु. लाख में)
कर्मचारी लाभ व्यय	-
मूल्यह्रास तथा अमूर्तकरण व्यय	5.21
वित्त व्यय	-
अन्य खर्च	-
अन्य व्यय	**5.21**
कुल राजस्व	**-**
कर पूर्व लाभ	**5.21**

नोट 38.2.3 -- प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूलभूत और तरलीकृत):

वर्ष	राशि
इक्विटी शेयरहोल्डर्स के कारण लाभ पर प्रभाव (₹ लाख में)	5.21
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में शेयरों की संख्या)	173.35
प्रति शेयर आय पर प्रभाव (मूलभूत और तरलीकृत) (₹ में)	0.03

वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित ₹ 125.89 लाख के लेन-देन हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान क्रिस्टलीकृत किया गया है, जो कि पूर्व की अवधि में इन मदों पर नीति को देखते हुए और पिछले वर्ष में कथन नहीं किया जाना है।

नोट:- 39
इंड ए एस -116 के तहत प्रकटीकरण

(i) 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड -116 "पट्टों" को अपनाया और 1 अप्रैल 2019 को संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके सभी पट्टे अनुबंधों के लिए मानक लागू किया और प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर अर्जित आय को संचयी समायोजन किया है। कंपनी ने प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य द्वारा संपत्ति और इसी पट्टे देयता का उपयोग करने का अधिकार रिकॉर्ड करने का विकल्प चुना है और इसलिए इंड ए एस-116 को अपनाने के कारण बरकरार रखी गई कमाई पर प्रभाव शून्य है।

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष की तुलनाओं को समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शामिल लेखांकन नीतियों के तहत रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा।

(iii) प्रारंभिक आवेदन पर चुने गए व्यावहारिक समीक्षकों का सारांश।

(a) प्रारंभिक आवेदन की तारीख पर पट्टे की अवधि के 12 महीने से कम समय के लिए पट्टों के लिए उपयोग की सही संपत्ति और देनदारियों को मान्यता नहीं देने की छूट के लिए आवेदन किया है।

(b) प्रारंभिक आवेदन की तारीख में उपयोग संपत्ति के अधिकार के माप से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को छोड़कर

(c) इंड एएस-116 केवल उन्हीं अनुबंधों पर लागू होता है जो पहले इंड एएस -17 के तहत पट्टे पर वर्गीकृत किए गए थे।

(d) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल छूट दर लागू।.

(e) अनुबंध का विस्तार करने या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प हैं, तो पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, दूरदर्शी का उपयोग करें

(iv) इंड एएस -17 के तहत लीज़ दायित्व के बीच अंतर और लीज़ देनदारी के मूल्य के रूप में संक्रमण की तारीख पर मुख्य रूप से इंड एएस -116 के तहत वर्तमान मूल्य के लिए लीज़ देनदारियों की छूट है।

(v) पट्टे पर देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिशील दर 8.15% है

(vi) कंपनी द्वारा परिचालन पट्टों के तहत परिसंपत्तियों का सारांश इस प्रकार है:

परिसंपत्तियों का विवरण	पट्टादाता नाम	लीज अवधि	समाप्ति खंड
बिल्डिंग नंबर 8, यूनिवर्सल मैजेस्टिक, पी एल लोखंडे मार्ग, गोवंडी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400043	वरद विनायक एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2019	28-02-2022
प्रोडक्टिविटी हाउस, प्रोडक्टिविटी रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390007	बड़ौदा प्रोडक्टिविटी परिषद	01-02-2018 01-11-2019	31-01-2021 31-01-2021
एशिया भवन, रोड नंबर 205, सेक्टर 9 द्वारका, नई दिल्ली - 110077	एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट	01-03-2018	28-02-2021
बिल्डिंग नं 3, मिलेनियम बिज़नेस पार्क, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	माइक्ट प्राइवेट लिमिटेड	09-06-2018	08-06-2021
शॉप नं 3 से 8, गुरु नानक को-ऑपरेटिव सोसाइटी, नवली, ताल, पालघर जिला, महाराष्ट्र	योगेश नागिदास राणा	15-07-2018	14-07-2020
5 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	30-03-2019	15-04-2023
20 वाहन	लीज प्लान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14-01-2018	09-05-2022
6 वाहन	मर्क्युरी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	29-01-2019	28-01-2023
4 वाहन	मर्क्युरी कार रेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड	23-12-2019	15-03-2024

(vii) **पट्टा देयता और राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स में उतार-चढ़ाव**

(a) राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स की वहन राशि और वर्ष के दौरान उतार-चढ़ाव नोट 5.2 में खुलासा किया गया है।

(b) पट्टा देयता में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2020 को**
वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	-	-
इंड एएस के रूप में कार्यान्वयन पर मान्यता	1,038.61	208.71
वर्ष के दौरान परिवर्धन	22.32	30.84
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	86.47	19.52
वर्ष के दौरान किया गया भुगतान / पट्टों के लिए कुल नकद का बहिर्गमन	570.35	74.34
वर्ष के अंत में अंतिम शेष	**577.05**	**184.73**

(viii) कंपनी ने कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के अल्पकालिक पट्टों के लिए पट्टा देयता को मान्यता नहीं देने के लिए चुना है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता की माप में शामिल नहीं हैं। उसी का विवरण इस प्रकार है: -

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2020 को**
लघु अवधि के पट्टे	1,164.62	-
कम मूल्य के परिसंपत्तियों के पट्टे	-	-
	1,164.62	-

(ix) लीज देयताएँ बैलेंस शीट में निम्नानुसार प्रस्तुत हैं: -:-

राशि (रु. लाख में)

विवरण	भवन	वाहन	कुल
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को	
चालू भाग	503.35	66.37	569.72
गैर-चालू भाग	73.70	118.36	192.06
	577.05	**184.73**	**761.78**

(x) 31 मार्च 2020 तक लीज की देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

राशि (रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 साल और उससे अधिक
कार्यालय पट्टा	535.21	96.10	-
वाहन	81.43	81.43	51.06
	616.64	**177.53**	**51.06**

(xi) परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित व्यय शून्य हैं।

(xii) राइट्स ऑफ़ यूज़ एसेट्स के उप-पट्टे से आय कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ / हानि कंपनी पर लागू नहीं होती है।

नोट:- 40
वित्तीय विवरण की स्वीकृति

निदेशक मंडल द्वारा 01.09.2020 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी गई है।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम के अनुभाग 143(10) में निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह कहा गया है कि ऐसा उनके द्वारा उनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 01.09.2020 के आधार पर किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए **नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागज़ात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है।

मेरे पूरक ऑडिट के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6) (बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी भी टिप्पणी या पूरक को उत्पन्न करेगा।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

(के.एस. रामूवालिया)
प्रधान निदेशक लेखा-परीक्षा
रेलवे कमर्शियल, नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2020
स्थान : नई दिल्ली